खण्ड-358, अंक-4
मंगलवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(24 अगस्त, 1982 ई0)

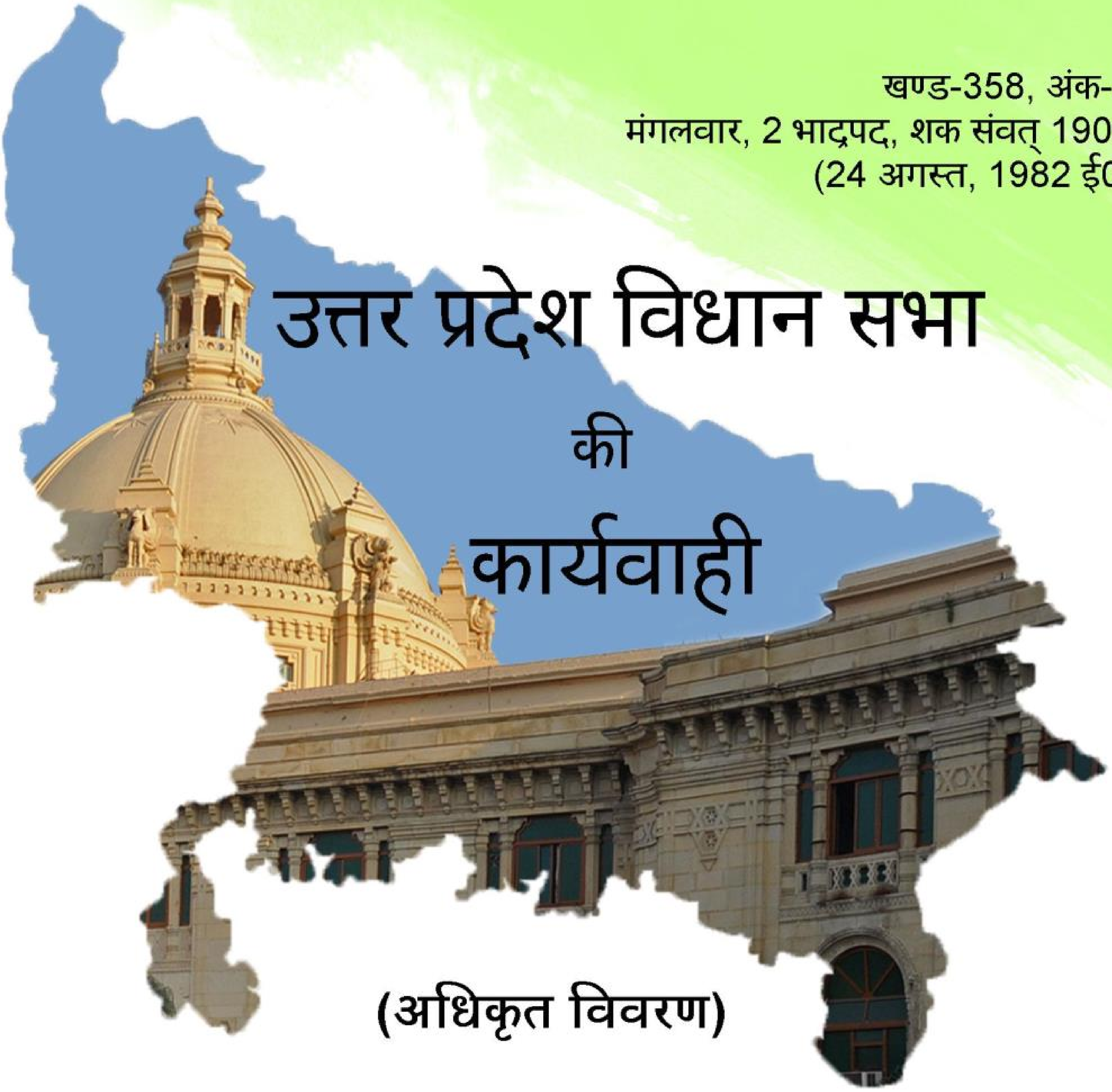

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	491-495
प्रश्नोत्तर	497-590
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	591
मेरठ जनपद में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को एक राज्य सभा सदस्य द्वारा शपथ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	591-592
ग्राम गांगेपुर भठिया, जनपद आजमगढ़ का घाघरा से कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	592
यू0 पी0 कालेज आफ इंजीनियरिंग, गोरखपुर के निदेशक द्वारा छात्रों के साथ की गयी धोखा-धड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	592-593
बुलन्दशहर जनपद की श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती ओमवती की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	593-594
इटावा जनपद की औरैया नगरपालिका द्वारा जल निकास की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	594-595
विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर की सूचनाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने में विलम्ब के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	595-596
विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	596
विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण	596-598
श्री मोहन सिंह, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	598-600
आयुक्त, गढ़वाल मंडल श्री सुधीर कुमार विश्वास के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	600-601

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज कुमार राय, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	601–602
तत्कालीन गृहमंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी एवं गृह राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	602–604
गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	604–605
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	605
कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की सूचनाएं	605
गोंडा जिले के कुमिन पुरवा में पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना	605–621
1982–83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के स्मृति पत्र में विगत वित्तीय वर्षों के व्यय को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	621–625
1982–83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ..	625–653
1982–83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 1––आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	653
अनुदान संख्या 2––आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग (स्वीकृत)	653
अनुदान संख्या 4––उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)	653
अनुदान संख्या 5––उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	654
अनुदान संख्या 6––उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	654
अनुदान संख्या 7––ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ..	654
अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग (स्वीकृत) ..	654–655
अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग, औद्यानिक विकास (स्वीकृत) ..	655
अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	655
अनुदान संख्या 11––खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	655
अनुदान संख्या 12––ग्राम विकास विभाग (स्वीकृत) ..	656

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	656
अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	656
अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	656
अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	657
अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग (स्वीकृत) ..	657
अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) ..	657
अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	658
अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	658
अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	658
अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डन विभाग (स्वीकृत) ..	659
अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	659
अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग (स्वीकृत) ..	659
अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग (स्वीकृत) ..	660
अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग (स्वीकृत) ..	660
अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग (स्वीकृत) ..	660
अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ..	661
अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	601
अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग (स्वीकृत) ..	661
अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	662
अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	662
अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	662
अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) (स्वीकृत)	663
अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	663
अनुदान संख्या 46--वन विभाग (स्वीकृत) ..	663
अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	664

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) .. .	664
अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) (स्वीकृत)	664
अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत) ..	665
अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	665
अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ..	665
अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत) ..	666
अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	666
अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	666
अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनो रंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	667
अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एंव पंजीकरण) (स्वीकृत)	667
अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	667
अनुदान संख्या 64--सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	668
अनुदान संख्या 66--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	668
अनुदान संख्या 69--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	668
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	669
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग(आवास भवन) (स्वीकृत)	669
अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	669
अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	670
अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	670
अनुदान संख्या 76--सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	670
अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	671
अनुदान संख्या 78--स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत) ..	671

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 79--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	671
अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	672
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982--83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 (पारित)	672-679
1977-78 के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत) ..	679
अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद् (स्वीकृत) ..	680
अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	680
अनुदान संख्या 5--निर्वाचन (स्वीकृत) ..	680-681
अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	681
अनुदान संख्या 21--पुलिस (स्वीकृत) ..	681
अनुदान संख्या 22--कारागार (स्वीकृत) ..	681
अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	682
अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवायें (स्वीकृत) ..	682
अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत) ..	682
अनुदान संख्या 30--वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध (स्वीकृत) ..	683
अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	683
अनुदान संख्या 34--आवास भवन (स्वीकृत) ..	683
अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) (स्वीकृत) ..	684
अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	684
अनुदान संख्या 54--मत्स्य उद्योग (स्वीकृत) ..	684
अनुदान संख्या 60--राजस्व से किये जाने वाले निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	685
अनुदान संख्या 62--सिविल विमानन (स्वीकृत) ..	685
अनुदान संख्या 63--संचार साधन (स्वीकृत) ..	685
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	686
अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	686

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत) ..	686
अनुदान संख्या 84--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	687
अनुदान संख्या 85--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	687
अनुदान संख्या 96--ऋण और अग्रिम-विद्युत् (स्वीकृत) ..	687-688
1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ..	688
अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत) ..	688
अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	688
अनुदान संख्या 22--कारागार (स्वीकृत) ..	688
अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	689
अनुदान संख्या 34--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति (स्वीकृत)	689
अनुदान संख्या 35--आवास भवन (स्वीकृत) ..	689
अनुदान संख्या 37--सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत) ..	690
अनुदान संख्या 39--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण (स्वीकृत)	690
अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत)	690
अनुदान संख्या 44--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	691
अनुदान संख्या 60--विद्युत् विकास (स्वीकृत) ..	691
अनुदान संख्या 61--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	691
अनुदान संख्या 64--संचार साधन (स्वीकृत) ..	692
अनुदान संख्या 69--पर्यटन (स्वीकृत) ..	692
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	692
अनुदान संख्या 85--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	693
अनुदान संख्या 86--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	693

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	663
अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम-विद्युत (स्वीकृत) ..	694
उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	694-701
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	701
प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य की समाप्ति ..	701-702
नस्थियां	703-713

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ म 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 386

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू), (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)

गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच))
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेन्श चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी, (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल, चौधरी (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जतली, श्री (फैजाबाद)

प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
वंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीध राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)

राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निगम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्रप्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह (श्री उर्फ मणि जी), (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाय सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)

श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 24 अगस्त, 1982 ई0

दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को श्री मोहन सिंह द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर का शोधन

मूल प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि विगत 24 अगस्त, 1980 को मुजफ्फरनगर में बिक्री-कर सचल दल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया गया ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप क्या हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मूल उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-8-80 को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर सूजडू चुंगी के पास सहारनपुर के बिक्रीकर सचल दल के तीन अधिकारियों को धारा 161/165/34 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिकारियों को हथकड़ी लगा कर शहर में घुमाया नहीं गया। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कुछ ट्रक वालों से रिश्वत लेने के आरोप हैं।

संशोधित उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-4-80 को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर सूजडू चुंगी के पास सहारनपुर के बिक्रीकर अधिकारियों को कुछ ट्रक वालों से रिश्वत लेने के आरोप में धारा 161/165/34 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। कोतवाली से न्यायालय तक उक्त बिक्रीकर अधिकारियों को हथकड़ी लगाकर पैदल ले जाया गया। इस अभियोग की विवेचना सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि दो वर्ष बाद यह शोधन वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे अफसोस है कि यह तब दे रहे हैं, जब हमने नियम 218 के अन्तर्गत आपसे क्वेयरी की। मान्यवर, जो अधिकारी इस तरह सदन की मर्यादा को गिराते हैं और इस आदरणीय सदन में गलत बयानी करने के लिए मन्त्री को मजबूर करते हैं, क्या यह सरकार ऐसे अधिकारी को दण्डित करने का काम करेगी ? माननीय वित्त मन्त्री जो इस वक्त बैठे हैं, इन्होंने उस समय जबाव दिय था और पुरजोर तरीके से कहा था कि हथकड़ी लगाकर नहीं घुमाया गया था। मान्यवर, एक तो हथकड़ी लगाकर घुमाने की बात और दूसरी सदन में असत्य वक्तव्य देने पर मन्त्री को मजबूर करना।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसको शासन ने बहुत गम्भीरता से लिया है। जो हथकड़ी लगाने की बात है गजटेड आफीसर्स को, इस दोष के लिए जो जिम्मेदार थे, उनके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक को आदेश कर दिये गये हैं। श्रीमन् गलत सूचना देने के लिए जिलाधिकारी को चेतावनी देने का आदेश नियुक्ति सचिव को दे दिया गया है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, चरित्र पंजिका में तो जो कुछ आपने लिखा वह तो लिखा, लेकिन जिस व्यक्ति के आतंक से यह सब काण्ड बनाया गया, आज भी वह वहीं पर मौजूद है, जहां पर यह घटना घटी है। वह कोतवाली से दो किलो मीटर की दूरी पर है। आप खुद कहते हैं कि सेल्स टैक्स आफिसर की जीप मौजूद थी। यह सारा का सारा प्रकरण मुजफ्फरनगर की जनता ने वहां पर देखा। जो सी0 आई0 डी0 की जांच आपने कराया वह दो साल में कम्प्लीट हुई? और यदि नहीं, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, पहले प्रश्न का उत्तर 1-4-82 को प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश दे दिया गया है। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो उसमें तथ्य होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री रियासत हुसैन--

इस सवाल के महत्व को देखते हुये संशोधन उत्तर देना जरूरी समझा गया इस आधार पर यह पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने गलत उत्तर दिया था और अब संशोधित उत्तर देना जरूरी हो गया, उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

मेरे अजीज रियासत भाई का ध्यान कहीं दूसरी जगह था। सूचना देने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का था और मैंने पहले ही बताया कि जिलाधिकारी को चेतावनी देने हेतु 154-82 की नियुक्ति सचिव को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन--

आपने नियुक्ति सचिव को आदेश दे दिया है। लेकिन वह इन्ट्री हुई या नहीं हुई उनकी चरित्र पंजिका प्रविष्ट की गई या नहीं इसकी सूचना हमको चाहिये?

श्री गुलाब सेहरा--

शासन से जब कोई आदेश हो जाता है तो उसमें बीच में रुकने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जानकारी कर लें कि क्या हुआ 4 महीने का समय हो गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसकी सूचना इस समय नहीं है कि उनको कम्युनिकेट हुई या नहीं ।

श्री हुकम सिंह--

बिक्री कर अधिकारी को जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं । केवल इतनी जानकारी चाहते हैं कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें महेन्द्र कुमार डांगा का नाम गवाही में अंकित किया गया है । क्या यह कैबिनेट मन्त्री के बिजनेस पार्टनर हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल काफी लम्बी है । श्रीमन्, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है इसमें गवाह का कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मंत्री जी ने फिर सदन में गलतबयानी किया है । यदि पूरी फाइल पढ़कर आते तो उस गवाह का नाम मालूम हो जाता । इसमें रेनबो स्टील की स्क्रेप जा रहा था उसको सिपाहियों ने मुजफ्फरनगर में रोका । यह काम राजनैतिक दबाव से उनको दंडित करने का काम किया गया है । यदि नियम 218 में मैंने क्वैरी न किया होता तो शायद यह शोधन वक्तव्य न आता । इसमें कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने दबाव देकर यह साजिश किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना के सम्बन्ध में अपने ऊपर दुर्व्यवहार की शिकायत और पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने की शिकायत की एफ0 आई0 आर0 बिक्री कर अधिकारियों, जिसमें एक हरिजन भी था, ने कोतवाली में लिखाई है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने बता दिया कि बिक्री-कर अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है और इसमें सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है लेकिन एफ0आई0 आर0 में मारे-पीटे जाने के सम्बन्ध में जो लिखा है तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

दो वर्ष के बाद और नियम 218 में क्वैरी करने के बाद समस्त अभिलेख आपके सचिवालय में आ गये होंगे और जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो अपेक्षा करता हूं कि सारी पत्रावली और कागजात आपके पास होंगे लेकिन इस तरह विषयों को झुठलाना यह पूरे सदन का अवमान है । इसलिये मान्यवर, आप निर्देशित करें कि सम्भव हो तो कल मंत्री जी पूरी तैयारी करके आयें और तब जवाब दें । सदन को गमराह करना अनुचित है ।

श्री गुलाब सेहरा--

वह एफ0 आई0 आर0 अलग है, यदि उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो अलग प्रश्न दे दें तो जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ऐसा मंत्री जी नहीं कह सकते हैं । यह दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं । जानबूझकर ईमानदार बिक्री कर अधिकारियों को दंडित किया जा रहा है चूंकि मंत्री जी को सम्बन्धित फैक्टरी में बिना 31 बी फार्म भरे सामान जा रहा था जिससे उन्होंने रोका था और इसीलिये मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार हुआ था । दो वर्ष हो गये हैं इसलिये मंत्री जी स्पष्ट इसका उत्तर दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

इस पर अलग प्रश्न दे दें चूंकि वह एफ0 आई0 आर0 अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एफ0 आई0 आर0 अलग है, लेकिन इससे सम्बन्धित है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पुरानी प्रोसीडिंग देख सकते हैं जिसमें श्री ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि एफ0 आई0 आर0 ऐसी लिखाई है । इस पर विवेचना जारी है । इसलिये पूरी जानकारी करके मंत्री जी उत्तर दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, काउन्टर एफ0 आई0 आर0 जो दी गयी है या उत्पीड़न की दी गयी है उसका प्रश्न आप दे दें उसका उत्तर मिल जायगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसका उत्तर अनुपूरक में आना चाहिये क्योंकि उसी घटना के सम्बन्ध में यह चीज है । विभाग सभी अनुपूरक प्रश्नों के बारे में उत्तर भेजता है । मंत्री जी जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और आपकी अवज्ञा कर रहे हैं । इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर आप इकट्ठा करके दें । कब तक आप उत्तर दे देंगे ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इसका विवरण जो है, किन-किन लोगों ने एफ0 आई0 आर0 करवायी, दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें ऐसी बात नहीं है। 2, 3 दिन के अन्दर आप इसको कर सकते हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

इसका उत्तर 2-3 दिन में दे दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

राजकीय निर्माण निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विभिन्न परियोजना इकाइयों के कार्यालयों में कार्यालय सहायकों तथा अन्य तकनीकी पदों पर अनेक क्वालीफाइड लोग मात्र दैनिक वेतन के आधार पर कई-कई वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी सेवा के नियमितीकरण की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें कब तक नियमित किये जाने का विचार है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां।

निगम कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्थान (कम्पनी) है। उसे इस सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेना है। शासन द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में नीति-निर्धारण एवं तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही निगम के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के बारे में मैंने सवाल किया है वह लोग निगम के कर्मचारी हैं और क्वालीफाइड होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। तो जब इस अनियमितता का ज्ञान शासन को प्रश्न द्वारा हुआ तो शासन ने क्या प्रयास किया कि इन लोगों को निगम नियमित करे। शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

श्रीमन, राजकीय निर्माण निगम जो कार्य करता है भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न लोग रखे जाते हैं। वह निगम के कर्मचारी नहीं होते हैं। जिनको निगम कार्य देता है वह उनके कर्मचारी होते हैं। उनके लिये निगम कोई कार्य करे या सेवा में उनको अपनाये ऐसी कोई प्रक्रिया निगम की नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिनके बारे में मैंने सवाल किया है वह लोग निगम के कर्मचारी हैं और किसी ठेकेदार के नहीं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि निगम के क्वालीफाइड आदमी जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? उनके सर्विस रूल्स बनाये गये हैं या माडल सर्विस रूल्स जो उनको भेजे गये हैं उनके तहत कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जो निगम के कर्मचारी थे उनका विनियमितीकरण हो गया है । 1 जनवरी, 1982 को निगम के 4 टेक्निकल कर्मचारी और 214 नन-टेक्निकल कर्मचारी ऐसे थे । जो टेक्निकल थे और जिनकी नौकरी 3 वर्ष की हो गयी थी निगम द्वारा उनको समायोजित कर लिया गया । यह जो 4 टेक्निकल कर्मचारी थे वह समायोजित हो गये । 214 में 65 कर्मचारी भी समायोजित हो गये हैं । बाकी लोग 3 वर्ष पूरे होने के बाद निगम में समायोजित हो जायेंगे ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो निगम के कर्मचारी हैं उनकी ज्येष्ठता सूची उनके पास उपलब्ध है या नहीं ? जो ओवरसियर्स हैं या अन्य लोग हैं मनमाने तरीके से जिसको चाहा जाता है उसका नियमितीकरण किया जाता है । नियमितीकरण करने के समय ज्येष्ठताक्रम सूची होना आवश्यक है लेकिन ज्येष्ठताक्रम सूची निगमों में उपलब्ध नहीं है और मनमाने ढंग से विनियमितीकरण वहां हो रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी निगम में ज्येष्ठता सूची के बनाये जाने के बारे में आदेश देने पर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री लोकपति--

निगम को समस्त सर्विस रूल्स बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसी निगम के अंदर दैनिक वेतनभोगी के रूप में डिप्लोमा होल्डर्स इन्जीनियर्स जो दो-दो और तीन-तीन वर्षों से कार्य करते रहे हैं, क्या उनके बारे में भी शासन ने कोई निर्णय लिया है कि उनकी सेवायें भी विनियमित की जायें ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि जो निगम के कर्मचारी हैं, उन्हीं को केवल निगम विनियमित करने की बात सोच रहा हूं और जिनके माध्यम से निगम कार्य करता है, उनके विनियमन करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

पारीछा तापीय परियोजना के निर्माण कार्य में घोटाले के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा उस पर कार्यवाही

*2--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री को पारीछा तापीय परियोजना झांसी के अन्तर्गत हुए कार्यों में अनेक अनियमितताओं एवं निर्माण कार्य में हुए भुगतानों में लाखों रुपयों के

घोटालों के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1981 को झांसी के विधायक का प्राप्त हुआ था ? क्या सरकार द्वारा उक्त घोटालों की जांच करायी गई ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

प्रश्न में वर्णित विधायक के नाम के अभाव में सम्बन्धित पत्र का ढूढ़ना संभव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना झांसी के अन्तर्गत हुए कार्यों में अनेक अनियमितताओं एवं निर्माण कार्यों में हुए भुगतानों में लाखों रुपये के घोटालों के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1981 को झांसी के किसी भी विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ।

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रश्न में झांसी के विधायक हैं और झांसी जिला भी है, मण्डल भी है ।

(हंसी)

पहले पूरी बात सुनिये । दूसरे यह कि 2-8-81 की तारीख उस पत्र में पड़ी हुई थी । डेढ़ माह का रजिस्टर ढूंढ़ने के बाद 29-8-81 का पत्र मिला है, शायद विधायक जी 9 लिखना भूल गये । उस पत्र में शिकायतें घोटाले व भ्रष्टाचार आदि की हैं, जिसे सतर्कता अधिष्ठान, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3-10-81 की जांच के लिए दे दिया गया है और आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

संदर्भित पत्र में क्या-क्या शिकायतें हैं ? इससे पहले भी क्या शिकायतें आपको इस मामले की मिली हैं और यह मामला सतर्कता अधिष्ठान में देने से पूर्व विभागी जांच भी हुयी है यदि हां तो उसके अनुसार अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

शिकायतें भ्रष्टाचार, व घोटाले आदि की हैं । इस मामले की जांच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सतर्कता विभाग जांच कर रहा है । तारीख 3-10-81 को उनको सौंपा गया है और उन्हें आदेश दिये गये हैं कि वह शीघ्रता से रिपोर्ट दें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह मामला सतर्कता अधिष्ठान को सौंपा गया है तो इसके मायने यह हुये कि मामला गम्भीर था, तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए तत्काल शासन ने कौन सी कार्यवाही की ? क्यों विजिलेंस अपनी रिपोर्ट 3 साल से पहले नहीं देगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

न्यायिक विधि के अनुसार पहले जांच होती है, फिर कार्यवाही की जाती है, रिपोर्ट के आने पर जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

श्री ऊदल--

यह मामला सतर्कता आयोग को सरकार ने स्वयं भेजा है या किसी इंजीनियर के द्वारा लिखे गये पत्र के आधार पर ?

श्री ब्रह्म दत्त--

संदर्भित पत्र में की गयी शिकायतों के आधार पर यह मामला सतर्कता अधिष्ठान को दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कम से कम 50-60 लाख रु0 का घोटाला है, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मेरे द्वारा 29-8-81 को पत्र प्राप्त हो गया, तो क्या इस पर कोई विभागीय जांच हुई है और परीक्षा तापीय परियोजना, झांसी के अन्तर्गत हुए कार्यों में जिनको दोषी पाया गया है, उनके नाम क्या हैं? जिनके ऊपर आरोप लगाये गए हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जिन पर दोषारोपण किया गया है, वे 8 हैं--परियोजना प्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अधिशासी अभियन्ता। सतर्कता अधिष्ठान इसकी जांच कर रहा है, वही सबसे पावरफुल एजेन्सी है ।

[मंगलवार, 24 अगस्त, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् के गठन के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिया गया निर्णय

*1--श्री कुबेर भंडारी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि महामंत्री राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 7-8-81 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार पुलिस कर्मियों को अपना संगठन बनाने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संगठन को मान्यता देने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

शासन को नहीं, ऐसा एक पत्र पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ था । उक्त अवैध संगठन को मान्यता प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त पत्र जो गया है, निरीक्षक को प्राप्त हुआ था, किसके हस्ताक्षर से भेजा गया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह पत्र जो प्राप्त हुआ है, इसमें "इल जिबिल" दस्तखत हैं और पूरा विवरण नहीं है।

श्री भीखा लाल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों की जो मीटिंग दिल्ली में हुई, उसमें यह संगठन के बनाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ? यदि आज्ञा दी गयी तो क्या शर्तें हैं और क्या निर्णय है ?

श्री गुलाब सेहरा--

कोई निर्णय नहीं लिया गया। केवल एक सब-कमेटी इस पर विचार करने के लिए नियुक्त कर दी गयी।

श्री सूबेदार सिंह--

चूंकि अभी हाल में महाराष्ट्र में, हरियाणा में और पंजाब में पुलिसजनों ने भारी असन्तोष व्यक्त किया है इसको दृष्टि में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यह पुलिस वालों का मौलिक अधिकार है, क्या इसको मान्यता देने पर विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जनहित में इस पर कोई विचार करना संभव नहीं है।

श्रीमती मीरा बख्शी द्वारा मुख्य मंत्री निवास पर धरना तथा उनकी मांगें

* 2-श्री हुकम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मीरा बख्शी नामक महिला ने अप्रैल, 1982 के प्रथम सप्ताह में कुछ मांगों को लेकर मुख्य मंत्री निवास के समक्ष अनशन किया जिस पर उनको बलपूर्वक वहां से हटाकर चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया ? श्रीमती मीरा बख्शी की मुख्य मांगें क्या थीं ? क्या उनमें गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध भी आरोप सम्मिलित थे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना के अनुसार एक महिला, दिनांक 8-4-82 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से भेंट करने के लिए उनके निवास पर गई थी। मुख्य मंत्री जी उस दिन लखनऊ में नहीं थे। वह महिला भेंट न होने की स्थिति में मुख्य मंत्री के निवास स्थान के सामने सड़क के किनारे पर बैठ गई। दिनांक 9-4-82 को इस बात की सूचना थाना हजरतगंज को टेलीफोन पर मिली कि श्रीमती मीरा बख्शी नामक एक महिला अमुक स्थान पर बैठी है और बैठे-बैठे ऊंघ सी जाती है। अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी स्थल पर गए और इन महिला को अस्वस्थ देखकर उनकी सहमति से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां से वे 13-4-82 को घर चली गईं। इन महिला ने उस समय कोई मांग प्रस्तुत नहीं की थी, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बेलफेयर स्टेट का हाल है कि एक महिला मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए जाय और दो दिन प्रतीक्षा करने के बाद उसको मुख्य मंत्री जी से भेंट न हो सके। माना कि 8 तारीख को मुख्य मंत्री नहीं थे, ठीक है परन्तु 9 तारीख को भी वह वहां पर बैठी रहीं सड़क पर परन्तु मुख्य मंत्री जी से उसकी भेंट नहीं हो सकी। तो क्या 9 तारीख को भी मुख्य मंत्री नहीं थे ? और यदि थे, तो एक महिला से उनकी भेंट न हो सकने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने महिले ही कहा कि उसने कोई मांग-पत्र नहीं दिया।

श्री हुकम सिंह--

मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न मांग-पत्र से सम्बन्धित नहीं है। मेरा प्रश्न तो उस महिला से मुख्य मंत्री जी की भेंट न हो सकने से सम्बन्धित है कि क्यों उसकी भेंट मुख्य मंत्री जी से नहीं हो पायी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, उसको 9 तारीख को ही अस्पताल में भेज दिया गया यदि मुख्य मंत्री होते तो भेंट जरूर करते।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब श्रीमती मीरा बख्शी को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया तो मैं उनसे मिलने अस्पताल गया था। तो जब उनको अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी सिविल अस्पताल भर्ती कराने के लिए ले गए तो उनसे पता किया होगा कि आप क्यों यहां पर बैठी हुई हैं और उनसे पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने कौन सी सूचना एकत्रित की वह अभिलेख तो होंगे, कृपया उन्हें ही मंत्री जी बतला दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

उन्होंने कोई सूचना क्षेत्राधिकारी या सिटी मैजिस्ट्रेट को नहीं दी।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को अवगत है कि जो महिला मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए गयी थीं वे मीरा बख्शी थीं और काफी परेशान थीं पहले उन्होंने अपनी परेशानी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को पत्र लिखे थे परन्तु जब उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया तो वे मजबूर होकर वहां भेंट करने के लिए गयीं और धरना दे बैठीं। तो क्या माननीय मंत्री जी उन पत्रों के सम्बन्ध में जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को भेजे थे पहिले ही और जिनका उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था, उनके सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि उनका कोई पत्र मुख्य मंत्री के नाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह एक महिला का प्रश्न है। क्या मंत्री जी को यह पता है कि श्रीमती मीरा बख्शी जी हैं वे राजा बख्शी की वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के पति उनके भी पति थे ?

श्री लोकपति--

हाऊ डू यू नो दिस ? मान्यवर, मीरा बख्शी जी हैं वह श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के पति की पत्नी हैं, इसको ये कैसे जानते हैं ? मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह किसी का व्यक्तिगत मामला है और इस प्रश्न से सदन का समय तीन मिनट का व्यतीत हो चुका है। मीरा बख्शी का कोई पति है भी या नहीं, यह मामला कोर्ट या न्यायालय के तय करने का है। यह न्यायालय का अधिकार है, यह सदन का समय बर्बाद करने का विषय नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह तो आपको चुनौती है। यह एक अबला महिला का प्रश्न है, मान्यवर।

(व्यवधान)

मान्यवर, मंत्री जी सदन में तथ्यों को नहीं आने देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विचारों का आदर करें।

श्री मोहन सिंह--

मैं मान्यवर, विमला रस्तोगी के बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। यह प्रश्न तो मीरा बख्शी का है वह अपने को राजा बख्शी का वास्तविक उत्तराधिकारी बतलाती हैं। क्या माननीय मंत्री जी के समक्ष या शासन के समक्ष उनका और श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के उत्तराधिकार का विवाद आया है और उस पर शासन कोई निर्णय नहीं ले पाया है ?

(प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए। उत्तर देने के लिए मंत्री जी खड़े भी हो गए थे।

श्री उपाध्यक्ष--

वे मेरी आज्ञा के बिना ही खड़े हो गए थे।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो हो जाने दें। एक अबला महिला का प्रश्न है मान्यवर, यह तो।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक महिला परेशान है और यह तथ्य को छिपा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप लोगों के महिला प्रेम से काफी प्रभावित हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री लोकपति--

मान्यवर, यह न्यायालय का मामला है, वहां यह जायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं चाहूंगा कि बख्शी परिवार के झगड़े में सदन का समय बर्बाद न करें।

श्री नन्दू पुत्र गयादीन, निवासी शिवपुरी मदनापुर, थान तालगांव, जिला सीतापुर को बिसवां की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*3--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्हू पुत्र गयादीन, निवासी शिवपुरी मदनापुर, थाना तालगांव, जिला सीतापुर ने एस0 पी0 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें दिनांक 25-3-82 को बिसवां पुलिस ने लगभग 9 बजे दिन में नन्हू को पकड़ कर मारा पीटा और फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी तथा जब वह बहुत परेशान हुआ तो दो हजार रुपया पहले पुलिस ने लिया और उसके बाद 6 हजार रुपया दूसरे दिन प्रातः ले करके इस आश्वासन के साथ छोड़ा कि वह दो हजार रुपया छूटने के बाद दे जायेगा? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? और यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना बिसवां पर अभियोग अन्तर्गत धारा 161/330-332 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

लगभग 5 माह इस प्रार्थना-पत्र को दिए हो गए और अभी तक उसकी विवेचना हो रही है। थाना बिसवां अपने काले करनामों से पूरे इलाके में बदनाम है। वहां के थाना इंचार्ज राधेश्याम शर्मा ने पैसे ले लेकर तीन कत्ल करवाये हैं। एक अनिल साहू का 25-5-82 को कत्ल हुआ और श्यामलाल का 12-2-82 को कत्ल हुआ तथा लालजी का 29 अप्रैल को कत्ल हुआ, इस तरह से इन तीनों केसेज के बारे में दरख्वास्त दी गयी जिसकी अभी तक विवेचना चल रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि थाना इंचार्ज श्री राधेश्याम को निलम्बित कर इन तीनों केसेज के बारे में जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री गुलाब सेहरा--

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि उस थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया है और उसकी विवेचना इस वक्त जारी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उसकी विवेचना कौन कर रहा है और इसे कब सन्दर्भित किया गया और इसके समाधान के लिए जो विवेचना जारी है, इतने दिनों के बाद भी उसके पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

इस आशय की शिकायत मिली थी कि प्रार्थी से वह थानेदार 10 हजार रुपए की मांग कर रहा है जिसमें से 6 हजार रुपया उससे पहले ले लिया, फिर 2 हजार रुपए ले लिया । इसके बाद और मांग करने पर प्रार्थी ने जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया तो इस पर उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया । केस रजिस्टर करने के बाद उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया है और एक विशेष एस0 आई0 ने उसकी विवेचना शुरू कर दी है ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मेरे ख्याल से श्री राधेश्याम शर्मा तो वहां के एस0 ओ0 हैं । शायद उनके पूर्व कोई एस0 ओ0 था जिससे सम्बन्धित यह केस है ?

श्री गुलाब सेहरा--

उसका नाम श्रीकान्त दीक्षित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विवेचना कौन कर रहा है ? अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि एक सब इंसपेक्टर कर रहा है जब कि वह थानाध्यक्ष भी एक सब इन्सपेक्टर ही है ।

मैं जानना चाहता हूं कि एक एस0 आई0 की विवेचना दूसरे एस0 आई0 से कराने का क्या कारण है ? किसी वरिष्ठ एस0 पी0 या डी0 एस0 पी0 से विवेचना न कराने का क्या कारण है ? विवेचना कब संदर्भित की गई और अब तक रिपोर्ट न आने का क्या कारण है ? सरकार इस तरह का कोई आदेश देगी कि विवेचना शीघ्र पूरी करके चार्जशीट दी जाय ?

श्री गुलाब सेहरा--

सरकार की नीयत में सन्देह करना व्यर्थ है । एस0 एस0 पी0 ने इस केस की विवेचना में दिलचस्पी ली है और एक विशेष एस0 आई0 द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि एस0 आई0 की विवेचना दूसरे एस0 आई0 से क्यों कराई जा रही है ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह नीति बनाई है कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो तो उससे दो दर्जे ऊपर के अधिकारी से जांच कराई जायेगी ? तो यहां जब एस0 आई0 के खिलाफ शिकायत है तो दूसरे एस0 आई0 से जांच कराने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

पहले से आप यह समझ लें कि जांच ठीक नहीं होगी तो यह ठीक नहीं है । पुलिस विभाग में बहुत ईमानदार व्यक्ति भी हैं लेकिन वहां के एस0 एस0 पी0 ने एक ऐसे विशेष एस0 आई0 को जांच का कार्य सौंपा है जिसमें सही तथ्य अवश्य सामने आ जायेंगे ।

साढ़ूपुर में हुए हरिजनों के सामूहिक नरसंहार में मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी सहायता को वापस किया जाना

*4--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 30-12-81 को साढ़ूपुर में हुये हरिजनों के सामूहिक नर संहार से प्रभावित परिवारों को जो तात्कालिक सहायता मुबलिग 8,500 रुपयों की सरकार ने दी थी, उसे बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री ब्रजमोहन जी के माध्यम से सम्बन्धित हरिजनों ने दिनांक 23-2-82 को मुख्य मंत्री जी से मिलकर लौटाने की चेष्टा की और मुख्य मंत्री द्वारा उक्त धनराशि वापस न लेने पर दिनांक 24-2-82 को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, हजरतगंज, लखनऊ में श्री ब्रजमोहन जी ने मुख्य मंत्री के खाते में जमा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

दिनांक 30-12-81 को साढ़ूपुर, जनपद मैनपुरी में हुई घटना से प्रभावित परिवारों को जो तत्कालिक सहायता मुबलिग 8,500 रु0 की दी गई थी, उसे बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री ब्रजमोहन जी के माध्यम से सम्बन्धित हरिजनों द्वारा दिनांक 23-2-82 को मुख्य मंत्री द्वारा उक्त धनराशि को वापस न लेने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

स्टेट बैंक, लखनऊ में "पी0 एस0 ए0 मुख्य मंत्री प्रतिरक्षा कोष" के खाते में दिनांक 24-2-82 को 8,500 रु0 श्री ब्रजमोहन द्वारा जमा किया जाना पाया गया है । यह धनराशि प्रधान मंत्री प्रतिरक्षा कोष में जमा कर दी गई है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह पैसा श्री ब्रजमोहन जी के माध्यम से साढ़ूपुर के पीड़ित परिवारों ने किन कारणों से लौटा दिया ? क्या उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि जो बेहमई में प्रथम तात्कालिक सहायता दी गई, उससे साढ़ूपुर में दी जाने वाली तात्कालिक सहायता की धनराशि कम थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस संदर्भ में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि श्री बृजमोहन जी को जो रुपया वापस किया गया वह इसलिये कि बाबू जगजीवन राम जी के सुपुत्र ने उनको यह आश्वासन दिया था कि वे प्रत्येक मृतक के आश्रित को 25 हजार रुपया देंगे, आप हमारे साथ दिल्ली चलिये। वे दस परिवारों को दिल्ली ले गये और वहां उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को तीन-तीन सौ रुपया दिया।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न से अलग हटकर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप मूल प्रश्न देखने की कृपा करें। प्रश्न यह था कि क्या जो प्रभावित लोग थे। साढ़ूपुर के, उन्होंने कोई रुपया वापस कर दिया ? मंत्री जी ने कहा "जी नहीं"। उसके उत्तरार्द्ध में मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बृज मोहन जी ने जाकर बैंक खाते में रुपया जमा किया। इस प्रकार मंत्री जी ने स्वीकार किया कि रुपया बैंक में जमा किया गया और इस प्रकार पैसा वापस हो गया। उसके बाद प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न पूछा उस पर मंत्री जी ने अपनी जानकारी की बात कहकर बात उड़ा दी वह तो उनकी जिम्मेदारी है। जब सरकार को ऐसी सूचना मिली कि साढ़ूपुर के जिन लोगों ने पैसा वापस कर दिया। उनकी कुछ और मांगे थी, क्या शासन को इस बात की जानकारी है। मैं भी गया था और माननीय मंत्री जी भी गये थे उनका कहना था कि हम गरीब हरिजन हैं इसलिए पैसा कम दिया गया और अन्य लोगों को पैसा अधिक दिया गया है। क्या इस बारे में भी माननीय मंत्री जी ने जानकारी कर ली है। उन हरिजनों ने पैसे के अतिरिक्त जमीन की भी मांग की है अगर की है तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

वहां के ग्राम वासियों से रुपया ले लिया गया और कहा गया कि 25-25 हजार रुपये देंगे, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है। उन्होंने यह रुपया पी0 एस0 ए0 में जमा कर दिया है। उनको 15-15 हजार रुपया मिल चुका है। जो घायल हैं उनको 4-4 हजार रुपया मिल चुका है। वहां पर हाउस के लिए सड़क के लिये कुटीर उद्योगों के लिए कार्यवाही प्रगति पर है।

थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के खिलाफ श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का शिकायती-पत्र

*5--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आई0 जी0 पुलिस एवं गृह राज्य मंत्री को 26-3-82 का लिखा शिकायती पत्र, जो थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के सम्बन्ध में है, मिला है ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 26-3-82 पुलिस अधीक्षक,

देवरिया का उप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ था ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः कोई अन्य अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी कौन था ? शिकायतकर्ता मैं था, उनसे मेरा कोई सम्पर्क हुआ नहीं और घटना से सम्बन्धित लोगों से भी जांच अधिकारी ने कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया तो इस प्रकार के दोषी कर्मचारी और अधिकारी को दंडित करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा कि प्रार्थना-पत्र दिया गया था उस पर जांच की गयी, अब कोई अधिक जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच की जो प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी उसको नहीं किया गया । शिकायत कर्ता को मौका मिलना चाहिए । शिकायत कर्ता माननीय सदस्य हैं तो फिर इस प्रकार जांच करने का कोई औचित्य नहीं है । इसको गम्भीरता से लेना चाहिए ।

श्री गुलाब सेहरा--

दुर्गा प्रसाद मिश्र यह विधायक नहीं हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैंने शिकायत की है और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं मैंने शिकायत सदस्य, विधान सभा के पैड पर किया था ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय दुर्गा प्रसाद जी यहां पर खड़े हैं । माननीय मंत्री जी को चाहिए कि वह माफी मांगे नहीं तो हम लोग वाक आउट करेंगे ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, इसी प्रकार से जांच करायी गयी है ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, ऐसा नहीं है कि माननीय मिश्रा जी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिये मैंने कहा हो । जो प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि है । उसमें विधायक नहीं लिखा हुआ है । उसमें दस बिन्दुओं पर आपने जांच पड़ताल की मांग की है । उस पर क्षेत्राधिकारी और देवरिया के एस० पी० ने कुछ बिन्दुओं पर अपनी आख्या प्रस्तुत की है और यह प्रमाणित किया है कि जो प्रश्न उठाये गये हैं वे सत्य से परे थे ।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रश्नकर्ता श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, विधायक का प्रार्थना-पत्र उनको प्राप्त हुआ और प्रश्न कर्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र का कहना है कि जांच अधिकारी ने उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं किया। तो क्या यह सही है कि पुलिस ने किसी और व्यक्ति के बयान लेकर इस शिकायत को नकार दिया हो ?

श्री गुलाब सेहरा--

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र है। श्रीमन्, इस हाउस में जो भी प्रश्नकर्ता होगा वह विधायक ही होगा और विधायक न होता तो वह प्रश्न ऐजेन्डे में कैसे आता। आउट साइडर तो यहां प्रश्न दे नहीं सकता। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको एक प्रार्थना-पत्र मिला है जिसके ऊपर उन्होंने इन्क्वायरी की है जिसमें किसी विधायक का जिक्र नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि इन्क्वायरी करने वाले अधिकारियों ने जानबूझ कर विधायक के पत्र को छिपाने का प्रयास किया है और उसकी गम्भीरता को न रखकर एक साधारण व्यक्ति की शिकायत समझकर जांच की है, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा कि जो यह प्रार्थना-पत्र था उसमें जिक्र नहीं था। आख्या में विधायक का जिक्र है। मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य लिखने के पहले विधायक जरूर लिख दिया करें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देते हैं तो उनका ऐक्शन भी देखने की कृपा करें। विधायक की इस तरह से शिकायत करने पर बोलते हुये हंसते हैं। इससे बढ़ कर शर्म की और क्या बात हो सकती है। दुर्गा प्रसाद मिश्र नाम का कोई विधायक नहीं है, जब कि वे सामने खड़े होकर शिकायत-कर्ता हैं और कह रहे हैं कि मैंने शिकायत की है। यह बड़े शर्म की बात है। इस बात पर मंत्री जी को क्षमा मांगनी चाहिये।

(व्यवधान)

विधायक ने प्रार्थना-पत्र दिया है। उसका उत्तर नहीं आ रहा है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः इन्क्वायरी कराने की कृपा करें और सम्बन्धित डी० एस० और एस० पी० जिन्होंने बगैर शिकायतकर्ता से पूछे इन्क्वायरी की है उनको दण्डित करने की कृपा करें।

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें जो जांच हुई है उसमें आख्या रिपोर्ट में विधायक का जिक्र है और उसको महत्व देते हुये जांच की गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं हैं क्या आप उनकी जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें जो रिपोर्ट आई है वह सी0 ओ0 ने दी है और एस0 पी0 ने उसका अनुमोदन किया है। इसके अलावा आप चाहें तो डी0 आई0 जी0 से जांच करा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

पुनः मंत्री जी जो प्रश्न है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो प्रश्नकर्ता विधायक हैं वह कहते हैं कि रिपोर्ट जो आई है उसमें मुजसे पूछा नहीं गया, बगैर प्रश्नकर्ता से पूछे ही रिपोर्ट दे दी है जो कि सही नहीं हो सकती है। क्या इसके ऊपर माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और दूसरी इनक्वायरी करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा 10 बिन्दुओं पर उन्होंने आपत्ति की..

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रकार का उत्तर हम नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, शासन अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रश्नकर्ता विधायक कह रहे हैं उनसे इनक्वायरी करते समय पूछा नहीं गया और रिपोर्ट आ गयी। तो क्या उसको सही न मान कर पुनः जांच करायेंगे और जो प्रश्नकर्ता विधायक के बगैर पूछे रिपोर्ट दे दी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

विधायक ने साफ कहा है कि उनसे पूछा नहीं गया इस पर विचार कर और जैसा माननीय नेता विरोधीदल ने अपनी भावना व्यक्त की इस पर जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रदेश के बुक स्टालों में अश्लील पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की बिक्री

*6—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकांश बुक स्टालों पर अश्लील पुस्तकें तथा पत्रिकायें व प्रिंट खुले आम बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अश्लील पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासन की सूचनानुसार प्रदेश के बुक स्टालों पर अश्लील पुस्तकें, पत्रिकायें व प्रिन्ट खुले आम नहीं बेचे जा रहे हैं। ऐसे साहित्य, चित्रों आदि का मुद्रण, वितरण, लोक प्रदर्शन आदि भारतीय दन्ड संहिता की धारा 292 व 293 के अन्तर्गत हस्तक्षेपीय तथा दन्डनीय अपराध है। अतः अलग से रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या इस संबंध में शासन द्वारा किसी बुक स्टाल पर छापा मारा गया और जांच कराई गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जहां शिकायत मिलती है वहां छापे मारे जाते हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

अश्लील पुस्तकें और पत्रिकायें छापी जा रही हैं और बिक रही हैं मेरे पास यह प्ले ब्वाय है इस किताब को मंत्री जी देख लें फिर भी मंत्री जी नहीं मान रहे हैं वह इसे देख कर संतुष्ट हो जायें कि कितनी गंदी किताबें छप रही हैं तो इस पर कार्यवाही करेंगे ?

(मंत्री उत्तर देने के लिए नहीं खड़े हुये)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जिस एक्ट का हवाला दिया उसके अंतर्गत ऐसी किताबें छापना कागनिजिबिल आफेंस हैं उसमें कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन अपने गृह विभाग को जारी करने की कृपा करेंगे कि जहां इस तरह के लिट्रेचर बिकते हों उसकी अपने आप कागनिजेंस लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस प्रकार के निर्देश जारी कर देंगे।

श्री खलील बशर—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार की यही पालिसी है कि ऐसे अश्लील साहित्य छापे जायं ? क्या आप इसकी जानकारी करके सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजय सिंह राना—

क्या बसन्त प्रकाशन, आगरा पर अश्लील साहित्य प्रकाशित करने का कभी का कोई मुकदमा चला है ? यदि चला है तो वह कब चला और उसका निर्णय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह वह कैसे बता पायेंगे ?

श्री विजय सिंह राना—

यह आगरा के रहने वाले हैं और यह आगरा का प्रकाशन है, यह सब अच्छी तरह जानते हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, यह दोनों पुस्तकें भी बसन्त प्रकाशन से छपी हुई हैं। यह देख लीजिए ..

(व्यवधान)

(श्री गोपीनाथ वर्मा ने दोनों पुस्तकें सदन के बीच में फेंक दीं)

श्री उपाध्यक्ष—

यह उचित नहीं है ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, यह मेरे सवाल का जवाब दे दें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या यह फैजाबाद की है ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

फैजाबाद की नहीं बाराबंकी की है।

दिल्ली के यू0 पी0 निवास व यू0 पी0 भवन में कक्षों के किराये में वृद्धि

*7—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास व यू0 पी0 भवन का किराया किस आधार पर बढ़ा कर बारह रुपये रोज कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि कमरा नं0 18 का एक पलंग का पांच दिन का साठ रुपया किराया लिया गया, जिसकी लिखित शिकायत प्रश्नकर्ता ने प्रबन्ध अधिकारी यू0 पी0 निवास को 7-1-82 को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

"उत्तर प्रदेश भवन" के निर्मित हो जाने के पश्चात् "उत्तर प्रदेश निवास" तथा "उत्तर प्रदेश भवन" के विशेष कक्षों के किराये में समानता कायम करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश निवास" के कक्षों का किराया बढ़ाकर रुपये बारह प्रतिदिन कर दिया गया है। इस किराये में बिजली परिव्यय तथा धुलाई परिव्यय भी सम्मिलित है जो कि पूर्व में अलग से लिया जाता था।

नियमावली के अन्तर्गत साधारण कक्षों में एक पलंग का किराया 5 रुपया प्रति दिन लिया जाता है परन्तु विशेष कक्षों में रुकने की स्थिति में पूरे कक्ष का किराया रुपये 12 प्रतिदिन की दर से देय होता है। कक्ष संख्या 18 विशेष कक्ष है, अतः उसका किराया 12 रुपया प्रतिदिन की दर से पांच दिन के लिये 60 रुपया प्राप्त किया गया।

माननीय सदस्य के शिकायती पत्र पर जांच की गई और चूंकि कक्ष का किराया नियमानुसार ठीक लिया गया था, अतः उन पर कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त जगतपाल पासी की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु सम्बन्धी रिपोर्ट

*8—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या से सम्बन्धित जिस जगतपाल पासी को जनपद बांदा में अप्रैल, 1982 को जगतपाल के मुठभेड़ में मारे जाने की रिपोर्ट जनपद बांदा व जनपद इलाहाबाद के पुलिस अधिकारियों द्वारा अलग-अलग प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोनों जनपद के पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट क्या है तथा उनमें कौन रिपोर्ट सत्य है और मिथ्या रिपोर्ट कौन सी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वस्तु जगतपाल पासी जनपद बांदा में मुठभेड़ में मारा गया था। अतएव इस प्रकरण में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद की आख्या प्राप्त नहीं हुई थी। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बांदा ने एक सूचना दिनांक 10-4-82 को भेजी थी जिसमें जगतपाल पासी को दिनांक 8/9 अप्रैल, 1982 की रात्रि बांदा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे जाने का उल्लेख था।

मथुरा निवासिनी श्रीमती कटोरी देवी द्वारा जिलाधिकारी के यहां धरना

*9—श्री बदन सिंह तथा श्री विजय सिंह राना—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कु0 कटोरी देवी अध्यापिका दिनांक 21 मार्च, 1982 से आगरा कलक्ट्रेट पर मथुरा पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध धरना दे रही है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य मांग क्या है और शासन ने उस मांग को पूरी करने की क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कुमारी कटोरी देवी पुत्री श्री राम चन्द्र अग्रवाल, निवासिनी दलपति खिड़की मथुरा, थाना कोतवाली, मथुरा के पुलिस निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ किए गए तथा कथित अभद्र व्यवहार मारपीट, लूटपाट तथा झूठा मुकदमा लगाने आदि की शिकायत के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्य वाही की मांग को लेकर जिलाधिकारी, आगरा के यहां दिनांक 2-3-82 से 8-3-82 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक धरना पर बैठीं। तत्पश्चात वे पुनः 29-3-82 से धरना पर बैठीं।

कुमारी कटोरी देवी के आरोपों की पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा जांच की गई जिससे आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

शासन ने प्रार्थिनी के आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा को अभिदिष्ट कर दी है।

श्रीमती डेजी निवासिनी मोहल्ला कोरियान बिलारी मुरादाबाद की अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुरादाबाद के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 तथा महामंत्री आल इंडिया कांग्रेस पार्टी श्री बंसत दादा पाटिल व अन्य विधायकों के पत्र

*10-श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री को विदित है दिनांक 19-9-81 को पी0 एस0 बिलारी, जिला मुरादाबाद में श्रीमती डेजी पत्नी श्री जगदीश (बाल्मीकी) निवासी मोहल्ला कोरियान बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा एफ0 आई0 आर0 दिनांक 19-9-81 को उसके साथ अधिशासी अधिकारी नगरपालिका द्वारा बलात्कार करने के प्रयास के सम्बन्ध में लिखाई ? क्या उस पर तुरन्त उचित कार्यवाही करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री को श्री बसन्त दादा पाटिल महामन्त्री आल इंडिया कांग्रेस पार्टी का दिनांक 29-9-81 श्री जीराज सिंह मौर्य, क्षेत्रीय विधायक का दिनांक 4-10-81 और अकबर हुसैन, विधायक का दिनांक 30-10-81 को पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

श्री बसंत राव पाटिल का पत्र दिनांक 24-10-81 का प्राप्त हुआ था न कि 29-9-81 का और श्री अकबर हुसैन, विधायक का पत्र दिनांक 30-9-81 का प्राप्त हुआ है न कि 30-10-81 का।

2--श्रीमती डेजी की शिकायत पर अपराध संख्या 476/81 अन्तर्गत धारा 354 आई0 पी0 सी0 थाना बिलारी में दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की गई। विवेचना के उपरांत इस मामले में फायनल रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। प्रश्न में संदर्भित पत्रों पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच कराई गई और जांचोपरांत शिकायत निराधार पाई गई।

प्रदेश के विधायकों के निवास हेतु हास्टल टाइप भवनों का निर्माण

*11—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विधायकों के निवास हेतु प्रत्येक जनपद में होस्टल टाइप भवन बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी नहीं ।

विधायकों को आवासीय सुविधायें उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश सं० 23 सन 1980) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध होती हैं । उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा 16 (1) में निम्नवत प्राविधान है :—

"प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का, किराये का भुगतान किए बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिए व्यवस्था की जाय ।"

अतः प्रत्येक जनपद में प्रश्नगत होस्टल टाइप भवन बनाने या उसके शासन के विचाराधीन होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम पटखौली, थाना केराकत, जिला जौनपुर निवासी श्री कैलाश नाथ पाठक का अपहरण

*12—श्री प्रभू नारायन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के पुलिस स्टेशन केराकत के अन्तर्गत ग्राम पटखौली के कैलाश नाथ पाठक पुत्र श्री जैराम पाठक का दिनांक 19-9-81 को बलात् अपहरण कर लिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय पुलिस अब तक न तो कैलाश पाठक का ही पता लगा पाई और न अपहरणकर्ताओं का ही ? क्या सरकार ऐसे अराजक तत्वों को दण्डित कर क्षेत्रीय जनता को भय मुक्त करेगी ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैलाश पाठक के अपहरण एवं सम्भावित हत्या के सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान अभियोग धारा 364 भा० दं० वि० में तरमीम किया गया । इस मामले में काफी प्रयास करने के बाद भी श्री कैलाश नाथ पाठक का कोई पता नहीं चला । पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

सनद पद्धति से राजकीय अथवा ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण योजना

*13—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सनद पद्धति से राजकीय अथवा ग्राम समाज की भूमि पर प्रदेश के नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण करने की व्यवस्था की

विस्तृत जानकारी देगी और क्या यही व्यवस्था प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में भी लिखी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

सड़क व नहर के किनारे, ग्राम समाज की भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक या स्थानीय निकायों की भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों से वे फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि का उपयोग कर सकेंगे, एक सनद दिये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है । इसकी विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जा रही है । इसके अतिरिक्त पौधालयों में एक दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाकर भी यह जानकारी ग्रामीण जनता को दी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक विधान सभा की प्रवर समिति के समक्ष विचाराधीन है । अतएव समिति की संस्तुतियों पर विचार करके विधान मण्डल द्वारा उसे किस रूप में पारित किया जायेगा, यह कह पाना सम्भव नहीं है ।

*14—श्री सन्त बक्स रावत—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

आजमगढ़ पालीटेक्निक स्कूल में एस0 टी0 एस0 के प्रवेश में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*15—श्री राज कुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री द्वारा कृपया बतायेंगे कि उन्हें आजमगढ़ पालीटेक्निक स्कूल में एस0 टी0 एस0 में प्रवेश हेतु तथा प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्त्ता का आवेदन दिनांक 9 अक्तूबर, 1980, 10 दिसम्बर, 1980 तथा 14 जनवरी, 1981 प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? और इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रान्तीय खण्ड गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया कथित पत्र

*16—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 21 अगस्त, 1981 को अपने पत्र संख्या 54/32 विविध द्वारा संयक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सा0 नि0 अनु0 11 लखनऊ को कुछ सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो वे सड़कें कौन हैं और स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब का कारण क्या है ? ये सड़कें कब तक निर्मित कराई जायेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*17--श्री राधेश्याम पटेल--

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वीर स्मारक इन्टर कालेज, मेरठ के अध्यापकों के दो गुटों में मारपीट

*18--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को वीर स्मारक ई0 का0 बड़ौत, मेरठ के सहायक अध्यापक श्री रणवीर सिंह तोमर के ऊपर प्रधानाचार्य कार्यालय में घातक प्रहार किया गया था ? हमलावरों की गिरफ्तारी न होने के कारण संस्था चार सप्ताह से अधिक से बन्द पड़ी रही ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार वीर स्मारक इन्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ में दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को कालेज प्रांगण में अध्यापकों के दो गुटों में मार-पीट तथा तोड़-फोड़ की घटना घटित हुई । इस सम्बन्ध में दोनों ओर से पंजीकृत कराये गये मुकदमों की विवेचना पूर्ण करके अंतिम आख्या प्रेषित की जा चुकी है ।

शांति व्यवस्था की दृष्टि से परगनाधिकारी, बागपत के आदेशानुसार उक्त कालेज दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 से 12 जनवरी, 1982 तक बंद रहा । उसके बाद कालेज खुला, परन्तु कुछ अध्यापकों द्वारा पाठन कार्य का बहिष्कार किया गया । दिनांक 16 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1982 तक कालेज के शिक्षकों द्वारा कतिपय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन भी किया गया, जो दिनांक 31 जनवरी, 1982 को दोनों गुटों में समझौता होने पर समाप्त हो गया ।

दीवानी कसहरी देवरिया में हड़ताल

*19--श्री हरिवंश सहाय--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दीवानी कचेहरी, देवरिया के कर्मचारी एवं न्यायाधीश दिनांक 6 मार्च, 1982 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो हड़ताल का कारण क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दीवानी कचहरी, देवरिया के कर्मचारी दिनांक 6 मार्च, 1982 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गये थे, जिसमें न्यायाधीशगण सम्मिलित नहीं थे । यह हड़ताल दिनांक 15 मार्च, 1982 को समाप्त हो गई और दिनांक 16 मार्च, 1982 से न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ।

उक्त हड़ताल का कारण यह था कि न्यायालय अमीन श्री प्रद्युम्न मिश्र व उनके चपरासी दिनांक 5 मार्च, 1982 को मेलुआनी बाजार, थाना मलुआनी, जनपद देवरिया न्यायालय द्वारा जारी वारन्ट दखल दहानी व कुर्की की तामीली करने गये थे। उन्हें थानाध्यक्ष, मेलुआनी व उनके सहयोगी द्वारा शांति भंग की आशंका को देखते हुये, गिरफ्तार कर लिया गया था। उपर्युक्त घटना की जानकारी होने पर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने लिखित प्रस्ताव पारित करके यह मांग की कि जब तक सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जायेगा, तब तक वे न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे और न्यायालय के ताले नहीं खोलेंगे। जिला न्यायाधीश द्वारा कर्मचारियों से विचार विनिमय करने पर कर्मचारियों ने दिनांक 15 मार्च, 1982 को हड़ताल वापस ले ली।

जिलाधिकारी के आदेश द्वारा इस मामले में परगना मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा जांच की जा रही है। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष मलुआनी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को भी प्रतिवेदन भेजा गया है जो सब जूडिस है।

*20—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

न्यायालय शुल्क की समाप्ति के प्रश्न पर केन्द्रीय विधि मंत्री का पत्र

**1—श्री जयदीप सिंह, श्री मित्रसेन तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार को अभी हाल ही में केन्द्रीय विधि मंत्री का कोई पत्र नागरिकों को न्याय दिलाने के लिये राज्यों द्वारा कोर्ट फीस का लिया जाना उचित नहीं है, विषय पर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार कोर्ट फीस समाप्त करने की घोषणा तुरन्त करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

न्यायालय शुल्क की समाप्ति के प्रश्न पर, केन्द्रीय विधि मंत्रालय से सम्बन्धित सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया गया। 7 जून, 1980 की बैठक में उक्त सलाहकार समिति ने एक उप समिति का गठन किया और उसका प्रतिवेदन मार्च, 1981 में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सलाहकार समिति ने उप समिति के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए यह संस्तुति की कि न्यायालय शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।

सलाहकार समिति की उपरोक्त संस्तुति पर विचार करने हेतु केन्द्रीय विधि मंत्री ने जून, 1982 में सभी राज्यों के न्याय मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोर्ट फीस को समाप्त न किया जाय किन्तु इसके अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन) पर विचार किया जाय। न्याय मंत्रियों के उपरोक्त सम्मेलन में पांच राज्यों के न्याय मंत्रियों की एक समिति गठित की गई जिसका प्रतिवेदन नवम्बर, 1982 तक प्राप्त होने की आशा है। इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार अग्रेतर विचार कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उस दिन सुनाया था कि कौन-कौन विभाग का उत्तर कौन-कौन मंत्री देगा, यदि वह आपको न याद हो तो मैं क्या करूं?

श्री मोहन सिंह—

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कोर्ट फीस खत्म कर दी जाय तो उससे उत्तर प्रदेश शासन की आमदनी में कितनी कमी हो जाएगी ? क्या इसके बारे में उत्तर प्रदेश शासन ने कोई आकलन करवाया है ? और जो आप नया अभिनवीकरण करने जा रहे हैं, उससे कितनी आमदनी होने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति—

अभी तो शासन के सामने इसको समाप्त करने की कोई बात है नहीं। 5 राज्यों के न्याय मंत्रियों की एक समिति बनी है, जो अपनी आख्या केन्द्रीय शासन को देगी। वहां से जो निर्णय होगा, उस निर्णय को यह शासन मानेगा, यहां विचार करेगा और उस समय में यह निर्णय लिया जाएगा कि इससे क्या आर्थिक हानि होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है ?

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, कोर्ट फीस शायद भारत के अतिरिक्त किसी भी सभ्य देश में नहीं ली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय विधि मंत्री ने प्रदेशीय सरकार को ऐसा कोई पत्र लिखा है कि नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट फीस को समाप्त किया जाना आवश्यक है, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय इस बात का उत्तर नहीं दिया है। जब केन्द्रीय विधि मंत्रालय से सम्बन्धित सलाहकार समिति और इस प्रदेश की सलाहकार समिति, जिनमें जन प्रतिनिधियों की आम राय यह है कि कोर्ट फीस का लिया जाना उचित नहीं है तो अगर जन प्रतिनिधियों की राय को आदर नहीं किया जाता तो क्या अधिकारियों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है ?

श्री लोकपति—

भारत सरकार की जो विधि मंत्रालय से सम्बन्धित सलाहकार समिति है उसमें इस विषय पर विचार हुआ। उन्होंने एक उप-समिति का गठन किया उसने कहा कि इसको समाप्त किया जाय। चूंकि यह राष्ट्रीय प्रश्न है अतः भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने विभिन्न प्रदेशों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, वे भी जन प्रतिनिधि हैं। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसको समाप्त न किया जाय बल्कि इसका अभिनवीकरण किया जाय, किस प्रकार से हो, इसके लिए 5 प्रदेशों के विधि मंत्रियों की एक समिति बनायी गयी है जिसका प्रतिवेदन इस प्रदेश में नवम्बर, 1982 तक प्राप्त होने की संभावना है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, हमने पूछा था कि क्या प्रदेश के गरीब लोगों को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए न्यायलय शुल्क की मुक्ति पर विचार करेंगे, माननीय मंत्री जी का कहना है कि प्रदेश के विधि मंत्री ने समिति में अपनी राय दी तो क्या उन्होंने प्रदेश के गरीबों की सीमा निर्धारित की कि इस स्तर तक के गरीबों को न्यायालय शुल्क से मुक्त किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस-किस प्रदेश के विधि मंत्रियों की समिति बनायी गयी है ?

श्री लोकपति—

उसमें अभिनवीकरण का मुद्दा भी है कि गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाय । जब वह रिपोर्ट आ जायेगी तब इस बिन्दु पर विचार होगा ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के विधि मंत्री ने वहां पर क्या राय व्यक्त की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि एक समिति बनी हुई है, वह उस पर विचार कर रही है ।

श्री मित्रसेन—

जब विधि मंत्रालय ने एक उप-समिति बनायी और उसने यह तय किया कि न्यायालय शुल्क समाप्त किया जाय तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के विधि मंत्री ने उस सम्मेलन में क्या राय दी ?

श्री लोकपति—

जो भी राय व्यक्त की गयी जनहित में की गयी और जब तक मामला विचाराधीन है सदन के सामने अपनी व्यक्तिगत राय रखना क्या उचित होगा ? वह मामला विचाराधीन है और राष्ट्रीय स्तर का है । उस समिति में उत्तर प्रदेश के राज्य के विधि मंत्री सदस्य हैं । उस समिति में पूरे परिपेक्ष्य पर विचार करके ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा और तब उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह एक नीति से सम्बन्धित प्रश्न है और इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कोई फैसला अवश्य किया होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि मंडल ने इस सम्बन्ध में कि कोर्ट फीस समाप्त की जाय या न की जाय, क्या फैसला लिया है ?

श्री लोकपति—

सरकार ने अभी कोर्ट फीस समाप्त करने के विषय में कोई विचार नहीं किया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मंत्री जी ने क्या राय व्यक्त की है, उसे बताने में सरकार का क्या आपत्ति है ?

श्री लोकपति—

वह राय इस सदन में माननीय न्याय मंत्री व्यक्त कर चुके हैं कि गरीबों को सस्ते से सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जाय ।

श्री अकबाल हुसैन--

क्या सस्ते से सस्ता न्याय दिलाने के लिये कोई ऐसी सीमा निर्धारित की जा रही है कि 1,000 रुपये या 500 रुपये तक न्याय शुल्क माफ कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में तो वे कह चुके हैं कि वह अभी तय होना है कि क्या रास्ता हो ।

श्री जयदीप सिंह--

जो मैंने अपने मूल प्रश्न में पूछा था उसका उत्तर मुझे न तो लिखित उत्तर में मिला और न अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई पत्र केन्द्र से प्राप्त हुआ था या नहीं और यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिश की थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जितनी बातें यहां हो चुकी हैं वह सब उसी पत्र के बारे में ही तो हुई ।

श्री जयदीप सिंह--

कोई पत्र वहां से प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्री लोकपति--

ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ हो, उसकी जानकारी नहीं है ।

बिजली की दरों में पुनरीक्षण एवं निर्धारण का मामला

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजली की दरों तथा दर निर्धारण की विधि में परिवर्तन करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नई विधि क्या होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बिजली की दरों को पुनरीक्षित करने का मामला शासन के विचाराधीन है । दर निर्धारण की विधि में परिवर्तन करने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बिजली बोर्ड ने कई बार बिजली की दरें बढ़ाने की सिफारिश की और कई बार उसकी दरें बढ़ाई गयीं । बोर्ड की अक्षमता और गड़बड़ी के कारण वहां का खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसी के कारण समय-समय पर दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली बोर्ड करता रहा है । दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड ने कुछ दिन पहले किया था और सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिन्दु मैंने प्रश्न में पूछा है कि बोर्ड को

अव्यवस्था, जिसके कारण खर्च बढ़ता चला जा रहा है, इसकी ओर भी क्या सरकार का ध्यान गया है ? यदि हां, तो उसकी रोक-थाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, किसी भी बोर्ड के प्रस्ताव के ऊपर उसकी स्थिति के अनुसार विचार किया जाता है और विधि के अनुसार रिवाइज किया जाता है । मान्यवर, उस विधि में कोई परिवर्तन नहीं है । जहां तक बिजली बोर्ड पर कुशलता लाने का प्रश्न है, वह अलग सवाल है, शासन उसके ऊपर अलग से विचार कर रहा है और कुशलता में सुधार भी हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी हाल में बोर्ड की ओर से बिजली की दरों को बढ़ाने की कोई सिफारिश की गयी है, जिसके आधार पर दरों से पुनरीक्षण का मामला शासन के विचाराधीन है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, विधि कोई नहीं बदली गयी है । एक फैक्टर देखते हुए पुन-विचार का मामला आता है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, पिछली सरकार, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के इस्तीफे के बाद जब केयर टेकर सरकार चल रही थी, उस समय बिजली बोर्ड ने 15 रुपया फी हार्स पावर से बढ़ाकर 20 रुपया का प्रस्ताव भेजा था, समाचार-पत्र में छप भी गया था, लेकिन माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने उसको टर्न डाउन कर दिया और यह कहा कि कोई दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी । क्या वर्तमान सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि बिजली बोर्ड की मांग पर कोई भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, बिजली व्यवस्था ठीक प्रकार से चलाने हेतु संसाधन जुटाने के लिए जो उचित निर्णय हैं, वह हम लेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, यह सरकार इस वर्ष को उत्पादन वर्ष मानती है । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस समय मुख्य मंत्री थे तो उस समय बिजली की दर, एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की खामियों के कारण बिजली बोर्ड के अधिकारीगण बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके प्रस्ताव को माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने टर्नडाउन कर दिया था । उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी क्या कोई आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न क्या बना ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि बिजली की दर जो है वह निश्चित नहीं है । हर जगह बिजली की दर बढ़ गयी है । जो आपके मीटर रीडर हैं, वह

बढ़ा करके रीडिंग करते हैं और यह बोर्ड की खामियों के कारण है। तो जो यह बोर्ड की खामियां हैं, उसको क्या यह सरकार दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न के अनुसार उत्तर दे दें।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री मित्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि कार्य में जो बिजली उपयोग में लायी जाती है उसको छोड़कर व्यावसायिक बिजली का दर बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कृषि कार्य की बिजली तो पहले से ही सबसिडाइज रेट पर है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के लोक सेवा आयोग की सेवाओं में सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमाओं में वृद्धि की मांग

1—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के लोक सेवा आयोग की सेवाओं में सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा मात्र 28 (अट्ठाइस) वर्ष है ? जबकि देश के अधिकांश प्रदेशों में यह सीमा 30 (तीस) वर्ष है ? क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति इस प्रदेश के नवयुवकों को भी 30 वर्ष की आयु तक सेवा में भरती होने की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

1—निर्धारित वर्तमान अधिकतम आयु सीमा में अभिवृद्धि किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

2—श्री सुरेन्द्र कुमार—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

3—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के मौनिसर–मुलनापुर मार्ग को पक्का किए जाने की मांग

4—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की जनपद बस्ती में मौनिसर–मुलनापुर मार्ग जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड़ंजा दो वर्ष पहले लगाया जा चुका है ? उसे पक्की करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

खाद्यान्न योजना 4 के अन्तर्गत खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत मार्गों को पक्का कराने की अभी कोई योजना नहीं है ।

मैनपुरी जनपद की सड़कों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह चौहान का पत्र

5—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 नवम्बर, 1981 (माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा मैनपुरी जिले की अराजक स्थिति से निपटने हेतु उच्च स्तरीय बैठक पुलिस लाइन, मैनपुरी में सम्बोधित करने) के बाद मैनपुरी जिले के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी, अस्थायी खण्ड, मैनपुरी और अस्थायी खण्ड, शिकोहाबाद से उन मार्गों के इस्टीमेट भी विभाग के मुख्यालय पर आ चुके हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों के निर्माण पर पृथक्-पृथक् कितना व्यय होगा और इन मार्गों पर कब तक काम आरम्भ हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

उपलब्ध नहीं है ।

कुछ मार्गों के आगणन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से शासन में प्राप्त हुए हैं ।

मार्ग के निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त मार्गों पर कितना व्यय होगा तथा कार्य कब आरम्भ होगा ।

दारूलशफा बी० ब्लाक के नये भवन के निर्माण में घटिया सामान प्रयोग करने के सम्बन्ध में जांच

6—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दारुलशफा बी-ब्लाक के नये भवन में घटिया सामान लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) दीवालों पर जो प्लास्टरिंग हुआ है वह केवल बालू से किया गया है । उसमें सीमेन्ट की मात्रा नहीं के बराबर है ।

(2) लकड़ी के जो सामान लगाये गये हैं वे अभी से टूट रहे हैं ।

(3) खिड़कियों में जो सामान लगाये गये हैं वे घटिया किस्म के हैं, वे भी अभी टूट रहे हैं।

(4) जो आलमारी बनवायी गयी है वे बहुत खराब एवं कमजोर चादर के बने हैं। उनमें की लकड़ियां अभी टूट रही हैं।

(5) किवाड़ों में लगे हुए सामान भी टेढ़े तथा टूट रहे हैं।

(6) वाश बेसिन तथा उसे संयुक्त पाई व अन्य सामान बिल्कुल ही घटिया किस्म के हैं।

(7) भवन एक साल के भीतर ही खराब हो जायेगा।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठक टी0 ए0 सी0 से जांच करायी जा रही है।

लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं को रिवाल्वर की आपूर्ति तथा उनका विक्रय

7—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में किन-किन शस्त्र विक्रेताओं को कितना-कितना रिवाल्वर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली से दिनांक 1-1-80 से 30-12-81 के बीच प्राप्त हुआ? उक्त रिवाल्वरों को किन-किन लोगों के नाम विक्रय किया गया? उनके नाम व पता क्या हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ नगर में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली से दिनांक 1-1-80 से 30-12-81 के बीच मेसर्स इलाही बख्श को 5, कानपुर आर्म्स कारपोरेशन को 4, इन्डिया आर्म्स कारपोरेशन को 28, कैपिटल गन हाउस तथा लखनऊ आर्म्स कारपोरेशन को 30-30 तथा सिंह गन हाउस को 4, रिवाल्वर प्राप्त हुये उक्त रिवाल्वरों को जिन-जिन व्यक्तियों को विक्रय किया गया उनकी सूची का प्रकाशन जनहित में न होगा।

लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं द्वारा आर्डिनेन्स फैक्ट्री द्वारा खरीदी गयी 315 बोर की राइफलें तथा उनका विक्रय

8—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में 1-1-80 से 30-12-80 के बीच कितनी 315 बोर की राइफलें (भारतीय) शस्त्र विक्रेताओं ने आर्डिनेंस फैक्ट्री से क्रय किया? शस्त्र विक्रेताओं के नाम क्या हैं? उक्त अवधि में ये राइफलें किन-किन लोगों के नाम विक्रय की गयी? उनके नाम व पता क्या हैं? क्या दूसरे जनपदों के लाइसेंसियों के पास शस्त्र क्रय करने का अधिकार पत्र था? यदि हां, तो क्या उसकी पुष्टि कराई गई? यदि अधिकार पत्र नहीं है तो क्या शस्त्र विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ नगर में दिनांक 1-1-80 से 30-12-80 के बीच शस्त्र विक्रेताओं ने कुल 245 राइफलें आर्डिनेंस फैक्ट्री से क्रय की। शस्त्र विक्रेताओं के नाम कानपुर आर्म्स कारपोरेशन, ए0 के0 नियोगी एण्ड कम्पनी

सिंह गन हाउस, नन्दा गन हाउस, मेसर्स काशी आर्म्स के0 पी0 सेल्स, इण्डिया आर्म्स कारपोरेशन, एस0 इकरामुल हक एण्ड कम्पनी तथा लखनऊ गन हाउस हैं। उक्त राइफलों को जिन-जिन व्यक्तियों को विक्रय किया गया उनकी सूची का प्रकाशन जनहित में न होगा। दूसरे जनपदों के विक्रेताओं को विधिमान्य अनुज्ञापों पर ही राइफलें बेची गयी हैं। परन्तु एक व्यवसायी नन्दा गन हाउस द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण हुआ है उस पर स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

वन विभाग में आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित सर्वेयरों के वेतनमान में भिन्नता, उनका स्थायीकरण एवं पदोन्नति

9—श्री भीखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित सर्वेयरों को दो वेतनमान 300-500 तथा 230 से 385 दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो यह किस आधार पर रखा गया है, जबकि सभी सर्वेयरों की शैक्षिक योग्यता तथा सेवा की शर्तें समान हैं ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित सर्वेयरों को दो वेतनमान रु0 300--500 तथा रु0 230--385 दिये जा रहे हैं। प्रथम वेतन आयोग की रिपोर्ट के पूर्व से चले आ रहे पदों के लिए रु0 230--385 का वेतनमान स्वीकृत है तथा उक्त रिपोर्ट के बाद में सृजित पदों के लिए रु0 300--500 का वेतनमान इसी वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत है।

अब द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर इस पद के वेतनमान का पुनरीक्षण शासन के विचाराधीन है।

10—श्री भीखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में काम करने वाले सर्वेयरों को 1965 से आज तक स्थायी नहीं किया गया है, यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री संजय सिंह—

विभाग में काम करने वाले दो सर्वेयरों के अतिरिक्त शेष सभी को स्थायी कर दिया गया है। यह दो सर्वेयर ऐसे हैं जो 1965 से कार्यरत हैं परन्तु उनका सर्विस रिकार्ड ठीक न होने तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के कारण उनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है।

11—श्री भीखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के सर्वेयरों में सेलेक्शन ग्रेड अथवा पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है, यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें अथवा नियम हैं ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अतः नियम एवं शर्तों का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कतिपय शस्त्र विक्रेताओं द्वारा आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज व स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन से खरीदे गये शस्त्र व उनका विक्रय

12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में नन्दा गन हाउस हिन्द आर्म्स, कैपिटल गन हाउस तथा इंडिया आर्म्स कारपोरेशन ने 1-1-80 से 31-12-81 के बीच कितना शस्त्र आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से मंगाया ? और उक्त अवधि में मंगाए गए शस्त्रों को किन-किन व्यक्तियों के नाम विक्रय किया गया ? क्या सम्बन्धित जिलों से इस बारे में शस्त्र की पड़तालिग कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 1-1-80 से 31-12-81 के बीच लखनऊ नगर में नन्दा गन हाउस, हिन्द आर्म्स कैपिटल, गन हाउस तथा इंडिया आर्म्स कारपोरेशन द्वारा आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से प्राप्त किये गये शस्त्रों की संख्या क्रमशः निम्नवत् है :

45, शून्य, 30 तथा 88,

उक्त अवधि में मंगाये गये शस्त्रों को जिन-जिन व्यक्तियों को विक्रय किया गया उनकी सूची का प्रकाशन जनहित में न होगा । शस्त्रविक्रय/हस्तान्तरण की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक मामले में 48 घंटे के अन्दर भेजने की व्यवस्था है जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

ग्राम सभा जमींपुर, पोस्ट बलरामपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों द्वारा रिरिया के मैदान में मिलती झील पर पुलिया निर्माण की मांग

13—श्री मुंशी लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जमींपुर, पोस्ट बलरामपुर, तहसील, जिला फैजाबाद के निवासियों ने रिरिया के मैदान में मिलती झील में पुलिया बनाने के लिए अगस्त, 1981 में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो पुलिया कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

कार्य स्वीकृत न होने के कारण निर्माण की अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

ग्राम सारंगपुर प्लाट नं0 3, तहसील नवगढ़, जिला गाजियाबाद की वन भूमि पर श्री सुरेश पाल सिंह का कब्जा

14—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सारंगपुर प्लाट नं0 3, तहसील नवगढ़, जिला गाजियाबाद की वन भूमि पर श्री सुरेश पाल पुत्र श्री सिंह

के पिछले 10 वर्षों से अनधिकृत रूप से पट्टे पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र प्रश्नगत मामले में प्राप्त हुआ था, जांच करने पर यह तथ्य प्राप्त हुये कि जिला गाजियाबाद, तहसील गढ़, ग्राम सारंगपुर ब्लाक की ऊसर भूमि के प्लाट सं0 3 का 32·37 हैक्टर क्षेत्र दिनांक 16-10-71 को कृषि के साथ-साथ नियमानुसार वृक्षारोपण हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए नीलाम किया गया था इसकी नीलामी सबसे ऊंची बोली के आधार पर श्री सुरेश पाल सिंह पुत्र श्री रहम सिंह, ग्राम पावटी, डा0 साबुल्लापुर जिला मेरठ के नाम हुई थी। इसका किराया 29 रु0 प्रति हैक्टर प्रति वर्ष की दर से था।

चूंकि लीज होल्डर ने भूमि को विकसित करने में काफी रुचि दिखाई थी अतः उक्त लीज की अवधि 16-10-76 से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। अब उक्त वन भूमि लीज होल्डर द्वारा दिनांक 2-10-81 को खाली कर दी गई है। लीज क्षेत्र का पूरा किराया लीज होल्डर द्वारा जमा किया जा चुका है।

बलिया जनपद की फेफना-बक्सर मार्ग के मरम्मत की मांग

15--श्री गौरीशंकर मैया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में फेफना-बक्सर मार्ग की दशा अत्यन्त खराब हो गई है ? जिससे मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय इस सड़क के लिए विशेष मरम्मत का अनुदान देकर कार्य प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद राय बरेली, विकास खंड तिलोई के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

16--श्री छत्तर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली विकास खंड तिलोई के ग्राम दिनवापुर से अजीतन का पुरवा पूरे भोखम शाह से आंदुरी जनियर हाई स्कूल तक जो मार्ग प्रस्तावित है उसे आज तक नहीं बनाया गया और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न तो प्रस्तावित है और न ही स्वीकृत है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को बनाने तथा पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास मंत्री के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी श्री मन्जूर अहमद का कथित पत्र

17—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता जिनका पत्र नगर विकास मन्त्री के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित दिनांक 10 जुलाई, 1981 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में आरोप क्या-क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यद्यपि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत पत्र किसे दिया गया अथवा प्राप्त कराया गया, इसका विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया फिर भी इस सम्बन्ध में की गई छानबीन के अनुसार प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1981 के प्राप्त न होने की सूचना मुझे दी गई है।

18—श्री मन्जूर अहमद—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई सदर तहसील में ग्राम ककवाही से ग्राम हबीबपुर होकर हरदोई-पिहानी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की मांग

19—श्रीमती कमला देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की सदर तहसील में ग्राम ककवाही से ग्राम हबीबपुर होकर हरदोई-पिहानी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चमोली में जोशीमठ-मलारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अध्याधित भूमि का मुआवजा

20—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में जोशीमठ-मलारी मोटर मार्ग निर्माण जो सा0 नि0 विभाग ने 1962 में किया था मोटर मार्ग निर्माण से जोशीमठ कैलाशपुर, मलारी, कोषा झेलम ग्रामों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मुआवजा का भुगतान अब वर्तमान रेटों से किया जायेगा ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्ग मलारी से नीति गांव तक कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् 1962 में जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम जोशीमठ मलारी, कोषा झेलम ग्रामों की भूमि ली गई थी तथा इनमें से झेलम ग्राम को छोड़कर शेष ग्रामों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। ग्राम झेलम का मुआवजा 30 मार्च, 1963 को बांटा जा चुका है।

जिन ग्रामों का मुआवजा नहीं दिया गया है उनके मुआवजे के प्रपत्र आपसी समझौते से 200.00 रु0 प्रति नाली की दर से बनाये गये थे, परन्तु भूमिधर इस दर पर मुआवजा लेने को तैयार नहीं हैं।

वर्तमान दरों के हिसाब से मुआवजे का नियमानुसार भुगतान किये जाने के बारे में मामला शासन के विचाराधीन है।

मलारी से नीति गांव तक पूरी लम्बाई के लिए मोटर मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है।

मिर्जापुर के विन्दमगंज रेंज में कथित मेदनी खाड़ प्लांटेशन

21—श्री विजय सिंह—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विन्दमगंज रेंज के मेदनी खाड़ प्लांटेशन कितने एकड़ भूमि में कब लगाया गया था और किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये थे ?

श्री संजय सिंह—

जनपद मिर्जापुर के विन्दमगंज रेंज में मेदनीखाड़ नामक कोई भी प्लांटेशन नहीं है अतः इसके बारे में अन्य कोई सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मेदनीखाड़ प्लांटेशन में वन कर्मचारी काश्तकारों से खेती करवाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं।

चर्म उद्योग एवं टेनरी के मजदूरों के लिए वेज-बोर्ड

23—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चर्म उद्योग, एवं टेनरी के मजदूरों के लिए वेज बोर्ड बनाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं। वेज बोर्ड का गठन केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

चमड़ा एवं चर्मवस्तु उद्योग के त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णय को कतिपय लेदर काम्पलेक्स द्वारा लागू न किया जाना

24—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 80 में लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश व जाजमऊ लेदर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, कानपुर के बीच एक निर्णय अन्तरिम सहायता में 39 रु0 26 दिन पर व 1·50 रुपया प्रति दिन पूरे उत्तर प्रदेश के चमड़े के मजदूरों को दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जाजमऊ उन्नाव कल्याणपुर उन्नाव लेदर कम्पलेक्स उन्नाव टेनरी अकरमपुर टेनरी, गड़रियनपुरवा टेनरी कानपुर, आगरा गाजियाबाद इलाहाबाद टेनरियां नहीं मान रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था। किन्तु जून, 1981 में आयोजित चमड़ा एवं चर्म वस्तु उद्योग के त्रिदलीय सम्मेलन में लिए गये निर्णयानुसार उद्योग के सभी कर्मकारों को समान दर पर मजदूरी में यथास्थिति 1.50 रु0 प्रतिदिन या 39 रुपया प्रतिमाह (26 कार्यदिवसों का एक मास मानकर) की तदर्थ वृद्धि शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 1981 द्वारा लागू की गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त शासनादेश का अनुपालन उद्योग में कार्यरत प्रदेश की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। जिन इकाइयों ने उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपनाई जा रही है।

जनपद बरेली के फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग पर ग्राम ठकनी के निकट पक्के पुल का निर्माण

25—श्री नन्दराम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग पर ग्राम ठकनी के निकट पक्का पुल बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। पुल की स्वीकृति 41.37 लाख रुपये की लागत पर प्रदान की जा चुकी है।

शेष प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा तथा ज्येष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति

26—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस श्रमायुक्त कार्यालय 23, ए0 पी0 सेन रोड, लखनऊ में 31-3-82 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ लिपिकों

कितने-कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या किसी अनुसूचित जाति के कर्मचारी को वर्ष 1982 में ज्येष्ठ लिपिक पद से प्रत्यावर्तित किया गया है ? यदि हां, तो उसके स्थान पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

कनिष्ठ लिपिकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का आरक्षण उनकी संख्या के अनुसार पूर्ण है । 43 कनिष्ठ लिपिकों में से 13 अनुसूचित जाति के तथा एक अनुसूचित जन जाति का अभ्यर्थी नियुक्त है ।

ज्येष्ठ लिपिकों की कुल संख्या 8 है, जिसमें से 1 पद आरक्षित है । इस पर श्री भगवती प्रसाद जो अनुसूचित जाति के हैं, की नियुक्ति की गई थी, किन्तु उनको उन्हीं की प्रार्थना पर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । उनके स्थान पर कोई अनुसूचित जाति का लिपिक उपलब्ध न होने के कारण सामान्य ज्येष्ठता सूची के पात्र कर्मचारी को इस शर्त के साथ प्रोन्नत कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी के उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ।

उर्दू गजट की छपाई

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 565/21-प्रकाशन-184/79, दिनांक 3-6-81 के अनुसार हिन्दी सरकारी गजट का प्रारूप उर्दू गजट प्रति सप्ताह छपता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश के अनुपालनार्थ साप्ताहिक गजट का कोई उर्दू अनुवाद इलाहाबाद उर्दू यूनिट में कराए जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शासनादेश संख्या 565/21-प्रकाशन-184/79, दिनांक 3-6-81 के अनुसार साप्ताहिक सरकारी गजट का उर्दू अनुवाद "गजट का उर्दू तर्जुमा" नाम से बराबर छप रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

अपराध अनुसंधान विभाग के फील्ड यूनिटों में कार्यरत उपनिरीक्षकों को छुट्टियों के भत्ते

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अपराध अनुसन्धान विभाग के साइंटिफिक सेक्शन के अधीन स्थापित 11 फील्ड यूनिटों में कार्यरत उप निरीक्षकों को जिनको सभी रविवारों तथा राजपत्रित छुट्टियों के दिन ड्यूटी देनी पड़ती है, की राजाज्ञा संख्या 7793/आठ-1-3/79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 तथा राजाज्ञा संख्या 2322/आठ-1-3/79, दिनांक 16 मई, 1980 के अन्तर्गत 1979-80 से छुट्टियों के भत्ते के पद में एक मास का अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से क्या सरकार उनको उक्त भत्ते देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत यूनिटों में नियुक्त उप निरीक्षकों को एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय नहीं दिया जा रहा कारण कि वे प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। फिर भी मामला शासन के विचाराधीन है।

क्षेत्रीय निदेशक सरयू क्षेत्र, फैजाबाद कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थायीकरण

29--श्री मित्रसेन तथा श्री माधव प्रसाद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो कार्यवाही की जा रही थी वह कौन सी कार्यवाही है तथा उस कार्यवाही के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को स्थायी किया गया है और जिनका स्थायीकरण नहीं किया गया है उनको कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री संजय सिंह--

तथाकथित कार्यवाही गत वर्ष में सृजित क्षेत्रीय निदेशक सरयू क्षेत्र, फैजाबाद के कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थायीकरण से सम्बन्धित है। कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की पदोन्नति में आरक्षण

30--श्री बंशीधर--

क्या सरकार जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में सीटें रिजर्व कर रक्खी हैं उसी प्रकार से उनकी तरक्की में भी उन्हें रिजर्वेशन का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस बिन्दु पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पदोन्नतियों में प्रश्नगत वर्ग को आरक्षण का लाभ अनुमन्य न होगा।

भूतपूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की मांग

31--श्री बंशीधर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1981 के पश्चात् विधायकों के वेतन और भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुये फिलहाल भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

32--श्री विजय सिंह राना--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सचिवालय के चिकित्सा अनुभाग-12 के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री एम0 एन0 सक्सेना के विरुद्ध शिकायतें

33—श्री छत्तर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के अधीन चिकित्सा अनुभाग-12 के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री एम0 एन0 सक्सेना से सम्बन्धित अनियमितताओं के विषय में माननीय मुख्य मंत्री को विधायकों से सितम्बर, 1981 व उसके बाद शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कराई गयी ? तथा जांच में पाए गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गई । उसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

34—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थाना बांसी, जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष के विरुद्ध छात्रों एवं अध्यापकों का प्रदर्शन

35—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बांसी, जनपद बस्ती में स्थित थाना बांसी के थाना इंचार्ज के विरुद्ध हाई स्कूल के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1982 को प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 13 फरवरी, 1982 को अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

36—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद कानपुर में कार्यरत कांस्टेबिल श्री इरशाद की डकैती की मुठभेड़ में मृत्यु तथा उनकी पत्नी की पेंशन

37—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर कोतवाली में श्री इरशाद पुत्र अजहर हुसैन, कानिस्टिबिल के पद पर कार्यरत थे तथा 1976

में अपने सर्विस काल के दौरान कानपुर शहर के अन्दर छः डकैतों के मुठभेड़ में मार डाले गये थे ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा धर्मपत्नी को पूर्ण वेतन की धनराशि प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद कानपुर में कार्यरत कान्सटेबिल श्री इरशाद, दिनांक 24 सितम्बर, 1974 (न कि 1976 में) को रात्रि में बदमाशों से मुठभेड़ के फलस्वरूप दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को वीरगति प्राप्त हुये । इसके फलस्वरूप स्वर्गीय कान्सटेबिल श्री इरशाद हुसैन की पत्नी श्रीमती शाहिदा अख्तर को दिनांक 20 अगस्त, 1976 को 257.60 रुपये प्रतिमाह की दर से असाधारण पेंशन तथा 2,060.80 रुपये की एकमुश्त ग्रेच्युटी (उपादान) शासन द्वारा स्वीकृत की गयी ।

श्री नकछेद भारती, निवासी ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट तथा उस पर कृत कार्यवाही

38-39--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नकछेद भारती पुत्र श्री अर्जुन राम (हरिजन), ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली, उत्तर प्रदेश ने अपने तथा परिवार के ऊपर अनेकों बार हमला किए जाने, मकान जलाए जाने व औरतों को बेइज्जत किए जाने एवं अन्य मारपीट की घटनाएं क्रमशः दिनांक 11-4-64, 10-5-64, 15-11-67, 31-12-67, 19-6-76, 23-8-70, 19-7-70, 22-6-76, 18-6-69, 17-11-72, 15-9-76, 21-5-76, 18-5-76, 31-8-81 को थाना चन्दौली में दर्ज कराई गयी है ?

यदि हां, तो अब तक उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या यह भी सही है कि श्री नकछेद तथा इनके परिवार के ऊपर मौजूदा समय में जानमाल के खतरे की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या श्री नकछेद तथा उनके परिवार हेतु सुरक्षा व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नकछेद पुत्र श्री अर्जुन (हरिजन), निवासी ग्राम फगुइया द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 31-12-67 को अपराध संख्या 241 धारा 147/148/307 भा० दं० वि०, दिनांक 21-5-76 को अपराध संख्या 63/76 धारा 379/411/429 भा० दं० वि०, दिनांक 22-6-76 को अपराध संख्या 80/76 धारा 395/397/364 भा० दं० वि० और दिनांक 23-8-70 को अपराध संख्या 167/70 धारा 147/323/324 भा० दं० वि० पंजीकृत कराये गये । उपरोक्त तिथियों के अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित अन्य तिथियों की कथित घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस रिकार्ड में सूचनाओं का अंकन उपलब्ध नहीं है ।

अपराध संख्या 241 में विवेचना के उपरान्त 26-1-68 को आरोप पत्र, न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसमें 1-5-80 को न्यायालय द्वारा समस्त अभियुक्त रिहा किये जा चुके हैं ।

अपराध संख्या 63/76 विवेचना में साबित नहीं हुआ और साक्ष्य के अभाव में दिनांक 20-9-76 को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो न्यायालय द्वारा 27-10-76 को स्वीकृत हुई ।

अपराध संख्या 80/76 की सूचना विवेचना में सही नहीं पाई गई और दिनांक 25-6-76 को मुकदमा धारा 147/148/323/324/, भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । मामले में फाइनल रिपोर्ट लगी है ।

अपराध सं0 167/70 विवेचना से प्रमाणित नहीं पाया गया और दिनांक 4-11-70 को इसमें अन्तिम रिपोर्ट लगी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मौजूदा समय में श्री नक्छेद व उनके परिवार को जान-माल का खतरा नहीं पाया गया । अतएव अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद स्थित टांडा में सरयू नदी पर पुल निर्माण की कथित योजना

40--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा में सरयू नदी राजघाट या अन्य किसी स्थान पर सरयू नदी पर पक्का पुल बनाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ का मशाल जुलूस

41--गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-1-82 को अपनी कुछ मांगों को लेकर मशाल जुलूस के रूप में प्रदर्शन किया गया ? क्या प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों की गिरफ्तारी कोतवाली, फैजाबाद की पुलिस द्वारा की गयी ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों को किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-1-82 को कोई जुलूस नहीं निकाला गया । उनके द्वारा उक्त तिथि को "मशाल जुलूस" का कार्यक्रम रखा गया था किन्तु आयोजक एक अन्य प्रसंग में धारा 107/118/151 ज0 फौ0 के अन्तर्गत दिनांक 18-1-82 को गिरफ्तार हो गये । जुलूस का कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हुआ ।

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु शासनादेश

42--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 3 वर्ष से अधिक अवधि से तदर्थ रूप से कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश कब तक जारी करने का विचार है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

तदर्थ रूप से कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के विनियमितीकरण के प्रसंग में एक शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को जारी किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में दो नियमावलियां (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर वाले पदों के सम्बन्ध में) दिनांक 14 मई, 1979 को प्रख्यापित की गई । उक्त नियमावलियों के अधीन यह प्राविधान किया गया कि ऐसे समस्त कर्मचारी जो दिनांक 1-1-77 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किये गये हों और नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हों, को तीन वर्ष तक निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने तथा निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर उनके विनियमितीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में अब कोई अन्य सामान्य शासनादेश जारी किये जाने का शासन का विचार नहीं है ।

उक्त नियमावलियों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाती रही है ।

देवरिया जिले के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हरे पेड़ों की कटाई

43--रुद्र प्रताप सिंह--

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि जिला देवरिया में ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा 80, 81 व 82 में निरन्तर हरे पेड़ों की कटाई कराई गयी है, भविष्य में हरे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कौन-कौन से कड़े आदेश दिए जा रहे हैं ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

देवरिया जनपद में ईंट भट्ठा मालिकों को वर्ष 1980-81 व 1981-82 में पेड़ों के काटने हेतु कोई फेलिंग परमिट वन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत हरे पेड़ काटने पर रोक लगी हुई है । पर्यावरण, भूमि एवं जल संरक्षण की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 71/14-3--377-76, दिनांक 20-1-1982 द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे आम, महुआ, बांज तथा नीम आदि के वृक्षों के पातन पर 31 दिसम्बर, 1991 तक सामान्य रूप से रोक लगी हुई है तथा वृक्ष काटने की अनुमति दिये जाने के कार्य में एकरूपता लाने के लिए अधिसूचना संख्या 72/14-3-377-76, दिनांक 20 जनवरी, 1982 द्वारा सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास), अरण्यपाल/सम्भागीय निदेशक को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है । वन विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुसार वृक्षों के कटान पर कड़ा नियंत्रण रखने के आदेश भी दिये गये हैं ।

देवरिया की सड़कों को पिच कराये जाने की मांग

44—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में किन-किन रोडों को जिला देवरिया में पिच कराया जाना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक के लिए अलग-अलग कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देसही-देवरिया जाने वाली सी० सी० रोड को पिच कराने की मांग

45—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से देसही-देवरिया को जाने वाली सी० सी० रोड को ग्राम डुमरी से देसही-देवरिया तक (जो अभी कंकर रोड है) कब तक पिच करा दिया जावेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधानाचार्य आई० टी० आई०, श्री जे० पी० सिंह के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

46—दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा पत्र 8-4-82 जो प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० श्री जे० पी० सिंह के विरुद्ध है उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री सुनील शास्त्री—

ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें तो आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायगी ।

मुबारकपुर (टांडा) वाया रामपुर कलां बरियावन रोड को पिच रोड बनाये जाने की मांग

47—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा व अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र, जनपद फैजाबाद में स्थित मुबारकपुर (टांडा) वाया रामपुर कलां-बरियावन रोड पर आवागमन को ध्यान में रखते हुए उक्त रोड को पिच रोड कराये जाने हेतु शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सन् 1982-83 के अन्त तक निर्माण पूर्ण करा लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टांडा, फैजाबाद में बसखारी वाया जलालपुर मेन रोड को पिच रोड करने की मांग

48--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा, फैजाबाद में बसखारी वाया जलालपुर मेन रोड को पिच रोड में निर्माण किए जाने हेतु शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त रोड कब तक पिच रोड कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

थाना बसखारी टांडा, फैजाबाद की पुलिस श्री तेज बहादुर सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बसखारी टांडा, फैजाबाद की पुलिस श्री तेज बहादुर सिंह द्वारा की गई गलत कार्यवाहियों एवं भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25-3-82 को कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में किस तिथि व अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? तथा जांच के दौरान आवेदन-पत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछ-ताछ की गई ? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित शिकायती-पत्र दिनांक 25-3-82 प्राप्त हुआ, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी टांडा द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद फैजाबाद की रामपुर कलां सम्पर्क मार्ग का निर्माण

50--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर कलां वाया आलमपुर घनौरा वाया मसड़ा मोहनपुर जन-सम्पर्क मार्ग, टांडा, जनपद फैजाबाद पर पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा मिट्टी का कार्य एवं ईंट की सोलिंग कराये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सन् 1982-83 से पूर्ण कर लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51--श्री ऊदल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

52--श्री ऊदल--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53--श्री ऊदल--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम कठिरांव, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी निवासी
श्री रामखेलावन के घर डकैती व उसकी
हत्या तथा थाने में लिखाई
गई रिपोर्ट

54--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 की रात गांव कठिरांव, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में राम खेलावन बरई के यहां डाका पड़ा था और डाकुओं ने राम खेलावन पुत्र झिंगुरी को जान से मार दिया और उसके बच्चे छोटे लाल, श्यामला देवी, पुष्पादेवी, सोमा, कमलेश को बुरी तरह से मार कर घायल कर दिया और हजारों रुपये लूट ले गये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या एस० एस० पी० व एस० पी० आर० ए० मौके पर कभी गये थे ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1/2-4-82 की रात में ग्राम कठिरांव, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी के निवासी राम खेलावन के घर कुछ व्यक्तियों द्वारा घुस कर उन्हें मार डालने व परिवार के अन्य पांच लोगों को चोटें पहुंचा कर समान व जेवर आदि चुरा ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त थाने पर धारा 460/380 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना से प्रकाश में आये चार व्यक्तियों में से तीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व शेष एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । इस घटना से सम्बन्धित चोरी गये माल में से एक व्यक्ति के कब्जे से लगभग 4,280 रु० का माल बरामद होने पर उसे धारा 411 भा० दं० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और एक अन्य व्यक्ति को धारा 120-बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत षडयंत्र के आरोप में बन्दी बनाया गया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 3-4-82 को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा किया गया ।

55—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घायल छोटे लाल पुत्र राम खेलावन की मृत्यु ता0 14-4-82 को बी0 एच0 यू0 अस्पताल में हो गई ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने छोटे लाल का डाइंग डिक्लरेशन लिया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, यह सत्य है । श्री छोटे लाल को जब से चोटें आई थीं वे घायल मरणासन्न अवस्था में अन्त तक बेहोश रहे जिस कारण डाइंग डिक्लरेशन नहीं लिया जा सका ।

56—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, वाराणसी के एस0 ओ0 रामायण सिंह ने उक्त सशस्त्र डकैती, जिसमें रामखेलावन मौके पर मारा गया और 6 व्यक्ति मरणासन्न थे उनको दफा 396 में न लिखकर दफा 460 में रिपोर्ट उसके लड़के से लिखवाई है ? ऐसा क्यों ? क्या गलत रिपोर्ट लिखवाने के सम्बन्ध में एस0 ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही एस0 एस0 पी0 व एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी ने अब तक की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी और चोरी की जगह दफा 396/302 दर्ज करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लिखित सूचना के आधार पर अभियोग अपराध संख्या 85 धारा 460 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । इस सम्बन्ध में मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच भी की गई । वाद अब न्यायालय के विचाराधीन है ।

एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी के विरुद्ध श्री ऊदल का शिकायती पत्र

57—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र इस सम्बन्ध में 23-4-82 को एस0 एस0 पी0 वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी को अब तक सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र की जांच से थानाध्यक्ष, फूलपुर दोषी नहीं पाये गये । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

एस0 ओ0 फूलपुर, श्री रामायण सिंह द्वारा ग्राम धमहापुर के श्री राम लखन की गिरफ्तारी व उसके पिता श्री राम शिरोमणि द्वारा लिखा गया पत्र

58—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7-4-82 को थाना फूलपुर, वाराणसी के एस0 ओ0 रामायण सिंह ने गांव धमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी के राम शिरोमणि की दो नाली बन्दूक 6 कारतूस बन्दूक का लाइसेन्स

उसके लड़के को डरा कर घर में घुस कर ले लिया और राम शिरोमणि के लड़के राम लखन को दिन में सुबह 7 बजे पकड़ कर फूलपुर थाने में बन्द किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-4-82 को थाना फूलपुर में इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि डाकुओं का एक गिरोह ग्राम फतेहपुर में डकैती डालेगा, थानाध्यक्ष पुलिस दल सहित मौके पर पहुंचे व समस्त 8 डकैतों को शस्त्र आदि सहित गिरफ्तार करने में सफल हुए जिसमें राम लखन पुत्र राम शिरोमणि, निवासी धमहापुर भी सम्मिलित था ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना फूलपुर में एक अभियोग धारा 399/402 भा० दं० वि० व 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

59—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीराम शिरोमणि, गांव धमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी का एक प्रार्थना-पत्र श्रीमान डी० आई० जी०, एस० पी०, वाराणसी को 7-4-82 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिया गया था और ए० एस० पी०, वाराणसी को भी प्रश्नकर्ता ने इस फर्जी घटना के बारे में 7-4-82 को लिखा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या तुरन्त मौके पर एस० पी० आर० ए०, वाराणसी गये कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

एस० पी० आर० ए०, वाराणसी को संबोधित श्री राम शिरोमणि का दिनांक 7-4-82 का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ । पत्र में जांच स्वयं या क्षेत्राधिकारी द्वारा कराने का अनुरोध था । एस० पी० आर० ए० वाराणसी स्वयं मौके पर नहीं गये किन्तु उन्होंने जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी ।

जनपद नैनीताल के मयुवाखान-हरतौला मोटर मार्ग के निर्माण में श्री जयदत्त शर्मा की बागबानी में हुई हानि का मुआवजा

60—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मयुवाखान हरतौला मोटर मार्ग जनपद नैनीताल के निर्माण में श्री जयदत्त शर्मा पुत्र श्री हरिभक्त शर्मा के बागबानी में हुई हानि का भुगतान जिला उद्योग अधिकारी के मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब पूर्ण भुगतान करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । चूंकि ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, रामगढ़, जिला नैनीताल द्वारा सत्यापित दर उस समय की प्रचलित दरों से अधिक थी, साथ ही अन्य काश्तकारों को भी उसी दर से भुगतान किया गया था अतः श्री जयदत्त शर्मा को भी अन्य काश्तकारों के अनुसार ही पेड़ों का भुगतान किया गया । साथ ही श्री शर्मा के फलदार वृक्ष इस अवस्था में भी नहीं थे कि उनका भुगतान उच्च दरों पर किया जाता ।

जिला मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस

61—श्री हुकम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 अक्तूबर, 1981 से 15 जनवरी, 1982तक जनपद मुजफ्फरनगर में आग्नेय शस्त्रों के 177 नये लाइसेन्स स्वीकार किए गये इनमें से कितने लाइसेन्स अनुसूचित एवं जन जाति के सदस्यों को दिए गये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आर्म्स ऐक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत लाइसेंसियों का जाति/वर्ग के आधार पर विवरण रखने की व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण वांछित निश्चित सूचना देना संभव नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के नवीनीकरण पर राष्ट्रीय बचत योजनाओं में जमा करायी गयी रकम

62—श्री हुकम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के दिए गये उत्तर के सन्दर्भ में जिन 1278 व्यक्तियों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया जाना स्वीकार किया गया उन्होंने राष्ट्रीय बचत कोष एवं अन्य बचत योजनाओं में धन जमा कराने से इन्कार किया है ? जबकि प्रश्नकर्ता को सुनिश्चित जानकारी है कि प्रायः सभी व्यक्तियों से उक्त योजनाओं में धन जमा कराया गया और जिन व्यक्तियों ने धन जमा नहीं किया उनके लाइसेन्स फीस जमा होने के बावजूद भी लाइसेन्सों का नवीनीकरण नहीं किया गया बचत प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार मुजफ्फरनगर जनपद में 1-10-81 से 15-1-82 तक जिन 1278 उल्लिखित लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया गया उनके धारकों से नवीनीकरण के लिये कोई शर्त लगा कर राष्ट्रीय बचत कोष या अन्य बचत योजना में धन जमा नहीं कराया गया है । फीस जमा होने के बाद कोई लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु अवशेष नहीं है । अतः मामले में उच्च स्तरीय जांच करके कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर शहर में हत्या की घटनाओं की सूची तथा कृत कार्यवाही का विवरण

63—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर शहर में अप्रैल, 1981 से अप्रैल, 1982 तक किस-किस की हत्या हुई और उस हत्या का क्या कारण है ? जिन लोगों ने हत्या की उनको पुलिस ने पकड़ करके जेल भेजा और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 703 पर)

थाना झंगहा, जिला गोरखपुर की पुलिस के विरुद्ध श्री मुख्तार खां, निवासी ग्राम जंगल, रसूलपुर का शिकायती-पत्र

64—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्तार खां पुत्र श्री अहमद खां, निवासी ग्राम व पोस्ट जंगल, रसूलपुर, थाना झंगहा, जिला गोरखपुर ने अपने रजिस्टर्ड पत्र संख्या 718, दिनांक 1-12-81 के द्वारा स्थानीय नायब दरोगा व थाने के कुछ दलालों द्वारा उनका मु0 1700 रुपया नाजायज तरीके एवं डरा धमका कर छीनने के सम्बन्ध में उन्हें कोई शिकायती-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो शिकायतों व जांच का पूरा विवरण क्या है व नाजायज ढंग से लिए गये पैसे को वापस दिलाने हेतु क्या आदेश दिए गये तथा सम्बन्धित नायब दरोगा व अन्य दलालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । इसमें थाना झंगहा की पुलिस एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा धमका कर प्रार्थी से रुपये 1700 ले लेने की शिकायत की गयी है । जांच से यह पाया गया कि प्रार्थी से किसी अन्य व्यक्ति की बीसी रुपये 2200 में अनधिकृत रूप से बेंच दी थी । पंचायत में शिकायतकर्ता ने रुपये 2200 वापस करना स्वीकार किया था जिसमें रुपये 1700 उसने वापस किया और शेष 500 अभी वापस करना है । शेष रकम को अदायगी से बेचने के लिए प्रार्थी ने दरख्वास्त दी है ।

मामले में संदिग्ध भूमिका के कारण कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की जा रही है ।

ग्राम ऐन, थाना बन्थरा, जिला लखनऊ निवासी श्री जटाशंकर को बन्दूक का लाइसेंस

65—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ऐन, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ के जटाशंकर पुत्र शिव बालक के ऊपर उपरोक्त ग्राम से ही सन् 1971-72 में धारा 396 भा0 दं0 वि0 के केस में मुलजिम थे ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जटाशंकर के ऊपर थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव से भी धारा 302 सन् 1978 व धारा 307 भा0 दं0 वि0 में सन् 1979 के केस में मुलजिम हैं और उक्त केस अब भी सत्र न्यायालय उन्नाव में विचाराधीन है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जटाशंकर ने थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में से सन् 1974 के आस-पास एक नाली बन्दूक का लायसेन्स भी ले रखा है ? जो थाना हसनगंज, उन्नाव द्वारा निलम्बित भी किया जा चुका था ? यदि हां, तो उपरोक्त लायसेन्स किस थाने में जमा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत जटाशंकर थाना बंथरा, जनपद लखनऊ के मुकदमा अ0 सं0 245/71 धारा 396 भा0 दं0 वि0 में अन्य के साथ नामजद अभियुक्त थे, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित हुआ था। न्यायालय से सभी अभियुक्त बरी हो गए।

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में इनके विरुद्ध वर्ष 1978 में धारा 302 भा0 दं0 वि0 तथा वर्ष 1979 में धारा 307 भा0 दं0 वि0 का कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है। थाना हसनगंज पर उनके व अन्य के विरुद्ध वर्ष 1978 में 2 अभियोग धारा 307 भा0 दं0 वि0 के पंजीकृत होने पाए गए हैं, जिनमें से एक में सभी मुल्जिमान न्यायालय से बरी हो गए हैं और दूसरे में सभी मुल्जिमान को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड मिला है।

जटाशंकर ने दिनांक 5-8-74 को एक एस0 बी0 बी0 एल0 गन का लायसेन्स जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त किया था। इस लायसेन्स को निलम्बित किये जाने का कोई अभिलेख थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। थाना बंथरा, जनपद लखनऊ के रिकार्ड से ज्ञात होता है कि जटाशंकर की बन्दूक को मुकदमा अ0 सं0 8/78 धारा 307 भा0 दं0 वि0 थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के सम्बन्ध में थाना बंथरा के मालखाने में जमा किया गया था जिसमें न्यायालय के आदेश से जटाशंकर को 17-5-81 को लौटा दिया गया है। जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश से श्री जटाशंकर की बन्दूक का लाइसेन्स 19-6-82 को निलम्बित हुआ और बन्दूक 18-8-82 को थाना बन्थरा के मालखाने जमा करा दी गई है।

जिला स्तर पर थानाध्यक्षों का रैंक

66—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला स्तर पर थानाधिकारी का पद इंस्पेक्टर रैंक अथवा वरिष्ठता क्रम के आधार पर देने के लिए विचार करेंगे? यदि नहीं, तो इस निर्णय में कौन सी बाधा है?

श्री श्रीपति मिश्र—

सामान्यतः 400 से अधिक हस्तक्षेपीय अपराध संख्या वाले थानों पर थानाध्यक्ष के पद पर इंसपेक्टर की नियुक्ति की जाती है तथा अन्य थानों पर सब इंसपेक्टर प्रभारी की नियुक्ति उनकी वरिष्ठता, योग्यता एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी की सहमति से पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है। मात्र वरिष्ठता क्रम में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होगा।

67—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

68—श्री ऊदल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

69—श्री राम आसरे वर्मा—

[उरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा के कतिपय पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में श्री शरीयत उल्लाह का पत्र

70—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री किशन लाल हेड कांस्टेबिल, पुलिस चौकी करकौली, थाना पिनाहट, जिला आगरा को स्थायी हेड कांस्टेबिल करने एवं नायक 21102 मलिखान सिंह व 21191 रामदास, पी0 ए0 सी0 15 बटालियन, आगरा जी0 आर0 पी0 तथा 531 अब्दुल मजीद के स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में श्री शरीयतउल्ला, एम0 एल0 ए0 को सितम्बर, 1981 के दो पत्र एवं नवम्बर, 81 व दिसम्बर, 81 के स्मरण पत्र प्रश्नकर्त्ता के आपको प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री किशन लाल, हेड कांस्टेबिल पुलिस चौकी, करकौली, थाना पिनाहट, जनपद आगरा को स्थायी हेड कांस्टेबिल करने एवं नायक 21102 मलिखान सिंह व 21191 रामदास 15वीं वाहिनी पी0 ए0 सी, आगरा से जी0 आर0 पी0 तथा 531 अब्दुल मजीद के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में श्री शरीयतउल्लाह, विधायक का एक पत्र सितम्बर, 81 का एवं प्रश्नकर्त्ता विधायक का एक पत्र नवम्बर, 81 का प्राप्त हुआ। श्री किशन लाल, हेड कांस्टेबिल, पुलिस चौकी, करकौली, थाना पिनाहट, जनपद आगरा को स्थायी पदोन्नति 16-7-82 से पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 455 के अन्तर्गत कर दी गई है। नायक 21102 मलिखान सिंह व 21191 रामदास 15वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0, आगरा का स्थानान्तरण जी0 आर0 पी0 में करना सम्भव नहीं पाया गया है। कांस्टेबिल 531 अब्दुल मजीद, नागरिक पुलिस का स्थानान्तरण भी नहीं किया गया है।

श्री सुनहरी लाल, निवासी ग्राम खोरिया शिकमी गोहाना, थाना फरिहा, मैनपुरी का सिपाही, जयवीर सिंह की भर्ती के सम्बन्ध में शिकायत तथा उनके पिस्टल, रिवाल्वर के लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुनहरीलाल, निवासी खेरिया शिकमी गोहना, थाना फरिहा तहसील जसराना, जनपद, मैनपुरी का शिकायती-पत्र दिनांक 21-11-81 का संलग्नक फोटो स्टेट कापी के आपको सिपाही जयवीर सिंह के भर्ती होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन शिकायतकर्ता की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यद्यपि माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा उल्लिखित पत्र की प्राप्ति के स्पष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं, फिर भी इसकी छानबीन कराई गई तथा प्राप्त सूचनानुसार सिपाही जयवीर सिंह के भर्ती होने के सम्बन्ध में श्री सुनहरी लाल, निवासी खेरिया शिकमी गोहाना, थाना फरिहा, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी का शिकायती-पत्र दिनांक 21-11-81 शासन को प्राप्त होना नहीं पाया गया। अतः अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनहरी लाल के जीवन के भय की पुष्टि न हो सकने के कारण उन्हें अंग रक्षक प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

72--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री सुनहरी लाल पुत्र श्री अन्तरामी सिंह, निवासी खेरिया, शिकमी थाना करिहा, जनपद मैनपुरी को जिलाधीश, मैनपुरी ने अप्रैल, 1975 में रिवाल्वर, पिस्टल के लाइसेन्स प्रदान करने का आदेश पारित किया ? यदि हां, तो अब तक लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में उसकी प्रक्रिया पूरा कराने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? और क्या शासन सुनहरी लाल को लाइसेन्स पिस्टल/रिवाल्वर का प्रदान करने की जिलाधीश, मैनपुरी को आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित अभिलेखों के अनुशीलन से विदित होता है कि श्री सुनहरी लाल पुत्र श्री अन्तराम, निवासी खेरिया शिकमी गोहना थाना करिहा, जनपद मैनपुरी को अप्रैल, 1975 में रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेन्स प्रदान करने के आदेश पारित नहीं किए गए थे तथा श्री सुनहरी लाल का तत्संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र आदि भी उपलब्ध नहीं है ।

रिवाल्वर/पिस्टल के लाइसेन्सिंग प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट हैं, अतः शासन द्वारा आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुनहरी लाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय कन्या विद्यालय, करिहा को अंग रक्षक दिए जाने की मांग

73--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यापक राजकीय कन्या विद्यालय, करिहा, जनपद मैनपुरी का अंग रक्षक हेतु दिनांक 25 जनवरी, 1980 के प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री एवं महा निरीक्षक इन्टेलीजेन्स को प्राप्त हुए ? जांचोपरान्त अब तक अंग रक्षक नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अंग रक्षक प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री सुनहरी लाल यादव, प्रधानाध्यापक, राजकीय कन्या विद्यालय, करिहा, जनपद मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1980 प्राप्त हुआ था । जांचोपरान्त जीवन भय की पुष्टि नहीं हुई, अतः उन्हें अंग रक्षक नहीं प्रदान किया गया ।

सरकारी आवास गृहों में रह रहे राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को आवास भत्ता

74--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि सन्दर्भित उत्तर में उल्लिखित जांच वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त

राजकीय निर्माण निगम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य सम्पत्ति विभाग या अन्य प्रकार के सरकारी आवासों में रह रहे हैं, मकान किराया भत्ता उक्त अधिकारियों की ही भांति दिए जाने के आदेश विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

अब इस विषय पर शासन ने स्पष्ट सामान्य नीति निर्धारित कर दी है एवं तद्नुसार वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 1-4-1982 द्वारा निर्देश निर्गत कर दिये गए हैं, जिन्हें तत्कालीन सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 31-5-1982 द्वारा प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/निगमों जिनमें राजकीय निर्माण निगम भी शामिल हैं, पर भी लागू कर दिया गया है। इस आदेशों के फलस्वरूप उक्त निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो सरकारी आवास गृहों में रहते हैं, निगम द्वारा कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। निगम तद्नुसार कार्यवाही करा रहे हैं।

वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 1-4-1982 एवं सार्वजनिक निर्माण उद्योग अनुभाग-1 के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31-5-82 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 705 ।)

75—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

कृषि विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की बस का डकैतों द्वारा लूट के सम्बन्ध में पत्र

76—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-2-82/12-2-82 की रात्रि में कृषि विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की लखनऊ लौटती बसों को घाटमपुर, कानपुर थानान्तर्गत डकैतों द्वारा लूटपाट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 16-2-82 को कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर जांच की गयी ? जांच का पूर्ण विवरण क्या है, जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 16-2-82 प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर भेजा गया था। उक्त पत्र में संदर्भित आरोपों की जांच करायी जा रही है, जो अभी प्रचलित है।

77—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[3 रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले की सड़कों का निर्माण

78--श्री विजय सिंह राना--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आगरा जनपद के लिए कुल कितने कि0 मी0 मार्ग का निर्माण स्वीकार किया गया और इसम से आगरा तहसील में कुल कितने कि0 मी0 मार्ग का निर्माण कराया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सन 1980 से अब तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आगरा जनपद के लये कुल 283 41 किलोमीटर मार्गों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

उपरोक्त में से आगरा तहसील म 6.100 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य, 14.600 कि0 मी0 में पुल/पुलियों तथा 3.10 कि0 मी0 लम्बाई में खड़ंजा लगाने का कार्य निर्मित हुआ ।

आजमगढ़ जनपद में थानों तथा उप पुलिस अधीक्षक की संख्या

79--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में इस समय कुल कितने थाने हैं और उनके लिए कितने उप पुलिस अधीक्षक की आवश्यकता है ? आवश्यकता से कम पुलिस उप अधीक्षक रखने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आजमगढ़ जनपद में इस समय 31 पुलिस थाने हैं और उनके लिए 7 पुलिस उप धीक्षक की आवश्यकता प्रतीत होती है । इस समय पांच पुलिस उपाधीक्षक के पद स्वीकृत हैं । फिलहाल इससे अधिक पुलिस उपाधीक्षक तैनात किया जाना सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जनपद में भवस नाथ--तहबरपुर मार्ग पर सिलनी नदी पर पुल का निर्माण

80--श्री पंचानन राय--

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में भवस नाथ-तहबरपुर मार्ग पर स्थित सिलनी नदी पर सेतु का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब पूरा हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

वर्ष 1983 के अन्त तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

आजमगढ़ जनपद में परशुरामपुर–शंकरपुर मार्ग पर छोटी सरयू नदी पर पुल का निर्माण

81–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित परशुरामपुर––शकरपुर मार्ग पर छोटी सरयू नदी पर सेतु का निर्माण सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

वर्ष 1983 के अन्त तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

82––श्री पंचानन राय––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभाई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

83––श्री पंचानन राय––

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक जुलाई, 1980 से 30 अप्रैल, 1982 के बीच कितनी कि0 मी0 नई सड़क का निर्माण कराया गया तथा कितने कि0 मी0 कच्ची सड़क को पक्का कराया गया है तथा इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ में महराजगंज–शंकरपुर मार्ग का निर्माण

84––श्री पंचानन राय––

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में स्थित महाराजगंज शंकरपुर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं संरेखण कब स्वीकृत कराया गया ?

श्री अम्मार रिजवी––

महाराजगंज–शंकरपुर 9.40 कि0 मी0 लम्बे मार्ग का निर्माण सूखा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 में स्वीकृत किया गया था । पुराना मार्ग का निर्माण होने के कारण संरेखन का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आजमगढ़ के महाराज गंज–राजे सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण

85–श्री पंचानन राय––

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महाराजगंज–राजे सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं संरेखण कब स्वीकृत कराया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

3.5 कि0 मी0 लम्बे महाराजगंजराजे सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। पुराने मार्ग ही का निर्माण होने के कारण संरेखन का प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जनपद में रोनापार--लाटघाट मार्ग पर कल्यानपुर के पास पुल निर्माण की योजना

86--श्री पंचानन राय--

क्या निर्माण मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पुल की स्वीकृति छः लाख रुपए की लागत पर दिनांक 24-4-81 को प्रदान किए जाने के उपरान्त आज तक उसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ? इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायगा और कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही।

87--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आजमगढ़ जनपद में महाराजगंज--राजे सुल्तानपुर मार्ग पर छोटी सरयू नदी पर अस्थायी क्रासिंग के निर्माण की योजना

88--श्री पंचानन राय--

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महाराजगंज राजे सुल्तानपुर मार्ग पर छोटी सरयू नदी पर अस्थायी क्रासिंग का निर्माण वर्ष 1981 में कराया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य किस योजना में स्वीकृत था ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

उक्त कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं था परन्तु जनहित में निर्माण कराया जाना अपरिहार्य था। निर्माण कार्य का व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग के आय-व्ययक के मद रख-रखाव से वहन किया गया।

89--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 के कार्यरत अधिकारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की संख्या

90—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारी 31 मार्च, 1982 को थे ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के थे ? क्या इनका आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसे पूर्ण करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 31 मार्च, 1982 को प्रदेश के आई0 ए0 एस0 संवर्ग तथा पी0 सी0 एस0 (प्रशासकीय शाखा) की स्थिति निम्नवत् थी :—

सेवा संवर्ग का नाम	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	पिछड़ी जाति के अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1—आई0 ए0 एस0	460	63	..
2—पी0 सी0 एस0 (प्रशासकीय शाखा)	974	152	53

आई0 ए0 एस0 में भर्ती भारत सरकार द्वारा की जाती है और अधिकारी प्रदेश काडर को आवंटित किए जाते हैं जिनमें पिछड़ी जाति का विवरण नहीं होता ।

पी0 सी0 एस0 (कार्यकारी शाखा) में सीधी भर्ती के अधिकारियों में अनुसूचित जाति के अधिकारी निर्धारित कोटा के अनुसार उपलब्ध हो रहे हैं । गत चयन में प्रोन्नति के माध्यम से लिए जाने वाले अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के अधिकारी आरक्षण कोटा के अनुसार नहीं मिल पाए और उनकी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रनीत कर दी गई । पिछड़ी जाति के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था अगस्त, 1977 में हुई और तब से उसके अनुसार कार्यवाही नियमान्तर्गत हो रही है ।

ग्राम कुआ हाटा थाना उसका बाजार, बस्ती में पड़ी डकैती सम्बन्धी श्री पंचानन राय का पत्र

91—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुआहाटा थाना उसका बाजार, जनपद बस्ती में 1/2 जून, 1981 की रात्रि में पड़ी भीषण डकैती से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जलाई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित समस्याओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां।

आवेदन पत्र की जांच कराई गई। थानाध्यक्ष संतोषकुमार पांडेय के विरुद्ध आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए। थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो चुका है। कुआं हाटा के निवासियों के बन्दूक के लाइसेंस के आवेदन जिलाधिकारी बस्ती के यहां विचाराधीन हैं।

पंजाब शुगर मिल घुघली गोरखपुर के सेवा निवृत्त श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान

92--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिसीवर के नियंत्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल घुघली गोरखपुर में सेवा निवृत्त श्रमिकों का अनुतोषिक (ग्रेच्युटी) कितना और कब से बाकी है ? तथा उनका भुगतान कब तक हो जायेगा।

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स पंजाब शुगर मिल्स कं0 लि0, घुघली जिला गोरखपुर में दिनांक 31-10-76 तक के सेवा निवृत्त, त्याग-पत्र देने वाले तथा मृत 138 श्रमिकों का 5,93,000·00 रु0 और तदन्तर प्रतिष्ठान के रिसीवरशिप में आने के बाद से जून 1982 तक ऐसे 262 श्रमिकों को 13,99,000·00 रु0 अर्थात् कुल मिला कर 400 श्रमिकों का 19,92,000·00 रु0 ग्रच्युटी के मद में भुगतान होना शेष है।

मिल के रिसीवर उपर्युक्त बकायों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था कर रहे हैं।

पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर में श्रम कल्याण केन्द्र खोले जाने की मांग

93--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि गत वर्ष प्रश्नकर्ता ने उक्त मिल में श्रम कल्याण केन्द्र सम्बन्धी कोई पत्र माननीय मंत्री जी को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई।

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

पंजाब शुगर मिल, घुघली, गोरखपुर में एक श्रम कल्याण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1981 तत्कालीन श्रम मंत्री जी को प्राप्त हुआ था। संसाधनों के अभाव में घुघली म श्रम कल्याण केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं हो सका।

भूतपूर्व खाद्य सचिव, श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध कतिपय विधायकों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र तथा उस पर कार्यवाही

94--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व खाद्य सचिव श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध 21 विधायकों द्वारा विभिन्न प्रकार के गम्भीर आरोप निहित करते हुए सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने हेतु अप्रैल, 1981 के प्रथम सप्ताह में प्रदेश शासन को कोई पत्रक प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें किस प्रकार के आरोप निहित थे ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच के फलस्वरूप क्या परिणाम एवं निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम, भूतपूर्व खाद्य सचिव के विरुद्ध श्री गजेन्द्र सिंह तथा अन्य माननीय विधायकों का एक शिकायती-पत्र दिनांक 31-3-81, अप्रैल, 1981 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ जिसमें उनके विरुद्ध भ्रष्ट व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने, खांडसारी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध पर छूट, चीनी मूल्य के निर्धारण में गोलमाल, आटा मिल मालिकों से सांठगांठ, गेहूं खरीद एवं चावल लेवी में दोषपूर्ण नीति, चावल मिल के लेवी की माफी, मिलों के लाइसेन्सों का निलम्बन तथा बहाली, कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति इत्यादि विषयक आरोप लगाए गए हैं। इस सम्बन्ध में अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया जो प्राप्त हो गया है और शासन के विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश, निवासी मोहल्ला महाजनान, जिला शाहजहांपुर का थाना जलालाबाद की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

95--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री को श्री ओम प्रकाश पुत्र सेठ राम चरण, मोहल्ला महाजनान, जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर का पुलिस जलालाबाद के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4-2-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस जलालाबाद के विरुद्ध मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें पुलिस जलालाबाद के विरुद्ध मुख्य शिकायत प्रार्थी तथा उसके पुत्र को अफीम अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के बारे में है। शिकायती-पत्र की जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए।

96--श्री राजकुमार राय--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद के निलम्बित प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

97—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-1-79 को कोतवाली, फर्रुखाबाद में दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद के निलम्बित प्रधानाचार्य के विरुद्ध लगभग इक्कीस हजार रुपए के गबन की रिपोर्ट लिखाई गई। यदि हां, तो क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कार्यवाही न करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला फर्रुखाबाद के निलम्बित प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त विद्यालय के धन के कथित गबन कर लिए जाने के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में एक अपराध अन्तर्गत धारा 409 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जो अदम तफसीस रहा। प्रसंग की जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गहरी छानबीन के बाद गबन का आरोप सत्यापित नहीं पाया गया। अतः किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिर खाना के कतिपय ग्रामों के भूखंडों में लगे बागों में पेड़ों का कटान

98—श्री सन्त बख्स रावत तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना जगदीशपुर बाहरपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर के भूखंड संख्या 824-1514, 1515/1, 1515/2, 1947, 1925, 1926 व ग्राम रसूलपुर के भूखंड संख्या 1130 तथा ग्राम फतेहपुर के भूखंड संख्या 72, 119, 345, 355 जो सभी बागान हैं वर्ष 1980-81 में कितने हरे पेड़ वैधानिक एवं अवैधानिक रूप से काटे गये हैं ? क्या मंत्री जी उन हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जिला सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर के भूखंड संख्या 824, 1514, 1515/1, 1515/2, 1947, 1925, 1926 व ग्राम रसूलपुर के भूखंड संख्या 1130 तथा ग्राम फतेहपुर के भूखंड संख्या 72, 119, 345, 355 के कोई हरे पेड़ वैधानिक अथवा अवैधानिक रूप से काटे नहीं गये हैं। अतः हरे पेड़ों के कटान रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिस कर्मचारियों को परिचय-पत्र

99—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस कर्मचारियों (कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल ए0 एस0 आई0, एस0 आई0 तथा इंस्पेक्टर) को परिचय-पत्र दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उपरोक्त कर्मचारियों को परिचय-पत्र देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के प्रत्येक ए0 एस0 आई0, एस0 आई0 तथा इन्सपेक्टर को परिचय पत्र दिया जाता है ।

कान्सटेबुल व हेड कान्सटेबुल को परिचय पत्र नहीं दिया गया है क्योंकि उन्हें अकेले बिना वर्दी के बाहर ड्यूटी देने नहीं जाना पड़ता । उन्हें परिचय पत्र दिये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है ।

पुलिस उप निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग

100—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा—191 के अन्तर्गत पुलिस विभाग में कितने पुलिस उप निरीक्षक 31-1-82 तक कार्यरत थे कितने पुलिस उप निरीक्षक अब तक स्थायी घोषित किए गये ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि 3 वर्ष से अधिक उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उनको कब तक स्थायी कर देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस रेगुलेशन के पैरा-191 के अन्तर्गत पुलिस उप निरीक्षकों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है । पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर-191 के प्राविधान के अनुसार जो भी हेड कान्सटेबिल उक्त प्रस्तर के अन्तर्गत उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाय उसे पी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षित उप निरीक्षक उपलब्ध होते ही प्रत्यावर्तित करना होता है । अतएव इन अस्थायी पदोन्नतियों के बारे में स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता । दिनांक 31-1-82 तक इस प्रस्तर के अन्तर्गत कुल 1494 उप निरीक्षक कार्यरत थे ।

पुलिस उप निरीक्षक (नागरिक) को लेखन सामग्री

101—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में पुलिस उप निरीक्षक (नागरिक) को लेखन-सामग्री दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस उप निरीक्षक (नागरिक) के नाम से लेखन सामग्री सम्पूर्ति नहीं की जाती है बल्कि पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से थानों को लेखन सामग्री दी जाती है, जो पुलिस उप-निरीक्षक (नागरिक) द्वारा भी राजकीय कार्य में प्रयोग में लायी जाती है ।

प्रदेश के प्रत्येक थाने के कार्यालय में एस0 एस0 आई0 (एम0) अथवा कांस्टेबिल (एम0) की नियुक्ति की मांग

102—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक थाने के कार्यालय में ए0 एस0 आई (एम0) अथवा कान्स्टेबिल (एम0 नियुक्ति करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रदेश में प्रत्येक थाने पर ए0 एस0 आई0 (एम0) की नियुक्ति विषयक प्रस्ताव विचारोपरान्त समाप्त कर दिया गया है ।

103--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर के ग्राम रामपुर उपाध्याय के हरिजनों के यहां कथित लूट

104--फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1981 में जनपद गोरखपुर ऊरवा ब्लाक परतावल के ग्राम रामपुर उपाध्याय के टोला टेढ़वा व थाना श्याम देवरवा के अन्तर्गत चार हरिजनो का घर लूटा गया ? यदि हां, तो घटना क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कथित घटना स्थानीय थाना श्यामदेवऊरवा के अभिलेखों में अंकित नहीं है । फिर भी इस सम्बन्ध में जांच करायी गई तथा ग्राम प्रधान की लिखित तहरीर के अनुसार माह नवम्बर, 1981 में रामपुर उपाध्याय के टोला ढेढवा पर बदमाशान आये थे किन्तु जाग व शोर हो जाने के कारण वे भाग गये और कोई सामान लूट पाट नहीं कर पाये ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जनजाति के सब इंस्पेक्टर व इस्पेक्टर्स की पदोन्नति

105--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में अनुसूचित जनजाति के कितने सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस एवं इंस्पेक्टर 1-1-81 से 31-1-82 तक पदोन्नति किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किये गये हैं ।

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1-1-81 से 31-1-82 तक की अवधि में सब इन्सपेक्टरों का चयन निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु नहीं किया गया । अतः इस अवधि में किसी अनुसूचित जनजाति के उप निरीक्षक की पदोन्नति का कोई प्रश्न नहीं है ।

अनुसूचित जनजाति के किसी भी निरीक्षक को इस अवधि में पदोन्नति नहीं दी गई क्योंकि विचार क्षेत्र में इन जातियों का कोई निरीक्षक उपलब्ध नहीं था ।

विन्ध्याचल जिला मिर्जापुर के आपराधिक मामले में दर्ज व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स

106—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सर्व श्री अलबेले, दिवाकर एवं सुधाकर पुत्रगण श्री प्यारे लाल पंड, अशोक राजा पुत्रगण श्री गंगेश्वर पंडा, बेटेलाल पुत्र भवानी प्रसाद विजय द्वारिकाघोश पंडा, बच्चा पुत्र मंगला प्रसाद पाण्डेय नाहर प्रसाद जायसवाल पुत्र पोपले साहू, सिंह वाहिनी प्रसाद उर्फ मुन्ना तथा बबऊ पुत्र कोबई निवासी विध्याचल थाना विध्याचल जनपद मिर्जापुर जिनके ऊपर भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अनेक अपराधिक मामले विचाराधीन हैं, को गत वर्षों 1977 से अब तक अग्नयास्त्रों के लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित अवधि में सर्वश्री अलबेले पुत्र प्यारे लाल दिवाकर व सुधाकर पुत्रगण अलबेले लाल, अशोक पुत्र गंगेश्वर पंडा, नाहर प्रसाद पुत्र पोपले जयसवाल, बेटेलाल उर्फ नरवदेश्वर प्रसाद पुत्र भवानी प्रसाद, बच्च उर्फ प्रकाश चन्द्र पाण्डेय पुत्र मंगला प्रसाद तथा बबऊ पुत्र पोकई निवासीगण विन्ध्याचल जिला मिर्जापुर को आग्नेयास्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये । उक्त आग्नेयास्त्र जानमाल की हानि की आशंका की पृष्ठभूमि में दिए गए । इस मामले के औचित्य की गहराई से छानबीन भी कराई जा रही है । तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

बाराबंकी में ट्रेलर से ढुलाई गयी लाशों का विवरण

107—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री 1982 के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी में लाशों की ढुलाई के लिये ट्रेलर का नम्बर क्या है ? तथा यह बाराबंकी कब आया क्या मंत्री जी 9—6—80 से 9 अक्तूबर, 1981 तक 19 लाशों की ढुलाई की तिथि उनके नाम थाने तथा गांव का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

1982 के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर में 19 लाशों की ढुलाई की सूचनी के बजाय 16 लाशों की ढुलाई की सूचना संशोधित उत्तर में अलग से प्रस्तुत की गयी है ।

जनपद बाराबंकी में लाशों की ढुलाई के लिए उपलब्ध ट्रेलर का नम्बर यू0 पी0 जे0 5481 है, जो बाराबंकी जनपद में 28—4—1979 को उक्त ट्रेलर से 9—6—80 से 9—10—1981 की अवधि में जिन 16 लाशों की ढुलाई हुयी उनका वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 707 पर)।

108—श्री हरीशंकर—

[4 थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

हरदोई में ब्लॉक में कन्ट्रोल का कपड़ा बेचे जाने की सम्बन्धी शिकायती पत्र

109—श्री हरीशंकर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलग्राम जिला हरदोई में ब्लॉक से कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र उनको दिनांक 15-2-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में मामले में शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया था। तद्नुसार जांच की प्रगति आख्या शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग को आवश्यक निदेश दिया गया।

हरदोई के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में खरीदे गये तार ब्वायलर व ट्रेसिंग टेबुल का उपयोग

110—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1980-81 तथा 1981-82 में सार्वजनिक निर्माण विभाग हरदोई के प्रान्तीय खण्ड में कितने तार ब्वायलर खरीदे गये और उनसे कितना कार्य उक्त समय में लिया गया ? क्या यह सही है कि उनकी लाग बुकें पूर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई में कोई तार ब्वायलर नहीं खरीदा गया है अतः उनके द्वारा उक्त समयावधि में कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है।

111—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के 6ठे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खंड में क्रय की गयी ट्रेसिंग टेबुल इस समय किसके नाम इश्यू है और उस पर खरीदने के दिन से 25 मार्च, 1982 तक कितने नक्शे ट्रेस किये गये और किस-किस के द्वारा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत ट्रेसिंग टेबिल किसी कर्मचारी विशेष के नाम इशू नहीं है। ट्रेसिंग का कार्य सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं एवं मानचित्रकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, जिनके द्वारा इस पर लगभग 10 नक्शे ट्रेस किये गये हैं।

अस्थायी निर्माण खंड हरदोई में खरीदे गये उपकरणों का प्रयोग

112--श्री कुंवर सिंह नेगी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो इन्स्ट्रूमेन्ट्स बाक्स, ड्राइंग बोर्ड तथा सेट्सक्वायर क्रय किये गये हैं वह किसी को इश्यू किये गये हैं या अभी तक स्टोर में बन्द पड़े हैं ? यदि बन्द पड़े हैं, तो उसके खरीदने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

क्रय किये गए उपकरण किसी कर्मचारी विशेष को स्थायी रूप से इशू नहीं किये गए हैं बल्कि आवश्यकता होने पर स्टोर से प्राप्त कर लिये जाते हैं तथा कार्य समाप्त हो जाने पर पुनः स्टोर को वापस कर दिये जाते हैं।

जनपद मैनपुरी के थाना फरिहा में पंजीकृत मु0 इ0 नं0 64 व 65 की सी0 आई0 डी0 जांच

113--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के थाना फरिहाई में मु0 ई0 नं0 64 व 65 सन् 1979 में पंजीकृत किये गये थे के सम्बन्ध में पुनः सी0 आई0 डी0 से विवेचना कराने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ प्रश्नकर्त्ता का मांग-पत्र दिनांक 18-3-1982 का पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर पुनः विवेचना कराने में क्या आपत्ति है ? क्या शासन द्वारा सी0 आई0 डी0 से विवेचना कराई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। उक्त दोनों अभियोगों की अग्रेतर विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

बाराबंकी की रामसनेही घाट तहसील के अन्तर्गत गोमती नदी पर रेछ घाट पुल का निर्माण

114--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सन् 1979-80 में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील राम सनेही घाट में स्थित ग्राम रिछ में गोमती नदी पर (रेछ घाट) पुल बनाये जाने हेतु सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां। मई, 1980 में सर्वे कराया गया था।

पुल अभी स्वीकृत नहीं है।

देवरिया जिलान्तर्गत भागलपुर के पास कथित पुल निर्माण की योजना

115--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत घाघरा नदी में भागलपुर के पास 6 करोड़ लागत से पक्का पुल बनाने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के एक हरिजन श्री विंध्याचल प्रसाद द्वारा थाना झंगहा में लिखाया गयी रिपोर्ट

116--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में मु0 अ0 सं0 21 धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत 25-1-1982 को एक हरिजन (श्री विन्ध्याचल प्रसाद) ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्त्ता ने माह जनवरी 27-1-1982 से अब तक अनेकों पत्र स्थानीय अधिकारियों व शासन को दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित अभियोग धारा 307/506 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरान्त रिपोर्ट झूठी पाये जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगायी गई ।

पुलिस इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टर की भर्ती में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कोटा

117--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 को कितने पुलिस इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति के थे क्या इनके आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो शासन पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 31 मार्च, 1982 को 101 पुलिस इन्सपेक्टर व 1090 पुलिस सब-इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति के तथा 100 पुलिस इन्सपेक्टर व 1106 पुलिस सब-इन्सपेक्टर पिछड़ी जाति के थे ।

उक्त दोनों वर्गों के आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये शासन प्रयत्नशील है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा

118--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक प्रदेश के मुख्यालय तथा विभिन्न खण्डों में श्रेणी 3, 4 के कुल कितने कर्मचारी हैं उनमें से कितने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हैं उनका आरक्षण का प्रतिशत क्या है, क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय तथा विभिन्न खंडों में दिनांक 31 मार्च, 1982 तक कार्यरत श्रेणी 3 तथा 4 के कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :--

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी--3	11958	1003	879
		8.4%	7.5%
श्रेणी--4	2774	526	238
		18.9%	8.6%

अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का प्रतिशत श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 दोनों में 18 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति हेतु श्रेणी 3 में 15 प्रतिशत तथा श्रेणी 4 में 10 प्रतिशत निर्धारित है ।

श्रेणी 3 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का कोटा पूरा नहीं है । इसे पूरा करने के लिये पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं तथा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रमुख अभियन्ता द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं । तदनुसार कर्मचारियों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को भी लिख गया है ।

श्रेणी--4 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है । पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण नहीं है जिस हेतु भी प्रयास किया जा रहा है ।

प्रदेश सचिवालय के श्रेणी 3 व 4 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा

119--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में श्रेणी 3, 4 के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं उन का आरक्षण प्रतिशत क्या है क्या आरक्षण

का कोटा पूर्ण है यदि नहीं, तो सरकार उसे पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 30 जून, 1982 को विद्यमान स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय में श्रेणी तीन के कुल 3,358 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के क्रमशः 286 तथा 402 कर्मचारी थे। कर्मचारियों का आरक्षण प्रतिशत क्रमशः 8·51 और 11·93 था। आरक्षण कोटा पूरा करने की दिशा में समुचित प्रयास किए जाते हैं परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में आरक्षण पूरा नहीं हो पाता।

जहां तक श्रेणी चार के कर्मचारियों का प्रश्न है, उक्त तिथि को उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 1,446 कर्मचारी कार्यरत थे, उनमें से अनुसूचित जाति के 264 और पिछड़ी जाति के 331 कर्मचारी थे। इनका आरक्षण प्रतिशत क्रमशः 18·25 और 22·89 है, जो निर्धारित आरक्षण से अधिक है।

प्रदेश में आई0 पी0 एस0 अधिकारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति का कोटा व जिलों में तैनाती

120--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक प्रदेश में कुल कितने आई0 पी0 एस0 अधिकारी हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के हैं ? उनका आरक्षण का प्रतिशत क्या है ? इन अधिकारियों में अनुसूचित जाति के कुल कितने आई0 पी0 एस0 अधिकारियों को जिले का चार्ज दिया गया है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है ? क्या आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उन्हें पूर्ण करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 31 मार्च, 1982 को प्रदेश में कुल 305 आई0पी0एस0 अधिकारी थे। उनमें से 44 अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाति तथा चार पिछड़ी जाति के अधिकारी थे। आई0 पी0 एस0 में अधिकारियों की भर्ती भारत सरकार द्वारा आई0 पी0 एस0 नियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आरक्षण का प्राविधान आई0 पी0 एस0 (रेक्रूटमेन्ट) रूल्स 1954 के नियम 7 में दिया हुआ है। 31 मार्च, 1982 को प्रदेश में अनुसूचित जाति के 44 अधिकारियों में से 7 अधिकारी जिलों में तैनात थे। पदों पर अधिकारियों की तैनाती जाति के आधार पर किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि किसी पद पर अधिकारी की तैनाती उसकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है।

सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का कोटा

121—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल कितने अनुभाग अधिकारी हैं उनमें से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं उनका आरक्षण प्रतिशत क्या है क्या आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में 31 मार्च, 1982 को कुल 310 अनुभाग अधिकारी हैं जिनमें से 23 अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं । इस प्रकार इसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण लगभग 7·42 प्रतिशत है और उनका आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ।

राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नतियों में पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षण शासनादेश संख्या-5119/चालीस-1-81-15—(28)-80, दिनांक 30 सितम्बर, 1981 द्वारा समाप्त कर दिया गया है ।

अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

अरण्यपाल एक्स्टेन्शन सर्किल, बरेली द्वारा श्री पान सिंह बिष्ट, मानचित्रकार की सेवा समाप्ति

122—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरण्यपाल एक्सटेन्शन सर्किल, बरेली द्वारा 1967 में मानचित्रकार (श्री पान सिंह बिष्ट) ने एक साल में बिना किसी शिकायत या पदोन्नति के तीन बार स्थानान्तरण किये जाने के विरोध में 7 अक्तूबर, 1967 को सशर्त त्याग-पत्र दिया था जो 3 जून, 1975 को स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो उसे 1967 से 1975 तक का वेतन तथा भत्तों को भुगतान न करने का क्या कारण है ? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं ।

श्री पान सिंह बिष्ट, मानचित्रकार का स्थानान्तरण वर्ष 1967 में केवल एक ही बार, अरण्यपाल, विस्तार वृत्त, बरेली द्वारा उत्तरी दोआब वन प्रभाग, मेरठ से दक्षिणी दोआब वन प्रभाग, इटावा को, जनहित में किया गया था । इस स्थानान्तरण के विरोध में श्री बिष्ट ने दिनांक 5 सितम्बर, 1967 को सशर्त त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जो नियमानुसार स्वीकार नहीं किया गया । श्री पान सिंह बिष्ट की सेवा समाप्ति का सम्बन्ध उनके अनधिकृत रूप से सेवा से अनुपस्थित

रहने से है। उन्होंने स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए दक्षिणी दोआब वन प्रखण्ड, इटावा में 4 जुलाई, 1967 को योगदान किया। उसके पश्चात् दो दिन का मुख्यालय छोड़ने का प्रार्थना-पत्र 8 व 9 जुलाई, 1967 के लिए देकर वे चले गए। इस अवकाश को, अपनी बीमारी के आधार पर, उन्होंने प्रथम बार 27 दिन तथा पुनः 30 दिन प्रार्थना-पत्र देकर बढ़ाया। उनके द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाण-पत्र सिविल सर्जन, नैनीताल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजे गए और श्री विष्ट को निदेश दिये गये कि वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु सिविल सर्जन के सम्मुख उपस्थित हों। उसके बाद न तो उक्त चिकित्स प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षरित होकर वापस प्राप्त हुए और न ही श्री विष्ट अपनी ड्यूटी पर लौटे। उपरोक्त परिस्थिति में, 8 जुलाई, 1967 से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण, उनकी सेवायें 8 जुलाई, 1967 से अरण्यपाल विस्तार वृत्त, बरेली द्वारा उनके आदेश दिनांक 3 जून, 1975 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गयी।

देवरिया जिलान्तर्गत कपरवार घाट के पैन्टून ब्रिज पर खर्च किया गया धन

123—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत कपरवार घाट के पैन्टून ब्रिज पर कितना धन 1-6-81 से 25-2-82 के बीच किस मद में खर्च हुआ? यह काम टेंडर या कोटेशन या वर्क आर्डर से कराये गए? उसका विवरण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

देवरिया जिलान्तर्गत कपरवार घाट के पैन्टून ब्रिज पर दिनांक 1-6-81 से 25-2-82 के बीच रु0 70,476·48 अनुरक्षण मद पर व्यय हुआ।

विभिन्न कार्य वर्क आर्डर, पी0 डब्ल्यू0 ए0, अनुबन्ध एवं विभागीय श्रमिकों द्वारा कराये गये।

विवरण निम्न प्रकार है—

	रु0	कार्य का विवरण
वर्क आर्डर द्वारा व्यय	16,665.00	बांस, सरपत, नारियल की रस्सी, तार की आपूर्ति, मिट्टी, पेंटिंग एवं लिखाई।
पी0 डब्ल्यू0 ए0 द्वारा व्यय	शून्य	
अनुबन्ध द्वारा व्यय	21,866.00	बल्ली की आपूर्ति।
विभागीय श्रमिकों द्वारा किया गया व्यय	22,552.40	पैन्टून ब्रिज का रख-रखाव।
स्टाक द्वारा व्यय	8,267.00	साइन बोर्ड, वायर रोप, सीमेन्ट
प्रकीर्ण व्यय	1,126.08	निविदा प्रकाशन एवं छुटपुट कार्य।
योग ..	70,476.48	

डी0 आई0 जी0 पुलिस टेलीकाम श्री इन्द्र कुमार सेन गुप्त का बढ़ाया गया सेवाकाल

124—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0 आई0 जी0 पुलिस टेलीकाम (श्री इन्द्रकुमार सेन गुप्त) का सेवाकाल 31-1-82 को समाप्त हो गया ? यदि हां, तो इन्हें एक साल का सेवा बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उप महानिरीक्षक (पुलिस टेलीकाम) जिनका शुद्ध नाम श्री रन्जीत कुमार सेन गुप्त है का सेवाकाल 31-1-1982 को समाप्त हो गया था। सरकारी कार्य हित में उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

अध्यक्ष, जिला युवा जनता, गोरखपुर द्वारा ट्रान्सफार्मर की चोरी की रिपोर्ट

125—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री फिरंगीप्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला युवा जनता, गोरखपुर (श्री जमीरुवाल) ने इसी जिले के घुघली थाने में 20 मार्च, 1982 को ट्रान्सफार्मर चोरी के विषय में एक रपट दर्ज कराया जिसमें दो अभियुक्तों को नामजद किया गया है ? यदि हां, तो वे अभियुक्त कौन हैं एवं तत्काल इनके विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रान्सफार्मर की चोरी के सम्बन्ध में श्री राम आसरे जायसवाल, अध्यक्ष, जिला युवा जनता गोरखपुर के द्वारा न कि श्री जमीरुवाल द्वारा, लिखित सूचना पर दिनांक 20 मार्च, 1982 को थाना घुघली में एक अपराध धारा 41/411 भारतीय दंड विधान का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल एक अभियुक्त नामजद किया गया था।

अभियुक्त का नाम श्री शंकर लोहार पुत्र दुबर लोहार है।

विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में 27-5-82 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद गाजीपुर के कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं थानेदारों के विरुद्ध न्यायालयों में चल रहे फौजदारी के मुकदमें तथा उनका स्थानान्तरण

126—श्री राम नरायन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के कितने पुलिस अधिकारियों एवं थानेदारों के विरुद्ध 28 फरवरी, 1982 तक न्यायालयों में फौजदारी के कितने वाद चल रहे हैं ? तथा उनके नाम क्या हैं तथा किन धाराओं के वाद इनके विरुद्ध चल रहे हैं ? क्या वादियों को न्याय दिलाने एवं जनहित में इन अधिकारियों का स्थानान्तरण दूसरे जनपद में सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद गाजीपुर में 18 पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध फरवरी, 1982 तक न्यायालयों में फौजदारी के 22 वाद चल रहे थे। इन सब-इंस्पेक्टरों के नाम तथा उनके विरुद्ध विचाराधीन वाद की धाराओं के विवरण संलग्न सूची में अंकित हैं। इनमें से जिन उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण हो चुका है उसका उल्लेख भी संलग्न सूची में अंकित है, जो सब-इंस्पेक्टर गाजीपुर जनपद में नियुक्त हैं उनके वहां रहने से वादों को न्याय प्राप्त करने में किसी बाधा की आशंका नहीं है। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस जनपद में फौजदारी के विचाराधीन वादों के सम्बन्ध में सूचना फरवरी, 1982 तक की शून्य है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 708 पर।)

राजकीय सेवाओं में पदोन्नतियों में पिछड़ी जातियों का आरक्षण

127--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सेवाओं में पदोन्नतियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सिलसिले में शासन ने कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो नीति क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, नीति यह है कि पदोन्नतियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य न होगा।

थानाध्यक्ष घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

128--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष घुघली, गोरखपुर (श्री आर० एन० पाण्डेय) के विरुद्ध उक्त थाने के कार्यकाल में कितनी शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं और क्या इन शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हां, तो कब-कब एवं किस अधिकारी द्वारा?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

129--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या प्रश्नकर्ता ने भी गत माह उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र दिया और जिसके उत्तर में 19-4-82 को आपके पत्र द्वारा गृह सचिव द्वारा जांच का निर्देश दिया? यदि हां, तो क्या अब तक जांच हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत आवेदन-पत्र की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है।

थाना कोतवाली, हरदोई के सब-इंस्पेक्टर श्री कुरेशी द्वारा जिला चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी डा0 एस0 के0 वर्मा के साथ दुर्व्यहार तथा उसकी जांच

130--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29/30 अप्रैल, 1982 को श्री कुरेशी सब-इंस्पेक्टर पुलिस चौकी सदर हरदोई शराब पिये हुए एक मुलिजम को डाक्टरी परीक्षण कराने हेतु जिला चिकित्सालय गये तथा श्री कुरेशी ने चिकित्साधिकारी डा0 एस0 के0 वर्मा के साथ दुर्व्यहार किया ? जिसकी शिकायत डा0 एस0 के0 वर्मा ने अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरदोई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से की ? यदि हां, तो उपरोक्त सब-इंस्पेक्टर के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29/30 अप्रैल, 1982 को थाना कोतवाली, हरदोई की पुलिस ने शराब पिए हुए श्री ईश्वर चन्द्र उर्फ मुन्ना, निवासी आलूथोक, हरदोई को धारा 34 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। उसके डाक्टरी परीक्षण कराने हेतु उसे पहले कान्सटेबिल 638 नागरिक पुलिस कुंवर नरेश सिंह समय 21-50 पर जिला चिकित्सालय ले गये। परीक्षण न होने की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली के सब-इंस्पेक्टर श्री कुरेशी अस्पताल में डाक्टर के पास गये। डा0 एस0 के0 वर्मा ने उक्त घटना के सम्बन्ध में 4 मई, 1982 को पुलिस अधीक्षक, हरदोई को पत्र भेजा जिसमें श्री कुरेशी सब-इंसपेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने व अपशब्द कहने की शिकायत की और श्री कुरेशी से क्षति पहुंचाने का भय बताया।

डा0 वर्मा द्वारा उपनिरीक्षक श्री कुरेशी के विरूद्ध लगाये गए आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा कराई गयी तथा जांच से उनके द्वारा लगाये गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को इस प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच कराने के आदेश भेजे गये हैं।

पशुपालन निदेशक द्वारा सांख्यिकीय कर्मचारियों का गलत स्थायीकरण

131- श्री मोहन सिंह--

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन निदेशक के आदेश दिनांक 5-8-1980 द्वारा विभाग के 6 वर्षों से मूल पद एवं वेतनमान में कन्फर्म तीन सांख्यिकीय कर्मचारियों को बिना शो काज नोटिस दिये हुए ही डीकन्फर्म कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां।

इन कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी निदेशक ने इन कर्मचारियों को ज्येष्ठता सूची क्रम में कनिष्ठ घोषित करते हुए उनका दिनांक 1-1-74 से किया गया स्थायीकरण, भूलवश किया गया घोषित किया। इस भूलसुधार के लिए उन्होंने प्रभावित कर्मचारियों को शो काज नोटिस देने का औचित्य व आवश्यकता नहीं समझी।

पशुपालन विभाग में समायोजित नियोजन विभाग के सांख्यकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

132—श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में समायोजन नियोजन विभाग में सांख्यिकीय कर्मचारियों की 15 वर्ष पूर्व की पारस्परिक ज्येष्ठता भंग कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः जो पारस्परिक ज्येष्ठता सूची बनाई गयी है उसमें मूल नियुक्ति की तिथि के साथ पद एवं वेतनमान का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

निदेशक, पशुपालन द्वारा पशुपालन विभाग के सांख्यिकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सर्वप्रथम दिनांक 5-8-80 को अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई। इसे दिनांक 23-3-1981 को अन्तिमरूप दिया गया। चूंकि ज्येष्ठता का अवधारण पशुपालन विभाग में योगदान की तिथि के अनुसार किया गया है अतः नियोजन विभाग की पारस्परिक ज्येष्ठता पर विचार नहीं किया गया। नियोजन तथा अन्य विभागों से उनके यहां अपनायी गई नीति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रभावित कर्मचारियों ने उक्त ज्येष्ठता को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे रखी है।

राजकीय पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र आराजी लाइन वाराणसी में घाटा

133—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र आराजी लाइन वाराणसी में प्रतिवर्ष निरन्तर घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार घाटों के सुधार के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार घाटों के कारणों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

प्रक्षेत्र पर घाटे की स्थिति से शासन अवगत है। घाटे के कारणों तथा उनके सुधार के सिलसिले में विस्तृत जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

134—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला दलपतपुर, मुरादाबाद का दुग्ध दौरारा की पुलिस के कारण खराब होने तथा क्षति पूर्ति की मांग

135—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 1982 में दशनवपुर, जनपद मुरादाबाद में स्थित सहकारी दुग्ध फैक्ट्री के किसी उच्च अधिकारी द्वारा जनपद मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कई हजार लीटर दूध के खराब होने का आरोप पुलिस पर लगाकर पुलिस से हरजाने की मांग की गई ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण की विस्तृत जानकारी क्या है और शासन की ओर से क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री संजय सिंह—

शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला दलपतपुर, मुरादाबाद से ट्रांसपोर्ट कान्ट्रेक्टर की सूचना के अनुसार दिनांक 16 मार्च, 1982 को शाम को दौराला समिति पर दुग्ध एकत्रित करने वाली गाड़ी के ड्राइवर व कन्डेक्टर को पुलिस चौकी तक गाड़ी न ले जाने के कारण पुलिस कर्मियों ने मारा व पीटा तथा दूसरे ड्राइवर के द्वारा गाड़ी पुलिस चौकी पर ले गये। गाड़ी में 5000 लीटर दूध जिसका मूल्य लगभग 10,000 रु० था, सामान्य प्रबन्धक निर्माणशाला ने दिनांक 17 मार्च, 1982 को पुलिस अधीक्षक (देहात) मुरादाबाद को इसकी सूचना देते हुये गाड़ी को अवमुक्त करने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से दूध का मूल्य वसूल कर फैक्ट्री को दिलाने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रबन्धक ने पुलिस अधीक्षक (देहात) से भी सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने पूर्ण जांच का आश्वासन दिया। जांच का परिणाम प्रतीक्षित है।

आजमगढ़ जनपद में नये खोले गए अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती

136—श्री राज कुमार राय—

क्या पशुधन मन्त्री प्रथम सत्र 1982 के पांचवे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के निवासियों के अतिरिक्त जितने कर्मचारियों की जगहें स्थानान्तरण से भरी गई हैं उन्हें कहीं अन्यत्र सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरित करके उन व्यक्तियों पर आजमगढ़ निवासियों में से जो पहले से ही आवेदक हैं की नियुक्तियों पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नकर्ता के सुझाव का कार्यान्वयन इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि इससे प्रभावित कर्मचारियों को असुविधा होगी, मण्डल के अन्य जनपदों में वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं हैं तथा प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना औचित्यपूर्ण न होगा। तथापि आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर उनके गुणावगुण व शासकीय नीति के आधार पर उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकेगा।

देवरिया जिलान्तर्गत विभिन्न ब्लाकों में पशु केन्द्रों के भवनों का निर्माण

137—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ब्लाकों में सभी पशु केन्द्रों पर भवन बन गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जनपद देवरिया में कुल 45 पशु सेवा केन्द्र हैं, जिनमें से 27 पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्मित हैं। शेष 18 पशु सेवा केन्द्रों के भवन अभी निर्मित नहीं हैं। इन भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर म हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

138—श्री रामचरण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या बाकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना अगर है, तो वह कब से लागू होगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत तहसील चुनार में अब तक सत्ताइस (27) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जी हां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सतहत्तर (77) गांवों के विद्युतीकरण की योजना मार्च, 1981 से लागू की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किये जाने का प्राविधान है।

लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित भोला खेड़ा में विद्युत् लाइन कसने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

139--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ले में श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्रा के मकान तक सर्विस लाइन को कसने हेतु नगरमहापालिका लखनऊ द्वारा कितने पत्र लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग (लेसू) को दिनांक 27 जनवरी, 1982 तक लिखे गये ? उपरोक्त सर्विस लाइन को न कसने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन अवर अभियन्ता जिम्मेदार है ? तथा मन्त्री जी उपरोक्त अवर अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित भोला-खेड़ा मोहल्ले में श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्रा के मकान तक सर्विस लाइन कसने हेतु लखनऊ नगरमहापालिका से लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग को केवल एक पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का प्राप्त हुआ था। निरीक्षण के पश्चात् उक्त सर्विस लाइन सही पायी गई अतः उसको कसने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत सर्विस लाइन दोषपूर्ण न पाये जाने की स्थिति में किसी अवर अभियन्ता को दोषी ठहराये जाने एवं कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

140--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में 1 जनवरी, 1982 तक कितने लोगों ने बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने का आवेदन-पत्र दिये हैं, इसके लिए कुल कितने विद्युत् ट्रांसफारमर एवं तार तथा पोल की आवश्यकता पड़ेगी ? बलिया में विद्युत् विभाग के पास कुल कितने ट्रांसफारमर,

विद्युत् पोल व तार इस समय उपलब्ध हैं ? बाकी सामानों की आपूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

1 जनवरी, 1982 को बलिया जनपद में बिजली के कनेक्शन दिये जाने के 343 मामले ऐसे थे जिनमें सम्बन्धित व्यक्तियों ने कनेक्शन प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी थी। उक्त मामलों में कनेक्शन दिये जाने के लिए 34 ट्रांसफार्मर, 129.8 किलोमीटर कन्डक्टर तथा 537 पोल की आवश्यकता थी। इसके विपरीत 14 ट्रांसफार्मर 131.891 किलोमीटर कन्डक्टर तथा 1237 पोल सम्बन्धित वितरण खण्डों में उपलब्ध थे। आवश्यकता के अनुरूप 20 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी सम्बन्धित स्टोर खण्ड में उपलब्ध थे जिनको यथा समय आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता था।

हरदोई में बिजली चोरी के मुकदमों में विद्युत् परिषद् की पैरवी

141--श्री हरी शंकर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 196 के सन्दर्भ में क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मु0 सं0 359 व 358 सन् 1977 अन्तर्गत धारा 379 आई0 पी0 सी0 तथा 39/40 आई0 ए0 ई0 के अन्तर्गत दायर किए गये मुकदमें विद्युत् परिषद् द्वारा समुचित पैरवी न किये जाने के कारण समाप्त हो गए परन्तु परिषद् द्वारा उन मुकदमों को न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मुकदमा सं0 358/77 तथा 359/77 धारा 379 आई0 पी0 सी0 और 39/40 आई0 ई0 ए0 के अन्तर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिलग्राम के न्यायालय में पुलिस विभाग द्वारा दायर किये गये थे। पुलिस विभाग ने 10-9-81 को यह बताया कि ये मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं। उक्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत मुकदमों को न्यायालय में विचाराधीन बताया गया था।

दिनांक 17-3-82 को प्रासीक्युटिंग आफिसर, हरदोई से सम्पर्क स्थापित करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त मुकदमों का फैसला क्रमशः दिनांक 22-5-80 तथा दिनांक 11-6-81 को हो गया था जिसमें अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।

पुलिस विभाग द्वारा उक्त विवादों के सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् के किसी अधिकारी/कर्मचारी को तलब नहीं किया गया था, अतएव परिषद् द्वारा समुचित पैरवी न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर के कतिपय मोहल्लों में बिजली का कम वोल्टेज आने की शिकायत

142--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मन्त्री को यह जानकारी है कि झांसी नगर में मोहल्ला हजरयाना, चतुरयाना, गुदड़ी, अलीगोल, नई बस्ती उन्नाव गेट तथा तालपुर एवं खुशीपुरा में पिछले दो वर्षों से विद्युत का वोलटेज कम रहता है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में अपेक्षित वोलटेज की विद्युत वितरण करने हेतु शासन ने तत्काल क्या निर्णय लिए हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

झांसी नगर में मोहल्ला इजरयाना, चतुरयाना, गुदड़ी, अलीगोल, नई बस्ती उन्नाव गट तथा तालपुरा एवं खुशीपुरा में विद्युत आपूर्ति की सामान्य व्यवस्था के दौरान विद्युत का वोलटेज कम नहीं रहता है। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में एस० पी० ए० योजनान्तर्गत हो रहे कार्य में विलम्ब

143—श्री शम्भू नाथ—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में एस० पी० ए० योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्य में सामान रहते हुए भी विलम्ब हो रहा है। यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

आजमगढ़ जनपद के लिए स्वीकृत एस० पी० ए० योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को निर्धारित योजनाकाल में ही पूरा कर दिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आजमगढ़ के सूरजपुर पशु चिकित्सालय के स्टाकमैन श्री शर्मा द्वारा रोकड़ बही गायब किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट

144—श्री राज कुमार राय—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूरजपुर जनपद आजमगढ़ के पशु चिकित्साल को डाक्टर ने अपने पूर्ववर्ती स्टाकमैन श्री शर्मा के विरुद्ध कोई रिपोर्ट थाना दोहरीघाट में वर्ष 1981 के अगस्त से दिसम्बर के बीच में लिखाई थी ? यदि हां, तो मुख्य अपराध क्या था और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

मुख्य आरोप सूरजपुर पशु चिकित्सालय की रोकड़ बही, धोखा देकर उठा ले जाने से सम्बन्धित है, जिसकी जांच थानाध्यक्ष दोहरीघाट कर रहे हैं।

आजमगढ़ के सूरजपुर पशु चिकित्सालय में नये सामान के स्थान पर पुराने सामान की आपूर्ति

145—श्री राज कुमार राय—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र वर्ष 1981 के अगस्त से दिसम्बर, 1981 तक इस आशय का मिला था कि सूरजपुर, जनपद आजमगढ़ के लिए भेजे गये पशु अस्पताल के बारे में सारे नये सामानों को बदल कर पुराना भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 1-7-81 प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ पुराने सामान, टूटे फर्नीचर तथा कुछ बदले सामान भेजे जाने की भी शिकायत की गई थी।

उक्त शिकायत की जांच कराई गई। जांच अधिकारी ने अवगत कराया है कि पशु चिकित्सालय, सूरजपुर पर समस्त सामान तथा फर्नीचर आदि नये तथा अच्छे हालत में उपलब्ध हैं।

ताजपुर (बिजनौर) के विद्युत सब-स्टेशन का विजिलेंस द्वारा निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितताएं

146--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8/9 मार्च, 1981 को विजिलेन्स के दल ने ताजपुर (बिजनौर) में विद्युत् सब-स्टेशन पर निरीक्षण के समय कुछ अनियमिततायें पाई गयी थीं तथा क्षेत्रीय जनता ने भी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-4-81 के संलग्न आप से दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी ? यदि हां, जो अब तक कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगंज (लखनऊ) योजनान्तर्गत सेक्टर 'जी' के भूखण्डों के ऊपर से जाने वाली विद्युत लाइन को हटाये जाने की कार्यवाही

147--श्री राम आसरे वर्मा--

प्रथम सत्र 82 के 2रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 101 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-1-82 के बाद से अब तक सम्बन्धित विषय पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अलीगंज (लखनऊ) योजना के अन्तर्गत सेक्टर "जी" में भूखण्डों के ऊपर से जाने वाली 33 के० वी० लाइन को हटाये जाने के कार्य पर आने वाली लागत रु० 1,99,922 की धनराशि लखनऊ विकास अधिकरण द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के सम्बन्धित कार्यालय को दिनांक 6 मई, 1982 को प्राप्त करायी गयी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को 9 मार्च, 1981 को 1,99,922 रु० की धनराशि जमा करने के लिए सूचित किया गया था परन्तु उनके द्वारा यह धनराशि लगभग चौदह माह पश्चात् 6 मई, 1982 को प्राप्त कराई गई। उक्त धनराशि के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आवश्यक स्टोर सामग्री का प्रबन्ध पूर्व में किया जाना सम्भव

नहीं था । अतः प्रश्नगत कार्य के निष्पादन हेतु की जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब के लिए परिषद् का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

विद्युत् वितरण खंड टांडा कस्बों में विद्युत् सब-स्टेशन का कथित निर्माण तथा विद्युत् बकाये के सम्बन्ध में बुनकरों के काटे गये कनेक्शन

148—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खंड टांडा कस्बा व जनपद फैजाबाद में सब-स्टेशन निर्माण तथा जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत बकाये के आधार पर बुनकरों के विद्युत् कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ महबूब इलाही सेक्रेटरी पावर बुनकर यूनियन टांडा, फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-2-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में जांच के पश्चात् सब-स्टेशन निर्माण कराया गया ? तथा बकाये के आधार पर काटे गये विद्युत् कनेक्शनों को पुनः जोड़े जाने हेतु आदेश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । विद्युत् वितरण खंड टांडा कस्बा व जनपद फैजाबाद में सब-स्टेशन निर्माण तथा जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत बकाये के आधार पर बुनकरों के विद्युत् कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है ।

जहां तक कस्बा टांडा में सब-स्टेशन निर्माण का प्रश्न है, तो वहां पर न तो कोई सब-स्टेशन पहले से निर्माणाधीन था और न ही कोई नया सब-स्टेशन बनाया गया ।

जिन उपभोक्ताओं के ऊपर विद्युत् बकाया था, उनके कनेक्शन काटे गये थे और जिन उपभोक्ताओं ने बकाये का भुगतान कर दिया, उनके कनेक्शन जोड़ दिये गये । जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये के कारण कटे पड़े हैं, उनके द्वारा बकाये की धनराशि का भुगतान करने पर कनेक्शन जोड़ दिये जायेंगे ।

श्री राम निहोर वर्मा, निवासी ग्राम अमेदा, परगना टांडा, जिला फैजाबाद पर विद्युत् विभाग का डुप्लीकेट बिल

149—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निहोर वर्मा, ग्राम अमेदा, थाना इब्राहिमपुर, तहसील व परगना टांडा, जनपद फैजाबाद के नाम डुप्लीकेट फर्जी नलकूप विद्युत् कनेक्शन दिखा कर अवैध रूप से विद्युत् बिल एवं अन्य धनराशि जबरियन कुर्की द्वारा विद्युत् वितरण खंड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा वसूल किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1982 को कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र का मूल विवरण क्या है तथा विवरण के आधार पर जांच की गई, जांच के दौरान सत्य पाये गये आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री राम निहोर वर्मा, ग्राम अमेढा, थाना इब्राहिमपुर, तहसील व परगना टांडा, जनपद फैजाबाद के नाम डुप्लीकेट फर्जी नलकूप विद्युत कनेक्शन दिखा कर अवैध रूप से विद्युत बिल एवं अन्य धनराशि जबरियन कुर्की द्वारा विद्युत वितरण खंड, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1982 का कोई शिकायती-पत्र परिषद् में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, बल्कि स्वयं उपभोक्ता श्री राम निहोर वर्मा का पत्र दिनांक 19-2-1982 प्राप्त हुआ है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि उपभोक्ता को 7.5 अश्व शक्ति का नलकूप कनेक्शन दिनांक 30-3-74 को दिया गया था, लेकिन उपभोक्ता का नाम बिजक खाते में भूलवश दो स्थानों पर अलग-अलग कनेक्शन नम्बर में अंकित हो गया था। जांच के दौरान उपभोक्ता के गलत कनेक्शन नम्बर के विरुद्ध बकाया धनराशि को निरस्त कर दिया गया और उपरोक्त का विद्युत बिजक सम्बन्धी हिसाब सही कर दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

आनपारा तापीय विद्युत परियोजना में दैनिक श्रेणी लिपिक

150- श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनपारा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में मस्टर रोल में तदर्थ दैनिक श्रेणी लिपिक एवं वर्तमान में श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से बहुत से लोग सन् 1978 से कार्य कर रहे हैं और उन्हें 10 रु0 10 रु0 रोज के हिसाब से मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में दैनिक श्रेणी लिपिकों, श्रमिक आपूर्ति आनपारा तापीय परियोजना में कार्य करने वालों ने अप्रैल, 1982 में महाप्रबन्धक, आनपारा परियोजना एवं माननीय मुख्य मंत्री, विद्युत मंत्री, चेयरमैन, राज्य विद्युत परिषद्, उ0 प्र0 को प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अनस्किल्ड व मस्टर रोल लेबर का वेज निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में जनरल मैनेजर हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर को अतिरिक्त सचिव राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लिखा गया पत्र

151—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सिविल निर्माण सर्किल यू0 पी0-1—डी0/3 चर्च लेन, इलाहाबाद ने अपना आदेश सं0 5624/ई0 सी0 सी0/ए/एस-9, ता0 29-12-81 व श्री हरीशचन्द्र, अतिरिक्त

सचिव, राज्य विद्युत् परिषद्, शक्ति भवन, उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या 3963/डब्लू0 बी0 (1)-एस0 ई0 बी0/14 डब्लू0 बी0-75, अप्रैल, 1981 के द्वारा मिनिमम वेज अनस्किल्ड लेबर व मस्टर रोल डेली रेट कर्मचारियों के बारे में जनरल मैनेजर हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कासिमपुर, अलीगढ़ को भेजा है कि अनस्किल्ड व मस्टर रोल लेबर का वेज निश्चित किया जाय ? यदि हां, तो क्या रेट निश्चित किये गये हैं और सरकार ने ये रेट आनपारा तापीय परियोजना विद्युत् पर लागू कर दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आनपारा तापीय विद्युत् परियोजना, मिर्जापुर के दैनिक श्रेणी लिपिकों का स्थायीकरण

152—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय विद्युत् परियोजना, मिर्जापुर में कितने दैनिक श्रेणी लिपिक व श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इनको स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिव प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड-प्रथम, गोरखपुर के विरुद्ध सतर्कता सेल द्वारा जांच

153—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, जो विद्युत् वितरण खंड प्रथम, गोरखपुर में वर्ष 1973 से 1976 तक कार्यरत थे, के विरुद्ध 77 में राज्य विद्युत् परिषद् की सतर्कता सेल द्वारा कोई जांच प्रारम्भ की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो वह कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जो राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ।

जिला हरदोई के ग्राम धांधांमऊ के राजकीय नलकूप का ऊर्जीकरण

154—श्री हरीशंकर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धांधांमऊ, ब्लाक बिलग्राम, जिला हरदोई को राजकीय नलकूप किस साल निर्मित हुआ और कब ऊर्जीकृत किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम बांधामऊ (जनपद हरदोई) स्थित राजकीय नलकूप संख्या 81, बिलग्राम ग्रुप का बी0 एन्ड एल0 फार्म, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के सम्बन्धित खंडीय कार्यालय में 23 मार्च, 1982 को प्राप्त हुआ ।

उपरोक्त राजकीय नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु वांछित धनराशि 1,33,587 ल0 नलकूप विभाग द्वारा प्राप्त न कराये जाने की स्थिति में उक्त राजकीय नलकूप का ऊर्जीकरण अभी नहीं किया जा सका ।

जनपद हरदोई के ग्राम इटौली से ग्राम जरौली कलां तक बनी विद्युत् लाइन का ऊर्जीकरण

155--श्री हरी शंकर--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि बिलग्राम जरौली कलां (रामपुर मझियारा) मार्ग, जिला हरदोई में कितने दिनों से खम्भों में तार नहीं है ? उक्त लाइन कब तक ऊर्जीकृत हो जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद हरदोई में ग्राम इटौली से ग्राम जरौली कलां तक लगभग सात किलोमीटर लम्बी 11 के0 वी0 लाइन के खम्भों पर पिछले लगभग आठ वर्ष से तार नहीं हैं ।

उक्त लाइन का चालू किया जाना विद्युत् कनेक्शन की मांग पर निर्भर करता है । वर्तमान स्थिति में उक्त लाइन से कनेक्शन प्राप्त करने हेतु किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

शंकर कोल्ड स्टोरेज, सान्डी पर विद्युत् परिषद् का बकाया व उसकी वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

156--श्री हरी शंकर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 51 तालिका 'क' के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि शंकर कोल्ड स्टोरेज, सान्डी की वसूलयाबी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु परिषद् ने सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शंकर कोल्ड स्टोरेज, सांडी के विरुद्ध विद्युत् बकायों की धनराशि 63,800.53 रुपयों की धारा-5 के अन्तर्गत वसूली करने के लिए श्री प्रकाश नारायण कपूर के विरुद्ध जिलाधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 7 मार्च, 1981 को भेजा गया क्योंकि परिषद् से अनुबन्ध विद्युत् कनेक्शन के लिए श्री प्रकाश नारायण कपूर ने ही किया था । जिस पर श्री प्रकाश नारायण कपूर मेसर्स शंकर कोल्ड स्टोरेज, सांडी ने दिनांक 29 मार्च, 1981 को एक वाद परिषद् के विरुद्ध सिविल जज, हरदोई के न्यायालय में प्रस्तुत किया और एक प्रार्थना-पत्र वास्ते स्थगन आदेश इस विषय का दिया कि उनसे ही उपरोक्त धन भू-राजस्व के रूप में वसूली न किया जाय बल्कि समस्त भागीदारों से वसूल किया जाय ।

तदुपरान्त न्यायालय सिविल जज ने श्री प्रकाश नारायण कपूर की दी गई याचिका, की वसूली समस्त भागीदारों से की जाय, को दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को खारिज कर दिया । इस तरह शंकर कोल्ड स्टोरेज, सांडी से सम्बन्धित वसूलयाबी के सम्बन्ध में न्यायालय से कोई स्थगन आदेश परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ । बाद में जिलाधिकारी, हरदोई को धारा 5 के अन्तर्गत श्री प्रकाश नारायण कपूर से वसूली के लिए पुनः एक पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1982 को लिखा गया तथा उसके बाद उनको इस सम्बन्ध में स्मृति पत्र भेजे गये । जिलाधिकारी ने अपने 30 जुलाई, 1982 के आदेश में श्री प्रकाश नारायण कपूर को अपने हिस्से की बकाया राशि (12 प्रतिशत) दिनांक 7 अगस्त, 1982 तक देने के आदेश पारित किए हैं तथा यह भी आदेश दिये हैं कि अधिशासी अभियन्ता बाकी बकायादारों (हिस्सेदारों) को धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी करें । परिषद् जिलाधिकारी के इस आदेश पर कानूनी राय ले रही है तथा तद्नुसार कार्यवाही तुरन्त करेगी ।

गोरखपुर में राप्ती-रोहन नदियों के बीच प्रस्तावित जल विद्युत् परियोजना का निर्माण

157--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में राप्ती-रोहन नदियों के बीच प्रस्तावित जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है और इसके निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पिरलीपुर (चुनार) पावर हाउस में हुए अग्निकांड की जांच रिपोर्ट

158--श्री राम चरण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिरलीपुर पावर हाउस, तहसील चुनार, मिर्जापुर में 7 सितम्बर, 1981 को लगभग 1.30 बजे दिन अग्निकाण्ड हुआ था ? अगर हां, तो उसमें कितने लागत की क्षति हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । पिरलीपुर (चुनार) 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र में दिनांक 7 सितम्बर, 1981 को 1.35 बजे अपराह्न में अग्निकाण्ड हुआ था ।

उक्त अग्निकाण्ड में लगभग रु0 1.70 लाख रु0 की क्षति हुई ।

159--श्री राम चरण सिंह--

क्या उपरोक्त अग्निकाण्ड की जांच कराई गई । यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तथा दो अधीक्षण अभियन्ताओं की एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा उपरोक्त अग्निकाण्ड की जांच करायी गयी।

जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अग्निकाण्ड किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की कार्य अवहेलना के कारण न होकर मात्र आकस्मिक हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

160—श्री राम चरण सिंह—

क्या यह बात भी सच है कि उपरोक्त अग्निकाण्ड का जांच हेतु दिनांक 8-9-81 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने भी हाकिम परगना, चुनार को आदेश दिया था? यदि हां, तो हाकिम परगना द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट क्या है? क्या यह बात भी सही है कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर को जांच करने से रोका गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सच है कि उपरोक्त अग्निकाण्ड की जांच हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने परगना मजिस्ट्रेट, चुनार को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। परगना मजिस्ट्रेट चुनार की जांच के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त नहीं हुई है।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा परगना मजिस्ट्रेट, चुनार को उक्त अग्निकाण्ड की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, इलाहाबाद ने आयुक्त, वाराणसी मण्डल को अपने पत्र दिनांक 21-9-81 द्वारा सूचित किया था कि उक्त अग्निकाण्ड की प्रारम्भिक जांच कर ली गई है और विस्तृत जांच हेतु एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है तथा जिला स्तर पर किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है, अतः जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा करायी जा रही जांच को रोक दिया जाये।

प्रदेश के विद्युत् निरीक्षकों का स्थानान्तरण

161—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से राज्य सरकार के सहायक विद्युत् निरीक्षक हैं जो एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और उनका वर्ष 1981 में स्थानान्तरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

विद्युत् निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश में श्री विजय कुमार माथुर एक ऐसे सहायक विद्युत् निरीक्षक हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहे।

दिनांक 1-7-80 को श्री माथुर का स्थानान्तरण लखनऊ मुख्यालय से कर दिया गया है।

162--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में राज्य सरकार के किन-किन सहायक विद्युत् निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया उनमें कौन-कौन से ऐसे थे जो एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत थे और कौन-कौन 3 वर्ष से कम की अवधि से कार्यरत थे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष 1981 में विद्युत् निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सहायक विद्युत् निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया :

3 वर्ष से अधिक की अवधि के	3 वर्ष से कम की अवधि के
1--श्री यशपाल सिंह	1--श्री काशी नाथ पाण्डेय
2--श्री रवीन्द्र मोहन माथुर	2--श्री रवीन्द्र मोहन माथुर
3--श्री कमलेश्वर पाण्डेय	3--श्री ओम प्रकाश वर्मा
4--श्री प्रेम नारायण शुक्ला	4--श्री सुरेश कुमार शर्मा
5--श्री एम0 के0 ठाकुर	5--श्री राजेन्द्र नारायण
6--श्री ओम प्रकाश वर्मा	6--श्री अतुल कुमार साहू
7--श्री राम पाल सिंह गौतम	7--श्री विशम्भर नाथ सिंह
8--श्री गोपाल सिंह अधिकारी	
9--श्री विजय पाल सिंह	
10--श्री गोपाल जी कपूर	

163--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में स्थानान्तरित किए गये राज्य सरकार के सहायक विद्युत् निरीक्षकों में से कौन-कौन ऐसे हैं जिन्होंने स्थानान्तरण आदेश का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

विद्युत् निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सहायक विद्युत् निरीक्षक नहीं है, जिसने वर्ष 1981 में स्थानान्तरण आदेश का पालन न किया हो।

फैजाबाद जनपद के विकास खंड, टांडा व बसखारी की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

164—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा व बसखारी ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद में 1980 से 1982 तक कितने हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया तथा कितने विचाराधीन हैं? हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण पर शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? कितने बस्तियों में विद्युतीकरण विवाद होने के कारण अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत टांडा व बसखारी विकास क्षेत्रों में 1-1-80 से 30-6-82 की अवधि में तीन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष (1982-83) के अन्त तक नौ अन्य हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण विचाराधीन है। हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के अन्तर्गत एक सार्वजनिक स्थान पर 40 वाट क्षमता का बल्ब लगाया जाता है तथा विद्युत उपभोग का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। उपरोक्त विकास क्षेत्रों में किसी भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण विवादग्रस्त नहीं है।

प्रदेश के राजकीय तापीय विद्युत् इकाइयों का लोड फैक्टर, अधिष्ठापित क्षमता व पूंजी

165—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय तापीय विद्युत् इकाइयों का 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक प्रतिमाह औसत लोड फैक्टर कितना था और इसे बढ़ाने के लिए शासन के सामने क्या उपाय विचाराधीन हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 710 पर।)

166—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चालू राजकीय तापीय विद्युत् इकाइयों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इन पर कुल कितनी पूंजी लगी हुई है?

श्री श्रीपति मिश्र—

परिषद् के अधीन कार्यरत तापीय विद्युत् इकाइयों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2281·50 मेगावाट है और इस पर लगभग 554 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है।

कनौरिया केमिकल्स रेणुकोट, मिर्जापुर की विद्युत् कटौती की समाप्ति

167--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कनौरिया केमीकल्स, रेणुकूट, मिर्जापुर की विद्युत् कटौती समाप्त कर दी गई है और उक्त कारखाने को अब 17 मेगावाट बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माननीय राज्य विद्युत् मन्त्री को एक पत्र 5 अप्रैल, 1982 को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां । अन्य सामान्य उद्योगों की भांति कनौरिया केमिकल्स रेनूकोट मिर्जापुर पर भी विद्युत् कटौती दिनांक 17-4-82 से से समाप्त कर दी गई है । अतः वह अब अपनी अनुबन्धित मांग के बराबर विद्युत् उपभोग कर सकते हैं । दिनांक 5-4-82 का उल्लिखत पत्र परिषद् में उपलब्ध नहीं है ।

पिन्डरा विद्युत् सब स्टेशन, वाराणसी में विद्युत् आपूर्ति की कमी इनकामिंग का जलना

168--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिन्डरा सब-विद्युत् स्टेशन वाराणसी से मार्च, 1982 में तथा अप्रैल व 3 मई, 1982 तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त स्टेशन में कई इनकामिंग जल गयें, तब से सभी इनकामिंग नहीं लगाये जा सके हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सत्य नहीं है । माह मार्च, अप्रैल व 3 मई, 1982 तक पिंडरा सब-स्टेशन से निकले ग्रामीण पोषकों को औसतन क्रमशः 7-1/2 तथा 7 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की गई । दिनांक 4-3-82 को पिंडरा सब स्टेशन के इनकामिंग-1 क्षतिग्रस्त हो जाने से दिनांक 5-3-82 को निर्धारित विद्युत् आपूर्ति नहीं की जा सकी । तत्पश्चात् दूसरी इनकामिंग से विद्युत् आपूर्ति की अन्तरिम व्यवस्था कर दी गयी । दिनांक 6-4-82 को इनकामिंग-1 को पुनः ठीक करके लगा दिया गया । दिनांक 3-5-82 को तापीय विद्युत् उत्पादन में भारी कमी के कारण निर्धारित विद्युत् आपूर्ति नहीं की जा सकी ।

विद्युत् कटौती की समाप्ति

169--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विद्युत् कटौती समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो देहातों में किसानों को कितने घंटे की सप्लाई की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि अभी भी रात में 6 घंटे की सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आर्क इन्डक्शन फर्नेस, रोलिंग-रो, रोलिंग मिल्स तथा ऐसे औद्योगिक उपभोक्ता जिनके पास निर्धारित विद्युत् उपयोग से अधिक ऊर्जा उत्पादन का अपना निजी साधन है, को छोड़कर बाकी उद्योगों पर दिनांक 17-4-82 से कटौती हटा दी गयी है। दिनांक 1-6-82 से शहरों पर निर्धारित विद्युत् कटौती भी समाप्त कर दी गयी है।

विद्युत् उत्पादन में अचानक कमी होने पर आकस्मिक कटौती कभी-कभी करनी पड़ती है। माह मई, 82 से 13 जुलाई, 1982 तक औसतन 7 घंटे प्रतिदिन (रात्रि में आठ घंटे तथा दिन में 6 घंटे) ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की जिसे दिनांक 14-7-82 से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों को दो समूहों में बांट कर 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है। एक समूह को रात्रि 11 बजे से दूसरे दिन प्रातः 9 बजे तक तथा दूसरे समूह को प्रातः 9 बजे से 7 बजे सायं तक विद्युत् आपूर्ति की जाती है। इन समूहों की विद्युत् आपूर्ति का समय आपस में हर सप्ताह बदल जाता है।

गोरखपुर के विकास खंड, गोला में बिजली के टूटे तारों के छू जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

170—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में 6-7-81 को विकास खंड, गोला के ग्राम बाड़ी के रमाकान्त लोहार के दो पुत्र तारकेश्वर और बालेश्वर की मृत्यु राजकीय नलकूप 101 बी0 डी0 पर जाने वाली बिजली की लाइन के टूटे तार के साथ स्पर्श हो जाने से हो गई ? जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 10 व 11 अगस्त, 1981 को लखनऊ में हुई सामान्य प्रशासन की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी से लिखित शिकायत की थी ? यदि हां, तो दोषी अवर अभियन्ता सब-स्टेशन, गोला के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और मृतकों के परिवार को कोई आर्थिक सहायता तथा मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, दोषी जूनियर इंजीनियर को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मृत बच्चों के परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में अनुग्रह धनराशि रु0 1,000 प्रति मृतक अर्थात् कुल दो हजार रुपये का चेक जिलाधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से दिनांक 30-7-81 को दिया जा चुका है।

पुलिस एवं मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुआवजे की अवशेष धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद देवरिया के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

171—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र देसई, देवरिया—रामपुर कारखाना पथरदेवा के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराया जाना प्रस्तावित है व उपरोक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग को कितना धन आवंटित किया गया है तथा उपरोक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद देवरिया के विकास क्षेत्र देसई, देवरिया के लिये कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है। विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना तथा पथरदेवा के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एम0 एन0 पी0 पंचम) स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना में कुल 20 ग्रामों का तथा विकास क्षेत्र पथरदेवा में 31 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है।

विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना तथा पथरदेवा के लिये स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की कुछ लागत रु0 52·71 लाख है। स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एम0 एन0 पी0 पंचम) के अन्तर्गत विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना में सत्रह तथा विकास क्षेत्र पथरदेवा में बीस ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आशा की जाती है कि उपरोक्त विकास क्षेत्रों के शेष क्रमशः तीन तथा ग्यारह ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 1983 के अन्त तक कर दिया जायेगा (सूची संलग्न)।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 711 पर)

फैजाबाद के ग्राम सलेमपुर का विद्युतीकरण

172—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सलेमपुर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों द्वारा 1979-80 में आवेदन-पत्र एवं 25 रु0 अर्नेस्ट मनी जमा किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम सलेमपुर, विकास क्षेत्र टान्डा (जनपद फैजाबाद) के विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 1979-80 में किसी भी ग्रामवासी का प्रार्थना-पत्र रु0 25 अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु दिनांक 21-10-1980 को उन्नीस (19) ग्रामवासियों ने रु0 25 अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ बत्ती एवं पंखा कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे।

ग्राम सलेमपुर के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा आशा की जाती है कि उक्त ग्राम का विद्युतीकरण एक माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

बांदा विधान सभाई क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

173—चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में क्रमशः पांच, शून्य, एक, शून्य व बारह ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया गया (सूचना संलग्न है) ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 713 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 4थे मंगलवार को श्री मोती लाल देहलवी के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 का संशोधित उत्तर

प्रश्न

160—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल (कुर्सी खेड़ा) कानपुर में माह नवम्बर, 1979 से फरवरी, सन् 1980 तक कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे और मार्च सन् 1980 से 5 दिसम्बर, सन् 1980 तक वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गयी है ? नियमतः उक्त स्कूल में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखने का प्राविधान है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मूल उत्तर

160—माह नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक कुल 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे ।

मार्च, 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 7 रह गई ।

इस विद्यालय में 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने का प्राविधान है ।

संशोधित उत्तर

160—माह नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक कुल 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे ।

मार्च, 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 7 रह गई थी । इसके अतिरिक्त श्री छोटे लाल सविता की नियुक्ति 1-7-80 से 31-12-80 तक बिना जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा कर ली गई थी ।

इस विद्यालय में 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने का प्राविधान है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बक्सर कोइलावर बन्ध के निर्माण कर दिये जाने के कारण बलिया जनपद में गंगा का सारा पानी उफनकर आ गया है। इस अचानक बाढ़ के कारण कोटवा नरायनपुर से लेकर जय प्रकाश नगर तक सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। गंगा, टोंस और मगई नदी में पानी बढ़ने की यही रफ्तार रही तो गंगा नदी के दस किलोमीटर उत्तर जनपद के हजारों गांव जलमग्न हो जायेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी की बाढ़ से उमरपुर पिपरा, कोटवा, नसीरपुर, बड़काखेत, शाहपुर, पमनौली, मिल्की, अजोरपुर, मझरिया, रामपुर, इन्द्रपुर, बघेजी, चिरुइंया, हसनपुरा, थम्हनपुर एवं गगहरा को कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। गढ़हा परगना में जल प्लावन होने के कारण टुटवारी, बधौनी, अमाव, एकौनी, बसीरपुर, दुलारपुर, मेडौरा, रामपुर, चुरैनी आदि गांवों का सम्पर्क सामान्य जनजीवन से भंग हो गया है। टोंस नदी से सुल्तानपुर गनवा, गांई, बीबीपुर, अखितयारपुर, बढ़वकिया, बहुपुर पक्की कोट, जगदीशपुर, कोपवां, सिदपुर, एकौनी आदि गांवों के इलाकों में बुरी प्रकार पानी फैल रहा है। एक तो सूखे के कारण पूरा जनपद भयंकर परेशानी से गुजर रहा था, जो थोड़ी बहुत फसल नदी के किनारे बची थी वह भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। इस परिस्थिति से निपटने में जिला प्रशासन अक्षम साबित हो रहा है तथा किसी प्रकार का राहत कार्य बाढ़ और सूखे में नहीं हो रहा है। इसके कारण जनपद के लोगों में क्षोभ सरकार के प्रति अविश्वास एवं भय की भावना उत्पन्न हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मेरठ जनपद में नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को एक राज्य सभा सदस्य द्वारा शपथ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मवीर सिंह—

शासन के आदेशानुसार 1-8-82 को देश में पंचायत चुनाव के पश्चात् नयी पंचायतों के गठन की विधिवत घोषणा की गयी। 20 तारीख को नव-निर्वाचित प्रधानों को शपथ दिलाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार शपथ दिलाने का दायित्व जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी पर है। मेरठ जनपद में उपर्युक्त पंचायत राज ऐक्ट की धाराओं एवं सरकार की नीतियों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 29-7-82 को जनपद के समस्त प्रधानों को शपथ दिलाने हेतु जिला स्तरीय शासनतंत्र के माध्यम से एक समारोह का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मवीर सिंह--]

आयोजन किया गया। यह भी पत्र जारी करके खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे 29-7-82 को ग्राम प्रधानों को शपथ हेतु जिला सैनिक भवन, मेरठ में एकत्रित करें जहां पर राज्य सभा सदस्य, श्री शान्ता त्यागी प्रधानों को शपथ दिलायेंगे। प्रधानों को प्रेषित मूल पत्र संलग्न है। यद्यपि 29-7-82 को दी जाने वाली शपथ अनियमित एवं अनुचित थी परन्तु पार्टी विशेष के एक व्यक्ति द्वारा शासनतंत्र का दुरुपयोग करके प्रधानों को गुमराह करना लोकतांत्रिक परम्पराओं एवं कानून के प्रतिकूल है। इस प्रकरण से समस्त जनपद में अत्यधिक भ्रम एवं शासन के प्रति अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है और यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने हेतु तुरन्त कार्यवाही न की गयी तो समस्त जनता का शासनतंत्र से विश्वास उठ जायेगा।

माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त घटना की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाये।

ग्राम गांगेपुर भठिया, जनपद आजमगढ़ का घाघरा नदी से कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा शासन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ग्राम गांगेपुर भठिया, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ घाघरा के तेज कटाव के कारण मुख्य धारा में विलीन हो जाने के समीप पहुंच गया है। घाघरा नदी की धार उक्त गांव की मुख्य आबादी के करीब 60 मीटर दूर रह गयी है। पिछले दो सप्ताह में करीब 50 मीटर कटाव हुआ है। कटाव की इस रफ्तार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यदि इसके रोकथाम का शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो लगभग 500 परिवार बिना घर-बार के हो जायेंगे। एक सप्ताह पूर्व गांव की मुख्य आबादी के लगभग 100 मीटर दूर स्थित एक साधू की झोपड़ी कटकर धारा में विलीन हो चुकी है। मैंने स्वयं वहां जाकर स्थिति का अध्ययन किया है। जिला अधिकारी आजमगढ़ ने भी स्थान का निरीक्षण करके स्थिति की गंभीरता की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं तथा कटाव के रोकथाम का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। स्थिति अत्यन्त भयावह एवं चिन्ताजनक है।

मेरी राज्य सरकार से मांग है कि कटाव की रोकथाम के लिये तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा इस कार्य में उदासीनता के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, गोरखपुर के निदेशक द्वारा छात्रों के साथ की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, गोरखपुर में चल रहे धोखाधड़ी की ओर आकर्षित करना चाहते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। एक व्यक्ति, श्री वी० आर० पाण्डेय ने अपने निर्देशन में गोरखपुर शहर के औद्योगिक संस्थान में यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग नाम से एक संस्था का विज्ञापन प्रकाशित कराया। लगभग 1300 रुपये वार्षिक शुल्क देने और 3 हजार दान देने पर डिप्लोमा तथा 12 हजार दान देने पर डिग्री कोर्स में दाखिले किये गये। पूरे वर्ष तक वहां लगभग 500 छात्रों से दान और फीस के रूप में लगभग 25 लाख रुपये वसूलने के बाद जब छात्रों ने वार्षिक परीक्षा की मांग की तो उन्हें टरकाया जाने लगा। छात्र परेशानी में पड़ गये और उनके धोखाधड़ी के विरुद्ध निर्देशक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने जब उनकी एक न सुनी तो प्रदेश स्तर पर यह मामला उठाया गया और उक्त संस्था के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि यह संस्था फर्जी है और इसने छात्रों के साथ छल किया। उक्त वी० आर० पांडे को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन वह सज्जन जमानत पर रिहा हो गये, अफसोस की बात है कि यह संस्था जिसे प्रदेश सरकार ने फर्जी करार दिया अभी भी कार्यरत है और इस संस्था की धोखाधड़ी के शिकार लगभग 500 बच्चे आज सड़कों पर मारे-मारे घूम रहे हैं। इन छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था कर अपने दाखिले की मांग की किन्तु प्रदेश सरकार ने लगभग 200 छात्रों को जून महीने में जेल भेज दिया। अब यह छात्र अपनी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर विधान भवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं और इनमें से 6 छात्रों ने 20 अगस्त से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इन्हें प्रदेश के इंजीनियरिंग और पालीटेकनिक विद्यालयों में आत्मसात कर लिया जायगा लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। मेरी शासन से मांग है कि इन छात्रों को वैकल्पिक तौर पर प्रदेश के तकनीकी विद्यालयों में, जैसे पहले डा० संपूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी और कमला नेहरू संस्थान, सुल्तानपुर के छात्रों के सम्बन्ध में किया गया था, इनको भी भर्ती कर लिया जाय जिससे इनका भविष्य अंधकारमय न हो सके। यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग को अध्यादेश के जरिये प्रतिबंधित किया जाय तथा भविष्य के लिये कानून बनाया जाय कि इस तरह से तकनीकी शिक्षा संस्था कोई खोल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के निदेशक को भा० दं० वि० की धारा 420 में गिरफ्तार किया जाय एवं उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग के उन अधिकारियों को दंडित किया जाय जिन्होंने ऐसी फर्जी संस्था चलाने के लिये औद्योगिक आस्थान, गोरखपुर में प्लाट आबंटित किया है।

बुलन्दशहर जनपद की श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती ओमवती की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह--

महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में घटित लोक महत्व की घटनाओं की तरफ सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

29 जून, 1982 को एक नवविवाहित युवती श्रीमती गीता देवी की हत्या उनकी ससुराल वालों ने गांव नवादा बरोड़ी, थाना चांदपुर के अन्तर्गत कर दी। श्रीमती गीता देवी जो कि श्रीमती माया देवी की पुत्री थीं, गांव रोनी उर्फ सलोन, थाना ककौड़ की रहने वाली थीं। श्रीमती माया देवी एक असहाय विधवा हैं, अपनी पुत्री की हत्या करने वालों के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही कराने के लिये जिला स्तर पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों से फरियाद कर चुकी हैं। लेकिन

[श्री किरनपाल सिंह—]

पुलिस प्रशासन ने इस विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, एक अन्य घटना 13/14 जुलाई की रात को इसी प्रकार की थाना जहांगीरपुर के अन्तर्गत ग्राम कलाखुरी में भी घट चुकी है। एक नवविवाहिता ओमवती जो कि गांव कुतुबपुर, थाना शिकारपुर का रहने वाली थी, को उसकी ससुराल वालों ने उक्त दिनांक को गांव कलाखुरी जो कि ओमवती की ससुराल है, में आग से जलाकर मार दिया। इस बारे में भी मृतक के परिवार वालों की फरियाद आज तक नहीं सुनी गयी है। उक्त दोनों हत्याओं के बारे में मैंने स्वयं पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को कार्यवाही करने के लिये आग्रह किया लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने कुछ प्रभावशाली लोगों को खुश करने के लिये उनके दबाव में आकर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं कराई। उक्त दोनों हत्याओं के सभी साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन पीड़ितों को न्याय दिलाने में नकारात्मक रुख अपनाये हुये हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि आप कृपया सरकार को निर्देशित करें कि वह जनपद बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा उक्त हत्याओं के बारे में शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करायें तथा पुलिस के उदासीन रुख के लिये उससे स्पष्टीकरण मांगें।

इटावा जनपद की औरैय्या नगरपालिका द्वारा जलनिकासी की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनी राम वर्मा—

मैं लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय को सदन एवं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद इटावा में हमारे क्षेत्र की नगरपालिका औरैय्या के मुहल्ला नरायनपुर व महाबीरगंज आदि के गंदे एवं बरसाती पानी के समुचित निकास न होने के कारण उक्त मुहल्लों में 12 महीने गंदगी का साम्राज्य रहता है और बरसात के मौसम में उक्त मुहल्लों की गलियों में दो और तीन फिट तक गहरा पानी भर जाता है। जिससे प्रतिवर्ष अनेकानेक घर गिर जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मलेरिया आदि की बीमारियां फैल जाती हैं जिससे लाखों रुपये की आर्थिक क्षति उक्त मुहल्लों के निवासियों को उठानी पड़ती है।

मान्यवर, 22-8-82 की वर्षा में भी उक्त मुहल्ले जलमग्न हो गये जिससे गल्ला मन्डी, महाबीरगंज और नरायनपुर में लगभग दो लाख रुपये का गल्ला बरबाद हो गया। इसके अतिरिक्त अनेक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गये।

मान्यवर, उक्त मुहल्लों के गंदे एवं बरसाती जल के निकास हेतु स्वायत्त शासन के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने भाषण के मध्य 23-9-80 एवं 27-2-81 को सरकार का ध्यान में आकर्षित कर चुका हूं तथा विधान सभा में अतारांकित प्रश्न जिनकी स्वीकृति का दिनांक 28-2-81 एवं 21-5-81 है के माध्यम से भी सरकार से उक्त समस्या के निराकरण की मांग कर चुका हूं। परन्तु समस्या के हल न होने के कारण 22-8-82 की बरसात में लाखों रुपये का नुकसान उक्त मुहल्ले के निवासियों को उठाना पड़ा।

अतः आपके माध्यम से पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग कर रहा हूं कि औरैय्या कस्बे के नरायनपुर व महाबीरगंज के गंदे एवं बरसाती पानी के जलनिकास की अविलंब व्यवस्था की जावे तथा अधिकारियों व सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की उदासीनता के कारण 22-8-82 को जल प्लावन से उक्त मुहल्ले के निवासियों को जो क्षति हुयी उसका मुआवजा दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाकी सभी सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, एक मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी बस्ती जिले में एक पैसे की दवाई नहीं गई है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, एक सूचना मैंने भी दी थी । मेरी सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आपने उसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे दिन दे दीजिएगा । एक दिन 5 ली जाती हैं मैंने 6 स्वीकार किया है ।

विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर की सूचनाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने में विलम्ब के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा उसी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर जारी किये गये प्रकरण संख्या 14 (1) देखने की कृपा करें, जिसके तहत आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है, वह एक ऐसी सूची प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पिछले सत्र में हम लोगों के द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं से संबंधित है, उन पर क्या कार्यवाही की गई अब तक उसे यह प्रस्तुत करने जा रहे हैं । मैं इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसे आप पटल पर रखने की अनुमति न दें अथवा आप इस पर अपनी व्यवस्था पहले दे दें । मान्यवर, इसमें कुल 202 सूचनाएं हैं और इन 202 सूचनाओं में से 98 सूचनाएं ऐसी हैं जिनका उत्तर 30 दिन के बाद दिया गया है जबकि नियमों के अनुसार हमारी इन सूचनाओं का उत्तर 30 दिन के अन्दर अवश्य मिल जाना चाहिये और मान्यवर, इन 98 सूचनाओं में से भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

22 सूचनाएं ऐसी हैं जिनकी सूचना हमें इस अगस्त में मिली है, जब देखा कि 19 अगस्त से सदन चलने वाला है तो खलबली मची और इस तरह अगस्त में 22 सूचनाओं का उत्तर दिया और 4 सूचनाएं ऐसी हैं जिनका मान्यवर, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि या तो आप इस नियम 301 को निकाल ही दें या आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि 30 दिन के अन्दर सूचनाओं का उत्तर अवश्य मिल जाना चाहिए न कि 8-8 महीने बाद दिया जाय इससे बढ़कर और निन्दा की क्या बात हो सकती है, इससे बढ़कर शासन का खुला नंगा नाच और क्या हो सकता है। इसका यह एक साफ उदाहरण आपके सामने है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे या तो पटल पर आने से रोक दें या आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक यह प्रस्तुत न हो जाए हम व्यवस्था कैसे दे सकते हैं? पहले पटल पर प्रस्तुत होने दीजिए फिर मालूम किया जा सकता है।

विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण (पंचम संस्करण) के करण संख्या 14 (3) के अनुसार अष्टम विधान सभा, 1982 के प्रथम सत्र (दिनांक 15 जनवरी, 1982 से 5 अप्रैल, 1982 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण एवं विवरण का शुद्धि-पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के 1982 के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा स्पष्टीकरण

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री यह जो विलम्ब हुआ है इसके क्या कारण हैं यह बता दें जब कि नियमों में साफ लिखा हुआ है कि नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का उत्तर 30 दिन के अन्दर अवश्य आ जाना चाहिये, कृपया कारण स्पष्ट करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सूचना जो विभागों से मांगी जाती है वह कभी-कभी पूरी नहीं होती फिर उन्हें लिखा जाता है, इस तरह विलम्ब हुआ और इस विलम्ब के लिए खेद है, भविष्य में इस बात का प्रयास किया जायेगा कि इनके उत्तर समय से आ जायें।

(व्यवधान)

---

†छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें। अगर आप लोग सब एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकूंगा। जब एक नेता बोले और उस पर व्यवस्था चल रही हो तो आप क्यों अधीर हो गये ?

इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि 98 विषयों की सूचनायें 30 दिन के अन्दर नहीं दी गईं। उनमें विलम्ब हुआ है इसका मतलब यह है कि शासन इसमें सजग नहीं था और उसने सदन की मन्शा का ध्यान नहीं रखा।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विलम्ब हुआ है, लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि विलम्ब न हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

8 महीने बाद जिसकी सूचना मिली है, उसका संदर्भ देख लें। मेरे द्वारा दी गई सूचना का उत्तर 6 महीने बाद मिला।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, सूचना आपके द्वारा दी गई हो या सदन के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा दी गई हो, मेरे लिए समान है। मैंने आपकी भावना की कद्र की, आपने जो व्यवस्था उठायी उसको समझा और मैं यह निर्देशित करता हूं कि भविष्य में जब कभी भी विलम्ब हो तो कारण के साथ सरकार को सामने आना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इस अध्यक्ष पीठ के सम्मान की रक्षा के लिए बोल रहा हूं। यह व्यवस्था अध्यक्ष पीठ से पहले भी दी जा चुकी है, इसके पहले भी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन मैंने "निर्देश" दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, निर्देश भी हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो क्या आप दन्ड देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन सदन सक्षम है, अगर वह चाहेगा तो दण्ड देगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी मांग है कि आप इस पर एक कमेटी बना दें। माननीय श्री बनारसी दास और श्री श्रीपति मिश्र जी ने अध्यक्ष पीठ पर बैठकर इसका आश्वासन दिया था। आज आप ऐसा निर्णय सुनायें जिससे इस बात का एहसास हो जाय कि ऐसा कोई नियम या कानून बनने जा रहा है कि इनका उत्तर 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाया करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आश्वासनों को देखूंगा और आश्वासनों के अनुरूप तथा आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यवाही करूंगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर सरकार की ओर से उत्तर यह देते हैं प्रश्न के बारे में कि कुछ अपरिहार्य कारणों से जांच नहीं की जा सकी तो...

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न के विषय में नहीं था ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

अगर यह ऐसा उत्तर देते हैं कि अपरिहार्य कारणों से जांच नहीं की जा सकी...

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सुना नहीं जो मैंने निर्देशित किया है । मैंने कहा कि जब भविष्य में ऐसी बात आये तो पूरे कारणों के साथ शासन को सदन के सामने आना चाहिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

नियम 301 के बारे में ही कह रहा हूं कि अगर बहुत दिनों के बाद उत्तर यह आये कि अपरिहार्य कारणों से आपके द्वारा उठाये गये मामले पर...

श्री उपाध्यक्ष--

आपने ध्यान नहीं दिया । मैंने यह निर्देशित किया है कि वह क्या कारण हैं, उनके साथ सदन के सामने आयेंगे ।

श्री सन्त बक्श रावत--

मान्यवर, नियम 301 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

(अनुमति नहीं दी गयी)

श्री मोहन सिंह, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप लोगों से वचनबद्ध था और वचनबद्ध हूं कि जिन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न उठा रखे हैं उन पर अतिशीघ्र निर्णय आपको सुना दूंगा और इस तरह से मैं दो-दो निर्णय रोज सुना रहा था लेकिन आज मैं चार निर्णय सुनाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रघुवीर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा ने 15 फरवरी, 1982 को श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। उनका कहना है कि दिनांक 3 फरवरी, 1982 को श्री मोहन सिंह ने सदन के समक्ष अपने भाषण के दौरान पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी की एक गोपनीय रिपोर्ट, जिसे उन्होंने (पुलिस अधीक्षक ने) उप महानिरीक्षक, आगरा, परिक्षेत्र आगरा को लिखा था, का हवाला देते हुए उनका नाम लेकर यह आरोप लगाया कि दिनांक 3/4 जनवरी, 1979 को पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गये अभियुक्तों की इन्ट्रोगेशन रिपोर्ट में अभियुक्त कहता है कि उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 12 पर 12वां नाम है--रघुवीर, निवासी हीरे का नगला और यह बताया गया है कि वह भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आये हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त इन्ट्रोगेशन रिपोर्ट की जो फोटो स्टेट कापी श्री मोहन सिंह ने माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत की है, उसके 12वें पृष्ठ पर 12वें नम्बर पर रघुवीर, निवासी हीरे का नगला, थाना घिरोर दर्ज है तथा थाना घिरोर के अन्तर्गत हीरे का नगला, घिरोर से जसराना जाने वाली सड़क पर सातवें कि0 मी0 पर स्थित है जो मौजा कुसियारी का नगला है और उनके गांव नगलाहार मौजा चितई, थाना ओंबा से लगभग 21 कि0 मी0 दूर है। इस प्रकार माननीय सदस्य के अनुसार श्री मोहन सिंह ने दूसरे व्यक्ति के चरित्र से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर उनकी चरित्र हत्या का प्रयास किया तथा सदन के समक्ष गलत बयानी करके उसे गुमराह भी किया।

श्री मोहन सिंह को माननीय श्री रघुवीर सिंह यादव की विशेषाधिकार सम्बन्धी उक्त शिकायत के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था जिसके उत्तर में माननीय श्री मोहन सिंह ने अपने पत्र दिनांक 4 मार्च, 1982 द्वारा सूचित किया है कि उनके पास सदन में किये गये अपने सन्दर्भित कथन के सम्बन्ध में साक्ष्य है तथा वे स्वयं चाहते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

मैंने इस सम्बन्ध में दिनांक 3 और 12 फरवरी, 1982 की कार्यवाहियों के संगत अंशों तथा उक्त इन्ट्रोगेशन रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी का अवलोकन किया है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में 1982-83 के बजट पर हुई चर्चा के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बोलते हुए अपराधियों को संरक्षण देने के प्रसंग में एक दस्यु की इन्ट्रोगेशन रिपोर्ट में उल्लिखित श्री रघुवीर, निवासी हीरे का नगला के नाम का जिक्र श्री मोहन सिंह द्वारा किया गया था जो उक्त रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी फोटो स्टेट प्रति मुझे दी गयी थी, सही है। श्री रघुवीर सिंह यादव ने भी प्रश्नगत मामले में माननीय अध्यक्ष की अनुमति से दिनांक 12 फरवरी, 1982 को सदन में दिये गये अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में स्थिति से स्पष्ट करते हुए उसका प्रतिवाद किया था और यह कहा था कि थाना घिरोर के अन्तर्गत हीरे का नगला घिरोर से जसराना जाने वाली सड़क पर सातवें किलोमीटर पर स्थित है जो मौजा कुसियारी का नगला है, जो उनके गांव नगलाहार, मौजा चितई थाना ओंबा से लगभग 21 कि0 मी0 दूर है। इस प्रकार सदन में लगाये गये आरोप का प्रतिवाद सदन में ही माननीय सदस्य, श्री रघुवीर सिंह यादव द्वारा किया जा चुका है। बाद में माननीय

[श्री उपाध्यक्ष--]

श्री मोहन सिंह ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के उत्तर में लिखित रूप से पुनः यह कहा है कि उनके पास अन्य प्रमाण भी हैं, जिससे वे सदन में लगाये गये अपने आरोप को प्रमाणित कर सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह ने जो बात कही, वह उनके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कही।

उपर्युक्त तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रारदर्शन में इस मामले में असंदिग्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि श्री मोहन सिंह ने सदन में जानबूझकर गलत बयानी की है। किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब वह सदस्य जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये असत्य कथन करे। अतः मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

आयुक्त, गढ़वाल मंडल, श्री सुधीर कुमार विश्वास के विरुद्ध उठाये गये विशेषधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री विद्यासागर नौटियाल ने 27 फरवरी, 1982 को आयुक्त, गढ़वाल मन्डल, श्री सुधीर कुमार विश्वास के विरुद्ध विशेषाधिकार के एक मामले की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य का कहना है कि वे आयुक्त, गढ़वाल मन्डल से मिलने टेहरी के मुख्यालय पौड़ी अनेक बार गये किन्तु न तो उनसे मुलाकात हो सकी और न ही उनका कार्यालय यह निश्चित जानकारी दे सका कि आयुक्त कब और कहां मिलेंगे। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि 6 जनवरी, 1982 को जब आयुक्त टेहरी आये थे तो माननीय सदस्य ने न्यायालय प्रांगण में आयुक्त से कहा कि वे एक लम्बे अरसे से उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें आयुक्त से कई विषयों पर बातचीत करना है इस पर आयुक्त ने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा कि उनके पास समय नहीं है तथा माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि सम्भवतः आयुक्त उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, यह उत्तर दिया गया कि वे उन्हें खूब पहचानते हैं। माननीय श्री नौटियाल की शिकायत के अनुसार 18 फरवरी, 1982 को आयुक्त जब दुबारा टेहरी आये तब भी माननीय सदस्य उनसे मिलने गये किन्तु आयुक्त ने उन्हें देखते हुए भी पुनः उनकी उपेक्षा की, और आयुक्त, श्री विश्वास के इस प्रकार के व्यवहार से सदन के एक सदस्य के रूप में उनकी अवमानना हुई है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जिसके सन्दर्भ में तत्कालीन राज्य मन्त्री, गृह ने अपने पत्र दिनांक 15 मार्च, 1982 के माध्यम से, आयुक्त, गढ़वाल मन्डल का स्पष्टीकरण प्रेषित किया है। अपने स्पष्टीकरण में आयुक्त, गढ़वाल मन्डल ने स्पष्ट किया है कि उनकी और माननीय सदस्य की भेंट अनेक बार हुई और उनके मध्य बातचीत भी सदभावना-पूर्ण रही, इसके अतिरिक्त वे स्वयं भी माननीय सदस्य से टेहरी में मिलना चाहते थे किन्तु वह जब भी टेहरी गये, माननीय सदस्य भ्रमण पर थे और उनकी भेंट सम्भव नहीं हो सकी। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा भेंट करने का सम्बन्ध है, आयुक्त ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि सम्भव है कभी उनकी अनुपस्थिति में माननीय सदस्य उनसे मिलने गये हों, किन्तु इस बात की सूचना उनके स्टाफ ने उनको नहीं दी।

6 जनवरी, 1982 को घटित घटना के सम्बन्ध में आयुक्त का कहना है कि जब वह टेहरी में खंड विकास अधिकारियों से मिलने जा रहे थे और उनके साथ कई लोग थे, उस समय श्री नौटियाल उनसे मिले और उसी समय उनसे विचार विमर्श करने को कहा। आयुक्त के अनुसार जब वह विचार-विमर्श हेतु समय निश्चित करने के लिये सोच रहे थे, उसी समय माननीय सदस्य ने आवेश में आकर यह कहा कि वे एम0 एल0 ए0 हैं और उनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए वे इस प्रश्न को विशेषाधिकार के रूप में विधान सभा में उठायेंगे, और चूंकि उस समय माननीय सदस्य आवेश में थे, इसलिये आयुक्त ने बातचीत का क्रम वहीं समाप्त करना उचित समझा।

18 फरवरी, 1982 को घटना के सम्बन्ध में आयुक्त का कहना है कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उस दिन माननीय सदस्य उनसे मिलने आये थे। आयुक्त ने आगे यह भी कहा था कि वह माननीय सदस्य का आदर करते हैं और विधायक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति उनके दिल में अनादर की कोई भावना नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर दुख भी प्रकट किया है कि किसी गलतफहमी के कारण उनके और माननीय सदस्य के मध्य दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण घटित हो गया जिसके लिये उन्हें अत्यन्त खेद है।

जहां तक इस मामले का विशेषाधिकार या अवमान के प्रश्न के रूप में ग्राह्य किये जाने का प्रश्न है, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना से यह स्पष्ट है कि इस मामले में माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा या उसकी किसी समिति की कार्यवाही के प्रसंग में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की शिकायत नहीं की गयी है बल्कि अन्य विषयों पर बात करने का समय न देने के सम्बन्ध में उक्त आयुक्त के व्यवहार के बारे में आपत्ति की गयी है। इस प्रकार यह मामला विशेषाधिकार की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त आयुक्त ने खेद भी प्रकट किया है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार अथवा सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजकुमार राय, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 4 मार्च, 1982 को श्री राज कुमार राय, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 3 मार्च, 1982 को कार्य-स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता पर सदन में विचार के समय जब उन्होंने माननीय सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा 40 लाख रुपये के घोटाले से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव पर बात रखी थी, उस समय कुछ माननीय सदस्य उक्त घोटाले से सम्बन्धित पोस्टर लेकर उत्तेजित स्वर में बोलने लगे और इसी बीच माननीय सदस्य, श्री राज कुमार राय ने कहा कि "ये विपक्ष के लोग लोफर और बदमाश हैं जो इस तरह की बातें एक मंत्री के खिलाफ करते हैं।"

[श्री उपाध्यक्ष --]

श्री राय से इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी । माननीय श्री राय ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 3 मार्च, 1982 को यह कदापि नहीं कहा था कि "यह विपक्ष के लोग लोफर और बदमाश हैं जो इस तरह की बातें एक मंत्री के खिलाफ करते हैं" बल्कि यह कहा था कि "जिस आदमी, श्री घनश्याम राय ने अनशन की धमकी दी है वह मेरे गांव का निवासी है, लोफर और बदमाश है । साल में कई बार ऐसे अनशनों की धमकी देता रहता है और अनुचित लाभ लेकर ब्लैकमेल करना उनका धंधा है । उनका आगे कहना है कि शोरोगुल के कारण उनकी बात सही ढंग से सुनी नहीं जा सकी और बात भी गलत नोट हो गई, तथा उनका इरादा किसी माननीय सदस्य को लोफर या बदमाश कहने का कतई नहीं था । श्री राय ने यह भी कहा है कि यदि उनके उक्त कथन, जोकि गलत सुना व लिख दिया गया है, से विपक्ष के सदस्यों को या माननीय श्री वर्मा को ठेस पहुंची है तो उसके लिए उन्हें हार्दिक दुख है ।

माननीय सदस्य, श्री राय ने आरोपित उक्त कथन से इन्कार करते हुए उसे गलती से लिखा गया बताया है और खेद भी प्रकट किया है । सदन की 4 मार्च, 1982 की कार्यवाही की असंशोधित प्रति में अभिलिखित उक्त आक्षेपात्मक अंश असंसदीय होने के कारण तत्कालीन माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल भी दिया गया है । अतः मैं इस प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता हूं और इस मामले को समाप्त करता हूं ।

तत्कालीन गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी एवं गृह राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

दस्यु छविराम के मैनपुरी जनपद के ग्राम हरनागरपुर में खुले आम घूमने तथा पुलिस द्वारा न पकड़े जाने के विषय में मा0 सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 17 फरवरी, 1982 को मा0 गृह मंत्री जी का वक्तव्य हुआ था । उस वक्तव्य के सम्बन्ध में मा0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उसी दिन अर्थात 17 फरवरी, 1982 को सायंकाल गृह मंत्री, माननीया श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी थी कि माननीय गृह मंत्री ने जानबूझकर दुर्भावनावश तथ्यों को छिपाकर आदरणीय सदन को गुमराह किया । अपनी शिकायत के समर्थन में श्री गुप्त ने 11-2-82 के "स्वतन्त्र भारत" की एक कटिंग भी भेजी थी, और साथ ही यह कहा था कि "मेरी उन व्यक्तियों से भेंट हुई है जो छविराम से मिलकर आये हैं ।"

इसी प्रसंग में श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने गृह मंत्री, माननीया श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी एवं राज्य मंत्री, मा0 श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 मार्च, 1982 को दी, जिसमें उनका कहना था कि दिनांक 17 फरवरी, 1982 को मा0 गृह मंत्री के वक्तव्य पर सदन के कुछ सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उक्त मंत्रियों

ने बार-बार यह कहा था कि दस्यु छविराम हरनागरपुर में नहीं था और न इस आशय की जानकारी शासन को थी, और न ही सरकार को यह जानकारी थी कि कुछ व्यक्तियों (जिनमें माननीय सदस्य श्री अजमानी सम्मिलित थे) ने उक्त दस्यु का आत्मसमर्पण कराने हेतु प्रयास किया था। माननीय श्री हुकम सिंह ने अपनी शिकायत के समर्थन में दिनांक 2 मार्च, 1982 के समाचार पत्र "टाइम्स आफ इन्डिया" की एक प्रति संलग्न की थी जिसमें प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक, श्री नरेश कुमार द्वारा छविराम को आत्मसमर्पण कराने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए जाने की बात कहे जाने का समाचार छपा है।

इस मामले में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री तथा माननीय गृह राज्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई थी और वह माननीय गृह मंत्री के 1 अप्रैल, 1982 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई। उसमें माननीय मंत्री ने यह सूचित करते हुए कि दस्युओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होने दी गई है और निरन्तर चलाए जा रहे प्रभावी दस्यु उन्मूलन अभियान के फलस्वरूप छविराम गैंग का सफाया किया जा चुका है, यह कहा है कि उनके 17 फरवरी, 1982 के वक्तव्य में कोई असत्य बात नहीं कही गई थी।

मैंने माननीय सदस्यगण, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री हुकम सिंह की शिकायतों के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री से प्राप्त जानकारी तथा प्रश्नगत विषय पर सदन की दिनांक 17 फरवरी, 1982 की कार्यवाही का अवलोकन करके इस मामले पर सम्यक विचार किया है। दिनांक 17 फरवरी, 1982 के अपने वक्तव्य में माननीय गृह मंत्री ने इस आरोप को गलत बताया था कि संदर्भित कालावधि में छविराम 4 दिनों तक खुलेआम हरनागरपुर में घूम रहा था और उक्त क्षेत्र से पुलिस हटा ली गई थी।

तथा यह भी बताया था कि पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने से पहले ही वह उक्त क्षेत्र से जा चुका था। वक्तव्य पर हुए अनुपूरक प्रश्नोत्तर के दौरान माननीय गृह मंत्री ने यह भी सूचित किया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई पत्रकार अथवा कोई अन्य व्यक्ति छविराम से मिला था और न ही इस सम्बन्ध में उनकी माननीय श्री अजमानी से कोई बात हुई थी, परन्तु साथ ही उन्होंने यह कहा था कोई नौजवान गौतम बुद्ध और... गांधी और विनोबा से प्रभावित होकर अगर ऐसा करता है कि आत्म समर्पण करने के प्रयास में रहा तो क्या कसूर क्या गुनाह किया। दिनांक 17 फरवरी 1982 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि जिन स्रोतों से छविराम की उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी उनकी वास्तविकता को सुनिश्चित करने में कुछ समय अवश्य लगा था और पुलिस दल द्वारा स्ट्रेटजी पाने के लिए कई तरफ से घेरने का प्रयास किया गया।

शिकायतकर्ता सदस्यों ने गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री द्वारा जानबूझ कर गलत सूचना दिए जाने के अपने आरोप के समर्थन में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वह केवल समाचार पत्र की कटिंग या उसकी प्रति है। पूर्व में इस पीठ से इस आशय के निर्णय दिए जा चुके हैं कि समाचार पत्र पर आधारित किसी सूचना पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिनांक 18 मार्च, 1959 को सदन से बाहर एक सम्मानित

[श्री उपाध्यक्ष --]

व्यक्ति द्वारा दिए गए एक भाषण के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अपना निर्णय देते हुए तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि "जिन्होंने उस भाषण को सुना होगा उनका बयान भी अगर उसके साथ होगा तब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा । मैं सिर्फ अखबार की छपी खबर के ऊपर कोई प्रश्न उठाने की आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हूं ।" प्रश्नगत मामले में जैसा कि पहले बताया गया है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह कहा है कि उनकी उन व्यक्तियों से भेंट हुई है जो कि छबिराम से मिलकर आये हैं परन्तु श्री गुप्त ने न तो उनके नाम का उल्लेख किया है और न ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों या उनके बयान की प्रमाणित प्रति अपने आरोप की सत्यता को सिद्ध करने हेतु अपनी सूचना के साथ दी है, उन्होंने केवल एक समाचार पत्र की कटिंग प्रस्तुत की है । इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत के समर्थन में जो लेख्य मुझे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और मा० श्री हुकम सिंह से प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर प्राग्दर्शन में यह सिद्ध हुआ नहीं माना जा सकता कि माननीय मंत्रियों ने इस मामले में जानबूझकर सदन को गुमराह करने हेतु असत्य कथन किया है । अतः मैं उक्त प्रश्नों को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 64 (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आपको याद होगा कि कल मैंने यह आदेश दिया था कि जो मंत्री अपने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर किसी अन्य मंत्री से दिलवाना चाहता है तो वह मुझे पहले सूचित करेंगे । फिर भी आज इसका निर्वहन नहीं हुआ । जब आपने श्री लोक पति को अधिकृत किया था तो आपने लिखकर दिया था लेकिन जो मैंने कल निर्देश दिया था उसका पालन नहीं हुआ ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय शिक्षा मंत्री जी विधान परिषद् में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष --

परिषद् में जाने का मतलब यह नहीं है कि इस सदन की अवहेलना की जाये । ये अपने अभ्यास से नहीं चूकें, और मैं इनको टोकने से नहीं चूकूंगा ।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 64 (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1), वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को पारित किया गया था तथा जिस पर विचार करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में अस्वीकृत हो गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को पारित किया गया था तथा जिस पर विचार करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में अस्वीकृत हो गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन के 9 प्रस्ताव आये थे और सभी अस्वीकृत किये गये हैं । किन्तु इनमें से केवल एक प्रस्ताव जो श्री माता प्रसाद पांडेय का यू० पी० इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के फर्जी होने एवं उनके द्वारा धोखाधड़ी से छले गये छात्रों द्वारा विधान भवन के सामने आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है इस विषय पर वक्तव्य के लिये मैंने निर्देश दिया है । शासन इस विषय पर वक्तव्य देगा ।

गोंडा जिले के कुर्मिनपुरवा में पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कुर्मिन पुरवा के बारे में हमने लिखकर दिया था । सिसवा जैसी घटना वहां पर हुई है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री मोहन सिंह—

सभी विरोध पक्ष के लोगों ने मिलकर इस घटना के सम्बन्ध में आपको लिखकर दिया है। वहां पर निरीह जनता को पुलिस ने उसी तरह से प्रताड़ित किया है जैसे कि सिसवा में घटना हुई थी। हम लोगों ने सामूहिक रूप से लिखकर इस पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आपको दिया है। इसे आप स्वीकार करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष—

कुर्मिनपुरवा पर वक्तव्य शासन की तरफ से आ जायेगा। कार्य-स्थगन में नहीं आयेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, 13, 14, 15 अगस्त को यह घटना है और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, लोक दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके बारे में आपको लिखकर दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया, वक्तव्य हो जायेगा। कार्य-स्थगन में नहीं आयेगा। मैं आगे का कार्य ले रहा हूं। आप कृपया बिराजें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे।)

मैं जितना ही एकोमोडेट करता हूं आप लोग उतना ही सदन की कार्यवाही में हमारा साथ नहीं देते हैं। इसी बात का हमें दुख है।

(व्यवधान)

ओझा जी आप बैठें

(व्यवधान)

अब वित्तीय वर्ष 1982-83 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारने पर।)

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

व्यवस्था के प्रश्न पर तो अनुमति दीजिये।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशरी प्रसाद पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हुकम सिंह जी को बुला लिया गया है, उनका भाषण होने दीजिये।

(व्यवधान)

क्या आप लोगों की यही व्यवस्था है कि माननीय हुकम सिंह न बोलें ?

श्री मित्र सेन—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

कोई चीज लिखी नहीं जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियम 56 में हमारी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप तशरीफ रखें।

श्री अकबाल अहमद—

नियम 56 में आप दो मिनट कम से कम हमारी बात सुन तो लेते ताकि हम सदन को अवगत करा सकें।

श्री अधिष्ठाता—

आप तशरीफ रखें माननीय हुकम सिंह को बुला लिया गया है।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। माननीय हुकम सिंह जी को बुला लिया है वह बोलेंगे।

श्री अकबाल अहमद—

नियम 56 में जो नोटिस दी है आप उसकी ग्राह्यता पर सुन लीजिये।

(व्यवधान)

नोट- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

नियम 56 पर व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्यक्ष जी ने आपकी व्यवस्था का प्रश्न समाप्त कर दिया और वह चले गये ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप उसे सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने की किसी को आज्ञा नहीं है । माननीय हुकम सिंह जी भाषण करेंगे, उनका भाषण आप सुनें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

पहले कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में निर्णय हो जाय, फिर आगे कुछ चलेगा....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप मेरी बात सुन तो लीजिए, शायद मैं कोई अच्छी बात कह दूं जो आपकी समझ में आ जाय ।

श्री मित्र सेन—

सब लोगों ने सामूहिक रूप से कुर्मिनपुरवा के बारे में दिया था और इस सम्बन्ध में परम्परा यह रही है कि आप ऐसे विषयों पर हर दल की बात सुनते हैं, लेकिन इस बार आप नहीं सुन रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस माननीय सदन में आप जैसे लोग अव्यवस्था पैदा करेंगे तो यह सदन नहीं चल सकता है....

(व्यवधान)

राम आसरे जी आप बैठिये, तशरीफ रखिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब तक इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं हो जाएगा तब तक सदन नहीं चल पायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं । हुकम सिंह जी बोलेंगे ।

श्री अकबाल हुसैन--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा, आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, अभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय नहीं हुआ है । जब तक उसके बारे में निर्णय न हो जाए सदन कैसे चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह अव्यवस्था किस नियम में फैला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपको नियमों का पालन करना चाहिए, आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं । एक व्यवस्था पर दूसरी व्यवस्था नहीं उठानी चाहिए ।

श्री अकबाल हुसैन--

गोंडा में इस तरह के अत्याचार हों और हम मूकदर्शक बन कर बैठे रहे तो यह कैसे हो सकता है, यह कहाँ तक उचित होगा ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह माननीय सदन नियमों के अनुसार चल रहा है, और उसमें हुकम सिंह जी को बोलने के लिए बुलाया गया है....

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय सदन में यह परम्परा रही है कि जब एक वरिष्ठ सदस्य खड़े होते हैं तो अन्य बैठ जाते हैं । इस समय लोकदल के सीनियर मेम्बर हुकम सिंह जी खड़े हैं बोलने के लिए और इतने लोग और उसके साथ खड़े होकर उनको बोलने नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

हुकम सिंह जी को बुलाया गया है । जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया था, उसे उपाध्यक्ष जी ने समाप्त कर दिया है ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, गोंडा जनपद की जनता लूटी जाय, पुलिस वहां पर जुल्म करती रहे, यह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप तशरीफ रखें, मैं खड़ा हो गया हूं । आप लोगों ने जो भी प्रश्न उठाये थे, माननीय उपाध्यक्ष जी ने उनको समाप्त कर दिया और अब मैंने माननीय हुकम सिंह जी को भाषण देने के लिए बुलाया है । ऐसी स्थिति में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

आप लोग तशरीफ रखिए । आप लोग कृपया बैठ जायं । इस प्रकार से सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? सदन की गरिमा तभी होगी जब यहां की कार्यवाही नियमानुकूल चलेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जब तक आप हमारे व्यवस्था के प्रश्न नहीं सुन लेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, यह भी कोई तरीका हुआ ? किसी भी विषय पर....

(व्यवधान)

आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि माननीय सदस्य कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें धमकी देकर मत बैठाइये । कृपया उनकी बात को सुन तो लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जो सुनाई नहीं दिया । इस बीच श्री अकबाल हुसैन और श्री खैरूल बशर सदन के बीच में खाली स्थान पर आ कर फर्श पर बैठ गये)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, जब तक आप बातहमारी नहीं सुनेंगे, हम नहीं बैठेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यदुनाथ सिंह जी को भी बुला लीजिए, फिर तीन हो जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आप मेरा एक निवेदन सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय नेता विरोधी दल से अपील करता हूं कि वे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को अनुशासित रखें और उन्हें अपने-अपने आसन पर बैठने को कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप हमें निकलवा दीजिए, हम नहीं बैठेंगे । जब तक आप हमको सुन नहीं लेते हैं, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पिछली 15 मिनट से सदन की कार्यवाही रुक गयी है और जो सीन हो रहा है वह अच्छा नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं । यह सही है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय लेकर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, यह हम भी मान लेते हैं लेकिन इन्हें सुन तो लिया जाता । मान लीजिए कि कोई नियम नहीं है लेकिन इधर से और उधर से सबसे आप चाहते हैं कि अकोमोडेशन होना चाहिए । नियम रिलेक्स हो जाते हैं और आपकी सद्भावना होती यदि कुछ सदस्यों को आप 2-2 मिनट बोलने का अवसर दे देते । अगर 10-15 मिनट का समय कुछ माननीय सदस्यों को दे दिया होता तो ये लोग अपनी बात कह लेते । मैं चाहता हूं कि आपका भी सम्मान होना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

जिन-जिन का कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है, सभी को सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी आप थोड़ा सा सम्मान करलें और 2-2 मिनट का समय दे दें, नियमों को आप रिलेक्स भी कर सकते हैं, यह अधिकार आपको है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह जो ग्राम कुमिनपुरवा, मजरा गूनवा, थाना कर्नलगंज, जिला गोंडा में दूधनाथ राजभर नामक अपराधी द्वारा शारदा के घर पर धावा बोलने एवं लूटमार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया था, उसे माननीय उपाध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुये उस पर वक्तव्य देने के आदेश दे दिये हैं....

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से निर्णय देने के बाद ही हम लोगों को यहां पर सुनने का अवसर अध्यक्ष पीठ से दिया जाता रहा है। पहले अध्यक्ष जी के कक्ष में हम लोगों के बीच यह तय हुआ था कि असामान्य परिस्थितियों में हम लोगों को कुछ अवसर मिला करेगा। आप इस समय कृपया सदन को कुछ समय के लिये स्थगित कर दें, हम माननीय उपाध्यक्ष जी से बात कर लेंगे....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पहले जो माननीय सदस्य सदन में यहां बीच में आकर बैठ गये हैं, वे अपनी सीटों पर जाकर कृपया बैठ जायें, तभी कुछ सम्भव हो सकेगा। यह

(व्यवधान-शोर)

ठीक नहीं है इस तरह से...

(श्री अकबाल हुसैन और श्री खैरल बशर अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज एक असामान्य परिस्थिति हो गयी है। प्रथा यह रही है कि जब कभी कोई प्रस्ताव ऐसा आता है, जिस पर कि सभी माननीय नेतागणों के हस्ताक्षर होते हैं, तो पीठासीन अधिकारी उनको सुनने का अवसर दे दिया करते हैं। यह जो कांड हुआ है उसमें पुलिस की ज्यादती है, लोगों को मारा-पीटा गया है, कुछ राजनैतिक लोगों को भी लाठियों से पीटा गया है। इस मामले में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव भेजा है उसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, माननीय मंत्रालाल ने भी हस्ताक्षर किये हैं। परिपाटी यह थी कि कम से कम नाम पढ़ दिया जाता था। एक-एक आदमी को एक-एक मिनट सुन लिया जाता था। अब परिपाटी यह हो गयी है कि नाम भी नहीं पढ़ा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी ने नाम भी नहीं पढ़ा। इस विषय पर एक-एक मिनट कम से कम इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में चर्चा करा दिया जाय और एक-एक मिनट सभी व्यक्ति को मान्यवर, सुन लें।

श्री भीखा लाल—

माननीय मोहन सिंह ने जो बात कही उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कुर्मिपुरवा के काण्ड के सम्बन्ध में सभी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर करके काम रोको प्रस्ताव दिया था, उसको सुन लेना चाहिए था, उसके बाद अपना निर्णय देना चाहिए था। माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया, उसकी हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने एक नई परम्परा डाल दिया। कल उन्होंने 301 पर एक प्रश्न स्वीकार कर दिया। उसी विषय पर नियम 56 में मेरा प्रश्न नहीं स्वीकार किया क्योंकि 301 में स्वीकार कर लिया है। आज 301 में स्वीकार करने के बाद उसी विषय पर काम रोको प्रस्ताव को वक्तव्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारा अनुरोध यह है कि माननीय उपाध्यक्ष जी को बुला दें, हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर, जो हम लोगों का कहना है, उसको सुन लें।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य-मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, आप हमको भी सुन लें। मान्यवर, हमारा निवेदन यह है कि माननीय अम्मार रिजवी साहब संसदीय कार्य मंत्री हैं, मान्यवर, मेरी बात पहले सुन लें। मान्यवर, हम लोग सब माननीय उपाध्यक्ष महोदय का और इस पीठ का बहुत आदर करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्तार अनीस, आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री मुख्तार अनीस—

हां, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बाहर बोलता।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने संसदीय कार्य-मंत्री को बुला लिया है, उनकी बात सुनने के बाद आप कहें।

श्री मुख्तार अनीस—

काहे उनकी बात सुन लूं, जब वह साजिश में शरीक हैं, तो उनकी बात पहले क्यूं सुन लूं। मान्यवर, हमारे भूतपूर्व विधायक दीप नारायण पाण्डेय पर लाठी चार्ज हुआ। आप सदन को स्थगित करें, हम लोग जायेंगे उपाध्यक्ष जी के पास।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने की पहले अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा था, उसके बाद व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष के निर्णयों में परस्पर अन्तर्विरोध है।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

मान्यवर, 301 में एक विषय को स्वीकार किया गया। उसी विषय को कार्यस्थगन में देने पर वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया लेकिन जब दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव सामूहिक रूप से आया तो उसका विषय भी नहीं बताया गया और न हो हम लोगों को दो-दो मिनट सुना ही गया। मैंने एक दूसरा प्रस्ताव दिया था, अवध विश्वविद्यालय में पुलिस अधीक्षक से प्रमाण-पत्र लेकर प्रवेश दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

नहीं मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव पर माननीय उपाध्यक्ष ने अपना निर्णय दिया है उनको आप बुला दें और वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें तब सदन की कार्यवाही आगे चलेगी।

श्री मित्रसेन--

विषय पढ़कर बता दें कि क्या है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपने जो कुछ कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष आए और अपने निर्णय....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया है पुनर्विचार करने में वही सक्षम हैं जब तक वह नहीं आयेंगे तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आपके कहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर हमारे कहने पर स्थगित नहीं होगी तो सदन चल नहीं सकता है।

(व्यवधान)]

माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान नहीं होगा तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका सम्मान कर रहा हूं इसीलिए बैठने को कह रहा हूं। जिद करने से काम नहीं चलता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप अगर यह कहेंगे कि आपके कहने पर सदन स्थगित नहीं हो सकता है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उपाध्यक्ष ने वक्तव्य देने का निर्देश दे दिया है, वक्तव्य आने के पहले किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

श्री मसरूर जाफरी--

दो मिनट सब को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

दो-दो मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

सैकड़ों बेगुन हों की बन्द किया गया है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने कुछ अरजेन्सी है, उसके बारे में कहा तो मेरी आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्यों की उत्तेजना को देखकर कि वह इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं विशेष परिस्थितियों में माननीय सदस्यों को थोड़ा-थोड़ा समय दे दें जिससे वह अपनी बात कह सकें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने एक नियम 56 के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो एफिलएटेड कालेज हैं उनकी ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वक्तव्य की मांग करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

ग्राम कुमिनपुरवा के बारे में कहना चाहते हैं तो कहें, विषयान्तर न करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

अलग-अलग कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, जिनमें अलग-अलग विषय हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित छात्रों के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि सुन लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

कुर्मिपुरवा के विषय में दो-दो मिनट कह सकते हैं अन्यथा विषयान्तर नहीं हो सकते हैं ।

नार्दन प्रसाद ओझा--

मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और वक्तव्य की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं, आप विषय के बाहर कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । कुर्मिनपुरवा के विषय में श्री मोहन सिंह कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

जो व्यवस्था दी गई है, उसके विरोध में मैं आज सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गए) ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदन त्याग कर चले गए ।)

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कुर्मिनपुरवा में पुलिस ने बड़े जुल्म किए हैं और पुलिस इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है । वहां के आम नागरिकों को आपसी झगड़े के चलते पुलिस ने बड़ी बुरी तरह पीटा और सामाजिक कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व विधायक लोग तथा राजनीतिक लोग अपनी तरफ से एक सभा कर रहे थे, प्रदर्शन आयोजित किए गए थे, तो उस प्रदर्शन को जिस तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस ने लाठियों से पीटा, वह अपने में एक मिसाल है इसलिए इसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों का तत्काल निलम्बन करके उस घटना की न्यायिक जांच करायी जाय और वहां के जन-प्रतिनिधियों से शासन अपनी ओर से क्षमा मांगे और शासन का इसमें तत्काल वक्तव्य आए जिससे सदन में हम चर्चा कर सकें ।

नोट--[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं लिया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कुर्मिनपुरवा में जो हुआ है वह प्रशासन पर जो काले धब्बे लगे हैं, उनमें से एक काला धब्बा यह भी है। पुलिस ने वहां जो जुल्म किया है वह सिसवा कांड की पुनरावृत्ति हुई है। इससे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो पुलिस जन दोषी हैं उनको बचाने में वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों का हाथ है, उनके खिलाफ शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि भूतपूर्व जन-प्रतिनिधि, यहां बैठने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं पुलिस जुल्म के खिलाफ जो प्रदर्शन किया उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर भी निर्मम लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज के लिये दोषी पुलिस वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, तो सरकार की इस नीति के खिलाफ यह कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुये अधिष्ठाता को भी वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो अध्यक्ष को हैं। तो आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, तो केवल वक्तव्य से हमारा समाधान नहीं होगा। हम पूरक प्रश्न नहीं कर सकेंगे और स्थिति सामने नहीं आ सकेगी। इसलिये आप निर्देश दें कि वक्तव्य होगा और उसके बाद 2 घंटे की चर्चा होगी। हम में बहुत से विधायकों ने मौके पर जाकर देखा है। सरकार के पास उसके सूत्रों से बेबुनियाद, असत्य समाचार आया है। हम सही स्थिति बताना चाहते हैं इसलिये प्रार्थना है कि इस पर वक्तव्य हो और उसके बाद चर्चा हो जैसे कि सिसवा कांड पर हुयी था। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि आप हम सबकी भावनाओं को देखते हुये अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुये चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मोहन सिंह और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बताया, कुर्मिनपुरवा की घटना एक महत्वपूर्ण घटना है। मैं कुर्मिनपुरवा गया था।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपका भी कुछ दखल तो नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

यह आपका दखल है। उसी की वजह से यह सब घटनायें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस कांड पर प्रकाश नहीं डाला जायगा तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। इस पर बयान दिया जाय और चर्चा करायी जाय। 13 जुलाई, 1982 को कुर्मिनपुरवा में रात 9, 10 बजे थाना कर्नलगंज के दरोगा, राहुल और एक सिपाही, श्याम सुन्दर अपने साथ कुछ गुन्डों को लेकर जाते हैं। शारदा कहार के घर जाते हैं और धावा बोल कर 18 सौ रुपये लूट लेते हैं और मारते पीटते हैं। लोग चिल्लाते हैं तो गांव के तमाम लोग आ जाते हैं और छप्पर जला दिया जाता है, लोग समझते हैं कि डकैत आ गये हैं। दरोगा जी बन्दूक छोड़कर चले जाते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

सिपाही वहां पर रह जाता है, पड़ोस में थाना है वहां से फोर्स लायी जाती है 6 आदमियों को थाने लाया जाता है कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जायगी। लेकिन उन 6 आदमियों को रात भर मारा जाता है और दूसरे दिन शाम को चालान किया जाता है। इसी संदर्भ में 27 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शन में पुलिस अधिकारी और थाने के लोग आये और जो लोग अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर बताने जा रहे थे, उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया। श्री रवीन्द्र त्रिपाठी को लाठियों से मारा गया और उनकी कनपटी पर बन्दूक का कुंदा मारा गया जिससे वे बेहोश हो गये। भूतपूर्व विधायक, दीप नारायण पांडेय, भगेलू सिंह को भी मारा गया। वहां का वातावरण अशांतिमय है। सदन में चर्चा करने के लिये आप मौका नहीं देंगे तब तक वहां की भयावह स्थिति की जानकारी नहीं हो पायेगी। गवाहों को तोड़ा जा रहा है। वहां के पुलिस अधिकारियों का पूरा-पूरा हाथ है, वह इस कांड को बराबर छिपा रहे हैं।

श्री भीखालाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुर्मिनपुरवा कांड पर स्थिति के सम्बन्ध में विरोधी पार्टियों के नेताओं ने सामूहिक रूप से (इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) बड़ी खुशी की बात है कि उपाध्यक्ष जी आ गये हैं वह हमारी बात को सुन सकेंगे।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कुर्मिनपुरवा की घटना के सम्बन्ध में सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था अभी कल दो घंटे की बहस के बाद सिसवा कांड पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छा रुख अपनाया और हम लोगों की मांग के अनुसार इस पर न्यायिक जांच बैठाने के आदेश दे दिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस कुर्मिनपुरवा काण्ड में वह सब कुछ हुआ है जो सिसवा में हुआ था केवल बलात्कार को छोड़कर बलात्कार घटना सिसवा में हुयी और वहां पर भी कुर्मिनपुरवा की तरह लूट-पाट-मारपीट व तोड़-फोड़ सब हुआ था, वही पुनरावृत्ति यहां हुयी है और यह कैसे हुआ एक दूध नाथ नाम का अपराधी प्रवृत्ति का पुलिस का दलाल भी है और कर्नेलगंज थाने के थानेदार का दोस्त भी है, उसके कहने पर शारदा कहार के घर पर प्राण घातक हमला किया जाता है, कई घरों की लूट-पाट की जाती है और लोगों को मारा-पीटा जाता है। फर्जीतौर पर 12 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है 5 आदमियों के घर पर कुर्की का बहाना करके उनके घरों से 30 हजार रु0 की सम्पत्ति लूट ली जाती है, इसके विरोध में जब वहां के लोग प्रदर्शन करते हैं तो वहां की पुलिस उन पर और जुल्म करते हुए लाठी चार्ज करती है, जिसमें कई भूतपूर्व विधायक और डी0 एस0 पी0 माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता भी घायल होकर अस्पताल में भरती रहे। तो इस तरह की उच्छृंखलता अगर पुलिस सामान्य नागरिकों के प्रति अपनायेगी और उनकी ऐसी गत बनायेगी तो इस जिन्दगी की सारी व्यवस्था ही खत्म हो जायेगी। इसीलिए यह कांड भी सिसवा कांड से कम अहमियत नहीं रखता इस पर हम लोगों की मांग है कि इस पर दो घंटे की चर्चा कराई जाए और मामले की न्यायिक जांच हो।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसकी वजह से हम उस की कार्यवाही रुकी हुई है और जिस चैप्टर को आप शायद बन्द कर गये थे, उसे फिर विशेष परिस्थितियों में आना पड़ा और साथ ही मुझे इस पर भी खेद है कि जब इतने दिनों बाद सदन चला और इस दौरान बड़ी-बड़ी घटनाएं घटीं। इन सभी घटनाओं के बारे में विपक्ष के सभी नेताओं ने मीटिंग करके यह तय किया था कि इन पर किसी न किसी दिन एक-एक करके प्रायरिटी फिक्स करके चर्चा के लिए ले लिया जाए और इस तरह सभी घटनाओं पर एक एक करके चर्चा हो जायेगी और उन पर कुछ न कुछ कार्यवाही हो जायेगी। इस तहत आज कुर्मिनपुरवा का टर्न था और यह सब की तरफ से रखा गया था और हम लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि पहले दिन की तरह आज भी जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव का समय आयेगा तब कुर्मिनपुरवा की ग्राह्यता को देखते हुए सभी दलों के नेताओं को एक-एक, दो-दो मिनट का समय देंगे और इस प्रकार कोई नतीजा सामने आ सकेगा, लेकिन इस कार्यक्रम में न कहीं पर कोई गड़बड़ी हुयी और यह स्थिति पैदा हो गयी। विषय की गम्भीरता देखते हुए जहां काफी अत्याचार हुए, लूट पाट हुयी, आगजनी और मार-पीट हुयी और एक तरफ 5-5 महीने अनार सिंह के सम्बन्ध में गुजर गये उस पर 81-82 की कार्यवाइयां तक नहीं हुयीं, ऐसे संगीन मामलों पर जिसे मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता कि वहां तो कुछ भी नहीं हुआ और यहां सब कुछ हो गया ताजीरातेहिंद और जाब्ता फौजदारी अदि सभी चीजें हो गयीं। इसमें सही क्या है और क्या नहीं इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों से सुनी जानी चाहिए इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी आप अनुमति देंगे, ऐसी आपसे आशा है।

*श्री अकबाल हुसैन--

हमारे जनपद गोण्डा के कुर्मिनपुरवा में 13/14 जुलाई की रात को थाना कर्नेलगंज की पुलिस और उनके गुण्डे साथियों ने मिलकर दूध नाथ की शह पर, जो थाने का दलाल है, उसकी शह पर कुर्मिनपुरवा में पुलिस और उनके गुण्डे साथी जाते हैं और शारदा प्रसाद, जो 1350 रु0 बैल बेचकर लाता है, उसे लूटने की गरज से जाते हैं। वे 9-10 बजे रात को जाते हैं, लूटते हैं और गांव वालों को मारते हैं। जब वे प्रतिरोध करते हैं तो बन्दूक छोड़कर भागने का बहाना करते हैं, फिर से आते हैं और पूरे गांव को ध्वस्त कर देते हैं। जब 27 तारीख को इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ तो पुलिस के क्षेत्राधिकारी और परगना मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, जिनके सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी कहानी को न सुनायें।

श्री अकबाल हुसैन--

बर्बरतापूर्वक मारा। पुलिस अधीक्षक, यशपाल सिंह इस सारी घटना को छिपाये हुए हैं। जिन लोगों को मारा गया, उनकी अस्पताल में डाक्टरी भी हुई। इस पूरी बात को डी0 एम0 और एस0 पी0 छिपाये हुए हैं। सिसवा वाली घटना को जो लोग छिपाये रहे, उनको दंड दिया गया। उसी के तहत अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री अकबाल हुसैन--]

कुर्मिनपुरवा के मामले को छिपाया है तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि सरकार उसी प्रकार गोण्डा के डी० एम० और एस० पी० के खिलाफ कार्यवाही करे। उन्होंने सरकार को सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया, अतः इस पर इस पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिये।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, कुर्मिनपुरवा की घटना तो शासन की पुलिस की गुण्डा गर्दी का प्रमाण है ही। माननीय सदस्य ने इस पर सदन को सूचना दी। कल सिसवा के सम्बन्ध में चर्चा आपने सुनी। सदन का पुरानी परम्परा यह है कि काम रोको प्रस्ताव की जितनी सूचनायें प्राप्त होती हैं, आप पढ़ते रहे हैं और किन-किन लोगों ने दी हैं, उनका नाम भी पढ़ते रहे हैं। इससे सदन को जानकारी हो जाती है कि कौन-कौन सूचनाय आई हैं। अब आप यह पढ़ रहे हैं कि फलां-फलां सूचना को स्वीकृत किया और बाकी को अस्वीकृत किया। इससे पता नहीं चलता कि कौन-कौन सूचनाये आयीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पुरानी परम्परा रही है, उसी का पालन करें।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, कुर्मिनपुरवा का काण्ड एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला काण्ड है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई नयी बात हो तो कहिये।

श्री राम गोविन्द--

जो प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस के लोगों ने जो लाठी चार्ज किया, यह लोकतन्त्र पर कुठार घात है, मेरी मांग है कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करावें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कुर्मिनपुरवा के बारे में वक्तव्य का निर्देश तो दे दिया था। अगर आप उससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल होने वाली है, उसमें हम आगे की दिशा निर्धारित कर लेंगे लेकिन तब तक शासन की तरफ से वक्तव्य आ जाने दीजिए और मेरी ख्याल है कि आपकी मंशा के तदनुरूप ही उनका वक्तव्य आयेगा।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, यह गलत है, आप बैठिए।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय का मामला बहुत गम्भीर है और आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हुकम सिंह जी, आप कहें ।

श्री खैरुल बशर---

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय का मामला सुन लीजिए । आपने अभी कहा कि पहले इसको हो जाने दीजिये फिर सुनेंगे पर अब आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने हुकम सिंह को बुला लिया है, आप विराजें ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री गोपीनाथ वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये ।)

1982-83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के स्मृति पत्र में विगत वित्तीय वर्षों के व्यय को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, कल अनुपूरक बजट के रूप में 2 करोड़ 99 लाख की कुछ मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, इस वास्ते मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मेरा आग्रह है कि 1982-83 का जो स्मृति-पत्र आपने दिया उसका अवलोकन करने बाद इतना रुपया जो आपने वर्ष 1982-83 के अनुपूरक बजट के रूप में मांग की है वह इससे पहले ही 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में खर्च किया जा चुका है । संविधान के अनुच्छेद 205 में सरकार का अधिकार दिया हुआ है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

हुकम सिंह जी, आपके कहने का आधार क्या है कि रुपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री हुकम सिंह--

विभाग द्वारा जो स्मृति-पत्र दिया गया है इसमें दिया हुआ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको आप कोट कर दीजिए। मैंने जितना पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा है।

श्री हुकम सिंह--

हर माने में उन्होंने कन्टेन्जेन्सी से लेकर निकाल कर पैसा खर्च किया हुआ है।

(श्री हुकम सिंह स्मृति पत्र में कोटेशन को ढूढ़ते रहे इस बीच में)

श्री उपाध्यक्ष--

हुकम सिंह जी, यह तो मिस फायर हो गया।

श्री हुकम सिंह--

नहीं मान्यवर, मिस फायर नहीं हुआ है, जब तक आपका सहयोग प्राप्त होगा, मिस फायर नहीं होगा। आप देखें मान्यवर, मेज नम्बर 1 पर ले लें जहां पर अनुदान संख्या आबकारी विभाग की है इसी को आप देखें। इसकी चौथी लाइन में है।

श्री उपाध्यक्ष--

कहां है? मुझे तो कहीं नहीं दिखायी दे रहा है कि लिखा हो कि खर्च किया जा चुका है। इसमें तो लिखा है कि खर्च किया जायगा।

श्री हुकम सिंह--

कोई भी अनुदान ऐसा नहीं है, मान्यवर ....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह जी, यह तो प्रिजम्शन की बात हो गयी। मिस फायर हो गया, फिर लोड कीजिये।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर स्मृति-पत्र का पृष्ठ 5 ही निकाल कर देखें। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ में अंशपूंजी विनियोजन उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ में 15 लाख रुपये का अंशपूंजी विनियोजन किए जाने का निर्णय लिया गया था। चूंकि वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय व्ययक में इस निमित्त कोई प्राविधान नहीं था और प्रश्नगत व्यय अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य था अतः राज्य आकस्मिकता निधि से 15 लाख रुपये की धनराशि का अग्रिम आहरित कर उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0, लखनऊ को अंश पूंजी के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

आखिर कंटिजेंसी होती किस लिए है। जरूरत होने पर उसमें से खर्च करके फिर अनुपूरक अनुदान के रूप में उसे सदन के सामने लाते हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अनुच्छेद 205 में दिया गया है, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट, एडिशनल ग्रान्ट और एक्सेस ग्रान्ट के बारे में दिया गया है। सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट का तो यही मतलब है कि यदि कोई ऐसी मद हो जिसके लिए वर्तमान साल के अन्दर धन की कमी पड़ गयी हो तो उसे दोबारा विधान मंडल के सामने लाकर उसको स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो पुराने सदस्य हैं। कंटिजेंसी फंड तो होता ही इसीलिए है कि अगर कहीं धन की कमी पड़ जाय तो उसमें से पैसा निकाल कर उस काम को पूरा कर लिया जाय और फिर अनुपूरक अनुदान सदन के सामने लाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। यह आप कह सकते हैं कि सप्लीमेन्टरी अनुदान उसी साल के अन्दर आ जाना चाहिये।

श्री हुकम सिंह—

मेरा कहना है कि वे नहीं कर सकते हैं। अगर कंटिजेंसी से निकाल कर पैसा खर्च हो गया तो उसके रेगुलाइज करने का तरीका क्या होगा। क्या वह स्टेट विधान मंडल के सामने आ जायेगा, मेरा ख्याल है कि अगर किसी मद में ज्यादा पैसा खर्च हो गया तो यह प्रश्न समिति के जरिये उसी साल के अन्दर विधान मंडल के सामने स्वीकृति के लिए आ जाना चाहिए। जिन मदों पर स्वीकृत अनुदान से अधिक धन खर्च हो जाय, उसकी व्यवस्था संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान में अन्तर है। अतिरिक्त अनुदान को सप्लीमेन्टरी के रूप में स्वीकृत कराना संविधान के प्रतिकूल है। तो मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि जितने आज अनुदान लाये हैं उनमें सर्वाधिक वर्ष 1980-81 या उससे पूर्व के वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं। आज यह सरकार इस बात पर तुली हुई है कि संविधान को यह नहीं मानते, व्यवस्थाओं को यह नहीं मानते, परम्पराओं को यह नहीं मानते। 1980-81 में खर्च कर लिया और आज आप आ रहे हैं अनुपूरक अनुदानों का जामा पहनाकर कि उसको स्वीकार कर लें। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या अतिरिक्त अनुदानों को अनुपूरक अनुदान का रूप देकर उस पर विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं?

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंटरी डिमांड हैं आपकी, किसी एक्सपेन्डीचर की स्वीकृति आपने आलरेडी हाउस ले ली है और ज्यादा खर्च पड़ता है तो आप सप्लीमेंटरी डिमान्ड लाकर सदन से स्वीकृति लेते हैं। मैं इस चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदन की प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति का मेन फंक्शन यही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर में नहीं आता है। प्राक्कलन समिति इसमें नहीं आती है। आप वित्त मंत्री को अपनी बात कहने दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न माननीय हुकम सिंह जी ने दिया था, जो 12·30 बजे हमको मिला। इसमें दो बातें कही गयी हैं कि 1980-81 और 1981-82 में कुछ पैसा खर्च हो गया, उसको हम इसके जरिये मांग रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि 1981-82 का ही पैसा मांग रहे हैं। जनवरी में हमने बजट पास किया। अगर 1982-83 का बजट हम अप्रैल-मई में पास करते तो दूसरी शक्ल होती। आकस्मिकता निधि इसी लिए स्थापित की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत अगर उस वर्ष के चालू व्यय में व्यवस्था न हो तो उससे ले लिया जाये और पहली अपारचुनिटी के ऊपर हमको विधान मंडल के सामने आ जाना चाहिये। तो यह एक्सेस एक्सपेन्डिचर नहीं है जिसके लिये हम पी० ए० सी० के सामने जाते हैं। हमने जनवरी में बजट पारित कर लिया, उसके बाद भारत सरकार से ग्रांट आई, उसको भी खर्च करना था और उसकी पूर्ति करने के लिये हम यह अनुदान ला रहे हैं। विधान मंडल सबसे ऊपर की चीज है और हमारा कर्तव्य है कि हम पहली अपारचुनिटी पर विधान मंडल के सामने आ जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सब तर्क सही हैं लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं हो रहा है। क्या 1981-82 में खर्च हुआ रुपया, जो कन्टिनजेंसी से आपने किया था, इस समय पूरा किया जा रहा है?

श्री ब्रह्म दत्त—

बजट मैनुअल के मुताबिक इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, एट दि अर्लियेस्ट अपारचुनिटी पर हमको आ जाना चाहिये। अर्लियेस्ट अपारचुनिटी यही है। बजट तो आया जनवरी में और यह ग्रान्ट्स आती रहती हैं 31 मार्च तक, तो हमको उस समय लेकर उसको व्यय करना पड़ता है। तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि उस कन्टिन्जेंसी फंड को रि-कूप करने के लिये ऐसा किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

परम्परा को मैं मानता हूं। परम्परा की फीलिंग क्या रही है?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह तो 20 फरवरी तक हमको मिल जाये और हम सदन में आ सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है वरना वोट आन एकाउन्ट लेकर पास करते थे। अब मजबूरी है। अच्छाई इसी में थी उस समय तक आ जाना चाहिए था। इसीलिए परम्परा है। अनुपूरक अनुदान से करा लिया जाता है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अब बहस प्रारम्भ करायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाये।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह तो मैं स्वीकार ही करता हूं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कब मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं मानता हूं । प्रयास किया जाना चाहिए ।

1982-83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

[2 बजकर 13 मिनट]

*श्री मोहन सिंह --

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय अनुशासन बढ़ता चला जा रहा है । जो हमारी आकस्मिकता निधि है उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है और राजनैतिक परिस्थितियों में, जब कहीं पर चुनाव आते हैं तो वहां की जनता को, वोटर को खुश करने के लिए कोई न कोई योजना तात्कालिक प्रभाव से चालू कर दी जाती है और आकस्मिकता निधि से धन दे दिया जाता है और फिर सदन के सामने आ जाते हैं । वर्ष 1977-78 और 1978-79 में जो अधिक खर्च हो गया है उसको रेगुलराइज करने के लिए आज ये सदन में आये हैं । पिछले वर्ष में जो खर्चा हो गया है उसको विनियमित करने के लिए लोक लेखा समिति के सामने जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय इनको आपकी पीठ से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी पीठ से नहीं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो आपकी पीठ पर बैठा हूं ।

(हंसी)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, शासन वित्तीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है । इसका उदाहरण आज ही आप देख लीजिए । 1977-78 और 1978-79 की मंजूरी आज ली जा रही है, जबकि 4 वर्ष बीत गये हैं ।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बारे में मैं, अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो विभिन्न समितियां हैं उनकी संस्तुतियों के बारे म यह सरकार बिलकुल ध्यान नहीं देती है। खासतौर से मैं कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० की संस्तुतियों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने 2 बड़े निगमों के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगा है। विद्युत् परिषद् के लिए 6 करोड़ रुपये मांगा है। 5 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया, युवक कल्याण कोष बन कर और एक अतिरिक्त फन्ड बनाकर रुपया ले लिया। आप नियम बना देते हैं लेकिन आप उनको बनाते समय यह नहीं सोचते हैं कि इन पर व्यय करने के तौर तरीके क्या होंगे? इसको निश्चित रूप से करना चाहिए और एक रूप रेखा तैयार करनी चाहिए। ऐसा मान्यवर, होता नहीं है। विधान मंडल से अतिरिक्त पैसा निकाल लिया जाता है और जब व्यय का सवाल आता है तो शासन के पास स्पष्ट रूप रेखा नहीं रह जाता है। इस पैसे का दुरुपयोग होता रहता है। सरकार की ओर से योजनायें बनायी जाती हैं। डेढ़ सौ दो सौ करोड़ रुपये की योजनायें प्रारम्भ होती हैं और जो उन योजनाओं के पूरा होने का समय होता है, उसके अन्दर वे पूरी नहीं होती हैं जिससे कि उनका व्यय बढ़ता जाता है। इस वजह से बीच में दूसरी योजनायें ले ली जाती हैं जिससे रकम और बढ़ती चली जाती है। नतीजा यह होता है कि जो वित्तीय प्राविधान इस सदन के द्वारा होता है उसके अतिरिक्त परिव्यय मजबूरी से करना पड़ता है और उसके लिए विधान मंडल की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बड़ी योजनायें हैं जब तक वे पूरी न हो जायं तब तक नई योजनायें प्रारम्भ न की जायं। बीच में जो योजनायें ली जाती हैं वे निश्चित रूप से राजनीतिक परिस्थितियोंवश ली जाती हैं। अभी जो स्पिनिंग मिल्स और चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में बन रही हैं उसके लिये 38 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एन० सी० डी० सी० को कंटिन्जेन्सी से आपने पैसा दे दिया। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग-धन्धे लगें, उसके लिए हमें एतराज नहीं है लेकिन वह किस किस्म का लगे कैसे लगे, वह रोजगारपरक भी हो, उत्पादक भी हो, संचित निधि के लिये भार स्वरूप न बने, यह बात सदन के अन्दर भी कही जा चुकी है और सदन के बाहर भी कही जा चुकी है। जो हमारी शुगर फैक्टरीज हैं वे सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश का इस सम्बन्ध में इतिहास रहा है कि जिस वर्ष सबसे ज्यादा चीनी रिकार्ड हुआ उसी वर्ष गन्ना काश्तकारों का सबसे ज्यादा बकाया चीनी मिलों पर रहा और इस तरह से सरकारी खजाने के ऊपर करोड़ों रुपये का भार हर साल बढ़ता चला गया। आपको यह देखना पड़ेगा कि विधान मंडल द्वारा जिस पैसे की स्वीकृति ली जाती है उसकी परीक्षा कर ली जाय क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं और यह बड़े अफसोस की बात है कि जो 1981-82 और 1982-83 की योजनायें हैं उन पर विधान सभा में चर्चा नहीं होती है। आप जो पैसा मांग रहे हैं, वह किस चीज पर आप खर्चा करेंगे, किस तरह से करेंगे यह बात आनी चाहिए और इस पर बहस होना चाहिए। यह बात कही जा चुकी है कि जो सहकारी क्षेत्र में आप चीनी मिलें खोल रहे हैं सुल्तानपुर में और रायबरेली में खोल दिये हैं,

वे वहां चल नहीं पा रहो हैं । आपने 8/9 करोड़ की योजना इसके लिए घोसी में व्यवस्था की है । इस 9 करोड़ की योजना के बजाय आप दूसरी कोई योजना बना सकते थे लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर आपने 9 करोड़ की व्यवस्था विधान मंडल से करा ली और उसके लिए खर्च कर रहे हैं ।

हमने विकेन्द्रित नियोजन के ऊपर नियोजन मंत्री श्री ब्रह्मदत्त जी का भाषण पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये योजनायें किसी राजनीतिक दबाव या पुरस्कार में न होकर क्षेत्र की आवश्यकताओं के ऊपर बनायी जायेंगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो चीनी मिलें और स्पिनिंग मिलें लगायी जा रही हैं वे इस आवश्यकता और यहां की परिस्थितियों के अनुरूप न होकर राजनीतिक दबाव से लगाया जा रही हैं जिससे सरकारी खजाने के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है । आप विद्युत परिषद् को ही ले लीजिये । वहां की कार्यप्रणाली के बारे में नित्य-प्रति यहां पर सवाल आते हैं । जितनी विद्युत् परिषद् की योजनायें हैं वे पुरानी हैं और पैसे के अभाव में उन योजनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही हैं । यही कारण है कि रायबरेली में ऊंचाहार में जो विद्युत् केन्द्र आप स्थापित करने जा रहे हैं उसमें अभी तक उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है ।

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

यह तो कोई मतलब नहीं हुआ, प्रदेश सरकार को सोच-विचार करना चाहिए । आप शिक्षण संस्थाओं को, तथा विभिन्न तरह की स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान बांटते हैं, विवेकाधीन कोष से पैसा बांटते हैं जिसमें विभिन्न मंत्रियों के विवेकाधीन कोष हैं उसमें जो पैसा दिया जाता है वह सब अविवेकी ढंग से पैसा दिया जाता है जितना अविवेक इसके बांटने में होता है किसी दूसरे में नहीं होता । पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से जिस तरह से वितरण हुआ उनके इर्दगिर्द के लोगों ने उसका दुरूपयोग किया, जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी उनको पैसा दिया गया ।

इसी प्रकार बटलर पलेस में एक दार्शनिक संस्था खुली है, कुछ वरिष्ठ लोगों ने अपने खाने-पीने का रास्ता निकाल लिया है । बटलर पैलेस में जो कार्यालय था उसको दूसरी जगह एक लाख दस हजार रुपये माहवार के भाड़े में लिया गया है और इस संस्था को यह भवन मुफ्त में दे दिया जिसको आप अनुदान भी देते हैं । यह संस्था क्या है, कौन लोग उसको चला रहे हैं इसके बारे में पूरा सदन अंधकार में है । जितना शिक्षा विभाग के अनुदानों में घपला है उतना घपला शायद गुलाब सेहरा जी बैठे हैं उनके विभाग में भी नहीं होगा । हल्ला जरूर किया जाता है कि फर्जी संस्थायें हरिजनों के नाम पर, बालबाड़ी के नाम पर बना ली गयी हैं । हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं के नाम पर, माननीय जयप्रकाश नारायण के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, जिस पार्टी का राज हो उसके किसी महापुरुष के नाम पर फर्जी संस्थायें खोलकर अनुदान लेकर खाया पीया करती हैं । तो ऐसी अनुदान भोगी संस्थाओं का विवरण यहां प्रस्तुत करना चाहिए । एक बनस्थली विद्यापीठ है जो राजस्थान में है उसको भी अनुदान दिया है । उससे हमारा क्या मतलब है । यह ठीक है कि वह अच्छा काम करती है लेकिन वह हमारे यहां की नहीं है ।

(व्यवधान)

जहां-जहां बाहर संस्थायें हैं उनको आप अनुदान देते रहे लेकिन उसके लिए कोई नियमावली बना लें । बिना नियमावली के उत्तर प्रदेश से बाहर की संस्थाओं को इस तरह से जो प्रदेश स्वयं कंगाल है उसका रुपया बांट रहे हैं और स्वयं

[श्री मोहन सिंह--]

केन्द्र से भीख मांगते हैं । यहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं हर अनुदान में जब भी अनुपूरक पेश होता है वह मांग प्रस्तुत करते हैं । संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुवेट इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ न कुछ पैसा हर अनुदान में लेते रहते हैं उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति संजीवैयया रेड्डी ने किया था और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण कहा था कि मैंने बहुत सारे स्थानों पर पत्थर लगाये हैं वह पत्थर बाद में फेंक दिये गये और कोई निर्माण नहीं हुआ । किसी भी प्रदेश की सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी नहीं की होगी जिस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने पत्थर लगा कर की ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

यह जो धोखाधड़ी की बात कही उस पर कुछ कहना चाहता हूं । श्रीमन्, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है, स्थल चयन का नहीं किया है । उस योजना का शुभारंभ के0 जी0 मेडिकल कालेज के खेल के मैदान में किया गया है । वह पत्थर जहां योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है वहां लगाया जा रहा है । योजना प्रारम्भ हुई थी, स्थल का चयन नहीं । जगह चयनित हुई थी कि लखनऊ में यह योजना बनाई जायेगी । तो मान्यवर, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है यानी नहीं बनेगा तो आप कहियेगा कि धोखाधड़ी हो गयी ।

श्री मोहन सिंह--

तो अब मैं एक मिनट में श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोगों की क्या यह अन्त्याक्षरी इसी तरह चलेगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि उनके कथन से स्पष्ट है कि मंत्री जी को यह विश्वास हो गया कि यह लम्बे समय तक रहने वाले हैं । एक मुख्य मंत्री का हम देख चुके हैं, दूसरे अभी प्रोबेशन पीरिएड में हैं, प्रोबेशन पीरिएड बहुत जल्दी उनका समाप्त होने वाला है और इनके नम्बर का तो शेर हर बार उठता है, लेकिन वह यों ही खतम हो जाता है । जो युवराज होता है उसकी स्मृति में यह एक पत्थर लगवा देते हैं अपनी नौकरी की रक्षा के लिए और वह योजना कार्यान्वित होने वाली नहीं है ।

श्री लोकपति--

हम आपके लिए भी कर रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह--

डेढ़ वर्ष बीत गये संजय गांधी इंस्टीट्यूट अलग से पोस्ट ग्रेजुएट होगा, यह आपने कहा था किन्तु क्या यह हुआ । आपने एक दिन कहा कि वह पोस्ट-ग्रेजुवेट इंस्टीट्यूशन होगा । आपने फिर कहा कि वह यहीं जो मेडिकल कालेज है, उसी का अप-ग्रेडेशन होगा । फिर आपने कहा कि यहां वह नहीं होगा, अलग से रायबरेली रोड पर होगा । तो अब वास्तविक स्थिति क्या है, यह माननीय

स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक और स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए। क्योंकि हम अन्धे हैं और अंधे की तरह रह रहे हैं। जैसे अन्धा हाथी देखने गया किसी ने उसकी सूंड देखी, किसी ने उसके पैर देखे और किसी ने उसके कान देखे। जिसने उसकी जो अंग देखा उसकी ही तारीफ की। इसी तरह से इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने पूरे प्रदेश को अंधे की शक्ल में रख छोड़ा है। इस लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जिस समय संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुयेट इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने पहली बार इस सदन में बताया था, माननीय सदस्यों को अवगत कराया था, तब भी मैंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट भारतवर्ष के अन्य इंस्टीट्यूटों के समान नहीं रहेगा। जब राष्ट्रपति जो इसका शिलान्यास कर रहे थे, तब भी मैंने उनके सम्मान में उनके स्वागतार्थ दो शब्द कहे थे, तब भी मैंने यह कहा था कि भारत-वर्ष में जो तमाम इंस्टीट्यूटस हैं, उस तरह का यह नहीं होगा और इस सदन में इसके पूर्व भी पिछले सत्र में मैंने कहा था कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुयेट इंस्टीट्यूट के अन्दर वही लोग जायेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी मास्टर डिग्री जिनके पास है वही उसमें जायेंगे, वही उसमें जाने के अधिकारी होंगे।

श्री मोहन सिंह--

एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपकी अन्त्याक्षरी चल रही है।

श्री मोहन सिंह--

इसके अतिरिक्त मुझे इस बात का अफशोस है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो तीन अनुपूरक पेश किए हैं उसमें सबमें इलाहाबाद के कुम्भ के लिए मांग की गई है। जो इलाहाबाद में अर्द्धकुम्भ लगा, उस पर अब तक 22 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा चुका है। इस बार भी जो पेश किया है, उसमें भी 20 लाख रुपये का अनुदान घुसेड़ा हुआ है। सन् 76 में जो सम्पूर्ण कुम्भ लगा था 12 वर्ष वाला उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल 13 करोड़ रुपया खर्च किया था और जो पिछले बार अर्द्ध कुम्भ लगा उसमें करीब-करीब 22 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अर्द्धकुम्भ के नाम पर उत्तर प्रदेश के गरीब खजाने का, वहां के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और सम्बन्धित मंत्रियों ने भारी दुरुपयोग किया है। अतः मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, जहां कहीं भी पैसे का दुरुपयोग होता है उसकी जांच करनी चाहिए और उस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक आप वित्तीय नियन्त्रण रखने के लिए समुचित और सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक तह इस प्रकार से अतिरिक्त व्यय होता रहेगा और अनियमित व्यय होता रहेगा। आप जो विनियमिति करण का प्रस्ताव लाए हैं, वह हमारे जमाने का है। वित्तीय नियन्त्रण कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा, तो अधिकारी लापरवाही से अपने हिसाब से अपनी मनमानी से सरकारी धन का इसी तरह प्रयोग करते रहेंगे और कमेटी के पास जायेंगे और कहेंगे कि य

[श्री मोहन सिंह---]

खर्च हमें उस समय के मंत्री जी के दबाव में करना पड़ा है। हमारी मजबूरी रहेगी कि हम उसको मंजूर करें। इसलिए इसका अनुमोदन तो होना ही है, लेकिन एक बार फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह का उन्होंने रिकार्ड स्थापित किया है समय पर वार्षिक बजट पेश करने का लेकिन दूसरा रिकार्ड भी कायम किया है। साल में 3-3 बार अतिरिक्त अनुदान लाये गये और सदन इस बार इसीलिए बुलाया गया है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस प्रथा और परिपाटी को माननीय वित्त मंत्री जी खत्म कर और प्रदेश में वित्तीय अनुशासन का कड़ाई के साथ पालन करायें ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहां पर एक ही सदन चलने दें ?

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो मांगें प्रस्तुत हुयी हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी के विचार मैंने सुनें। उन्होंने बड़े जोर से वित्तीय अनुशासन लागू करने की बात कही है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश के संसाधनों का विकास के कार्यों के लिए, योजनागत कार्यों के लिए बेहतर उपयोग होना चाहिए और इसके लिए वित्तीय अनुशासन का कड़ाई के साथ पालन किया जाय लेकिन उसके साथ-साथ में एक बात बहुत विस्तार के साथ कह सकता हूं कि वित्तीय अनुशासन की दिशा में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में जितने कार्य हुए हैं, उतने इससे पहले कभी नहीं हुये। इसका प्रमाण यह है कि पहली बार 1980-81 का बजट टाइम से प्रस्तुत व पास ही नहीं हुआ अपितु सारी स्वीकृतियां भी समय से जारी हुयीं। इसी प्रकार से वर्ष 1981-82 में भी वही बातें हुयीं। माननीय मोहन सिंह जी की बात सुनकर मुझे रामायण की एक चौपायी याद आती है जो इस प्रकार है :

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे"

माननीय मोहन सिंह जी उस सरकार में मिनिस्टर रहे जिसने वित्तीय अनुशासन की बात को कभी सोचा ही नहीं और वित्तीय अनुशासनहीनता जिस जमाने में पराकाष्ठा पर रही। वर्ष 1980-81 और 1981-82 में माननीय मोहन सिंह जी, जिस जमाने की बात कर रहे थे, उसकी तुलना में यदि आप देखें तो पायेंगे कि राज्य में इनकम अपने टैक्सों से 518.15 करोड़ रुपये थी जो आज वर्ष 1981-82 में वह इनकम सिर्फ वित्तीय अनुशासन लागू करके, बिना टैक्स बढ़ाये, 835.53 करोड़ हो गयी। तो यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर यह सरकार और प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी गर्व कर सकते हैं।

माननीय मोहन सिंह जी ने फिजूलखर्ची की बात कही। अगर साधनों का अध्ययन किया जाय तो पायेंगे कि पर कैपिटा खर्च नानप्लान एक्सपेन्डिचर, नान डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर सारे प्रदेश में बिहार प्रदेश को छोड़कर 22 राज्यों में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। यह भी एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा सकता है । यही नहीं, योजनागत जो खर्चा है छठी पंचवर्षीय योजना में जो व्यय हो रहा है उसके कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । वर्ष 1980-81 में प्लान आउटले 933.83 करोड़ था लेकिन वास्तविक व्यय हुआ 978.59 करोड़ रुपया । इसी प्रकार से वर्ष 1981-82 में प्लान आउटले 1075 करोड़ रुपया था लेकिन वास्तविक खर्चा हुआ 1085.7 करोड़ रुपया । तो इस क्षेत्र में भी विकास के क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना में 6,200 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया गया है । यह सरकार कटिबद्ध प्रतीत होती है कि योजना के व्यय को शत प्रतिशत पूरा खर्चा विकास के कार्यों पर प्रदेश को दिया जाय ।

मान्यवर, एक और ऐसी बात है जिस पर यह सरकार गर्व कर सकती है । उत्तर प्रदेश की सरकार ही एक मात्र ऐसी सरकार है जिसने ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है या सबसे कम लिया है । 1980-81 में पहली बार हमारे बजट में घाटा नहीं हुआ है और न ही ओवर ड्राफ्ट लिया है ।

श्री रियासत हुसैन--

लिया है, पर सबसे कम है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

सभी राज्यों से बहुत कम है । 1980-81 में नहीं लिया है ।

विकास कार्यों पर माननीय मोहन सिंह जी बड़ा जोर दे रहे थे । छठी पंच वर्षीय योजना लगभग 6200 करोड़ की है । 1982-83 के अन्त तक इस योजना पर 3265 करोड़ रुपया व्यय हो चुका होगा 3 वर्ष में । पूरी योजना का इस प्रकार 52 प्रतिशत खर्च हो चुका होगा । इस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिये जो रुपया उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित किया गया है वह अवश्य खर्च होगा और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा । माननीय मोहन सिंह जी आलोचना करने के लिये भले ही आलोचना करें, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है । उनकी कार्यप्रणाली भी हमारे सामने है, उन्होंने तो इस प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को बिगाड़ा ही है ।

एक बड़ी उपलब्धि और है इस शासन की और वह है विकेन्द्रित नियोजित योजना की । इस योजना के अन्तर्गत इस साल के बजट में जिला सेक्टर के लिये 346 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है । पहली बार यह डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की गयी है । इस ओर पहली बार राज्य सरकार ने प्रयास किया है । 865 करोड़ स्टेट सेक्टर के लिये निर्धारित किया है । कम्पोनेंट प्लान के लिये 121.34 करोड़ रुपया रखा गया है । पहली बार इस प्लान के अन्तर्गत 3.60 लाख रुपया अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, रखा गया है ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके । इन शब्दों के साथ, माननीय वित्तीय मंत्री जी ने जो मांगे रखी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और एक बार फिर उन्हें इन तमाम सुन्दर उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं जिसके लिये यह सरकार गर्व कर सकती है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री तिवारी जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके आंकड़ों का चमत्कार देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं माननीय तिवारी जी का ध्यान नियमावली के नियम 195 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसके मदों तक ही सीमित रहेगा। हमको लगता है कि वित्त मंत्रालय की ओर से अपनी उपलब्धि का आंकड़ा दे दिया। उन्होंने इस अनुपूरक बजट को देखने की भी कोशिश नहीं की। जहां तक आंकड़ों की विश्वसनीयता का सवाल है, अभी तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 1981-82 की डायरी प्रकाशित हुई है। यदि उनके तीनों आंकड़ों को तिवारी जी देखने की कोशिश किये होते तो उनको मिलता। अंग्रेजी वाली पुस्तक में 1971-72 को आधारित वर्ष मान लिया गया है। इस समय बहस के उत्तर को देना नहीं चाहता था, मैं माननीय वित्त मन्त्री को दिखा दूंगा।

मान्यवर, जिस वक्त मैंने इस बजट का फीता खोला, तो मन में एक जिज्ञासा थी कि यह उस बजट में आया करता था कि जो मूल बजट में प्राविधान रहता था, उसी का अनुपूरक आया करता था। मैंने एक बयान पढ़ा था पुलिस आई0 जी0 का, सरकार बदली, माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये, उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार कर लिया एक समाचार पत्र में वर्तमान आई0 जी0 ने बयान किया। उस बयान से वस्तुस्थिति उजागर हो गई। माननीय मुख्य मन्त्री ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली। उस पर वर्तमान आई0 जी0 ने मोहर लगा दिया। यह बयान "अमृत प्रभात" में 11 अगस्त में प्रकाशित हुआ है। "आधुनिक अपराध तकनीक से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस के पास आवश्यक हथियार नहीं हैं।" फिर आगे कहा है कि "प्रदेश में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है।" तो मैं समझता था कि इस अनुपूरक अनुदान में एक भारी धनराशि की व्यवस्था की जायगी जिसके आधार पर डाकुओं का उन्मूलन होगा। मैं पन्ने का पन्ना उलटता गया, लेकिन इस पुलिस के तहत कोई प्राविधान नहीं मिला, महज इतनी बात से मालूम होता है कि इस सरकार की ला एण्ड आर्डर व्यवस्था ठीक करने के लिए रुचि नहीं है। तीसरे पेज पर मुझे मिला कि नगर क्षेत्र अमेठी की संगठित नगर योजना के अधीन साढ़े तीन लाख रुपया का प्राविधान किया गया। हमारे सीतापुर जिले की नगर विकास योजना बहुत पहले से स्वीकार है। मैं मंत्री के पास दौड़ते-दौड़ते थक गया कि पैसा रिलीज करिये, लेकिन कुछ हुआ नहीं।

इसमें आप देख लें, हमारे शिक्षा मंत्रालय की चर्चा अनुपूरक अनुदान में की गई है। एक कालेज के नाम से 50 हजार रुपया दिया गया, इसका नाम के0 पी0 कालेज, इलाहाबाद है। रुपया दिया गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रुपया बांटने का कोई आधार होना चाहिये। इस पिछड़े प्रदेश में न जाने कितने ऐसे कालेज होंगे। पिछली चर्चा के समय माननीय मुख्य मंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि अनेक्सी की साज-सज्जा की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जायगी, किन्तु इसमें अनेक्सी को वातानुकूलित करने एवं अधिकारियों के शीशे पर विशेष प्रकार की पालिश करने के लिए तीन लाख रुपये का प्राविधान किया गया।

सीतापुर डिपो की बात की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। 54 बसें रिकार्ड में हैं, 24 केवल चल रही हैं, बाकी बसें डिपों में पड़ी हुई हैं। लखीमपुर खीरी में गया हुआ था, उनके डिपो में 24 बसें हैं, उनमें से 6 बसें आपरेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रही हैं । सीतापुर में जो बस स्टेशन है, माननीय जाहिदी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा होगा, एक वहां पर वर्कशाप बन गया, बिलकुल ऐसे रास्ते पर जहां से कोई बस जाती-आती नहीं है । डीजल भरने के लिए बसें वहां जाने लगीं जिसके कारण आधे-आधे घंटे के विलम्ब होने लगा । दो-दो रेलवे क्रासिंग इनको क्रास करना पड़ता है । जब वहां पर डीजल टैंक बना हुआ है तो क्या कारण है कि डीजल भरने के लिए वहां जाना होता है । मेरी राय से माननीय मंत्री जी सहमत हैं लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । निगम पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । अब मैं बिजली बोर्ड की बात कहना चाहता हूं । आपने साढ़े चार करोड़ रुपया दे दिया ।

श्रीमन्, 8 तारीख को सीतापुर का पावर हाउस जल कर भस्मसात हो गया । 8 तारीख से आज तक वह चल नहीं पाया है । एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं । माननीय मंत्री जी से मैं मिला बिजली बोर्ड के अध्यक्ष से मिला लेकिन पता यह चला है कि अभी 15 दिन तक उसके दुरुस्त होने की सम्भावना नहीं है । इसमें लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है । मान्यवर, 8 तारीख से आज 24 तारीख हो रही है एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं । अन्धकार छाया हुआ है जिसके कारण साढ़े 7 बजे दो आदमियों का कत्ल हो गया । एक बात और मिली सरकार ने कुछ कालेजों में हाई स्कूल में विज्ञान खोलने की व्यवस्था की है यह सरकार टुकड़ों पर विचार करती है । विस्तृत रूप में सर्वांगीण तौर पर विचार करने में यह सक्षम नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी होते तो, समझती तो क्या, लेकिन मैं अपना रोदन उनके सामने कर देता । लोगों को मालूम है कि इस साल हाई स्कूल कक्षा में नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है । 6 विषय अब हाई स्कूल में अनिवार्य कर दिये गये हैं । जहां साइंस नहीं है वहां पर कला विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है ऐसी व्यवस्था की गई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के कारण 40 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी विषय अनिवार्य हो गया है । आप ध्यान दें । पहला विषय हिन्दी अनिवार्य है दूसरा विषय भाषा अनिवार्य है । तीसरा वैकल्पिक विषय है । इसमें पहला है कोई प्राच्य भारतीय भाषा, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, दूसरा है आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे--उर्दू, बंगला, आदि और तीसरा है कोई विदेशी भाषा - जैसे--इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेन्च आदि । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी के अलावा किसी को मान्यता नहीं है । जब उन विद्यालयों में संस्कृत या उर्दू नहीं है तो उनको अंग्रेजी लेना अनिवार्य है । मेरे सीतापुर जिले में 6 विद्यालय ऐसे हैं जहां दूसरे विषय हैं ही नहीं । देहात के विद्यालय हैं, दूसरे विषय उसमें हैं नहीं इसलिए अंग्रेजी लेनी ही पड़ेगी । मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा कि जैसे आपने जहां पर विज्ञान नहीं है उसके लिए व्यवस्था की है उसी तरह से बंगला, फारसी और फ्रेन्च तो सम्भव है नहीं आप यह घोषणा कर दें कि जहां लड़के पढ़ने वाले हों वहां पर संस्कृत या उर्दू विषय खोल दिया जाय, मान्यता बाद में जाती रहेगी । अगर इसको दूर न किया तो उत्तर प्रदेश के 40 प्रतिशत विद्यार्थियों को अंग्रेजी लेना अनिवार्य हो जायेगा । अब मैं शिक्षा विभाग की दूसरी बात कहना चाहता हूं सीतापुर जिले में आर० एम० पी० कालेज हैं नियमानुसार पिछले महीने का वेतन इस महीने की 20 तारीख तक मिल जाना चाहिये । 90 फीसदी संस्थायें ऐसी हैं जिसमें 20 तारीख बीत गई लेकिन वेतन अभी तक नहीं मिला है । प्राविधान है कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको दंडित किया जायेगा लेकिन कोई दंडित नहीं किया जा रहा है और गबन हो रहा है चूंकि बिल बनाने वाले को एक रुपया

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

दिया जाता है कि 31 जुलाई तक जो बिल सब्मिट कर देगा उसको एक रुपया दिया जायेगा। बिल 31 जुलाई को तैयार नहीं कर पाते हैं और बैंक डेट में बिल बना रहे हैं और एक रुपया ले रहे हैं इसलिए यह गबन हो रहा है।

अब मान्यवर, विकास की बड़ी चर्चा की गई। इसमें यहां पर व्यवस्था थी कि जिला विकास अधिकरण द्वारा जिलों में योजनायें बनाई जायेंगी। जिला विकास अधिकरण की मीटिंगें मंडलीय मंत्री किया करते थे, वह समाप्त हो गये लेकिन आपने कोई सुधार भेजा नहीं कि अब क्या होगा इसलिए हर जिले में विकास अधिकरण की मीटिंगें नहीं हो रही हैं तो नियोजन क्या बनेगा। आपने चूंकि कोई व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि सीतापुर जिले में एन0आर0 इ0 पी0 स्कीम के अंतर्गत विकास खंडों में कोई बजट नहीं गया है। तो जब एन0 आर0 इ0 पी0 में पैसा सीतापुर में गया नहीं है तो विकास क्या होगा। इसलिए यह इनकी विकास की गति है। मान्यवर, इस बजट में और पिछले अनुपूरक बजट में देखें तो ग्रामीण आवास परिषद् आपने बना दिया है और उसके लिये धन की व्यवस्था पहले और इसमें भी किया है लेकिन इस सत्र में जो विचारणीय विधेयक हैं उसमें ग्रामीण विकास परिषद् का विधेयक है किन्तु न इसकी नियमावली बनी, न अधिनियम बना और न परिषद् का गठन हुआ एवं न अधिकारी बने परन्तु कर्मचारी आ गये हैं जिनको वेतन दे रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 2-3 वर्षों से जो उनको वेतन दे रहे हैं हमसे बजट ले रहे हैं किन्तु उनके द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि क्या काम किया गया है और कर्मचारी वहां क्या कर रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह अनेकों योजनायें हैं जिनको दिखाकर पैसा ले रहे हैं लेकिन काम उसमें नहीं हो रहा है। इसी सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह ने भी कहा है कि पैसा लिया है तो खर्च करना पड़ेगा लेकिन इन बातों को देखें और वित्तीय नियमों को देखें तो क्या यह कार्य उचित हो रहा है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, विकास कार्य में गति आने की आवश्यकता है और उसी विकास के माध्यम से हम इसको एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे सामने आती है वह है बेरोजगारी की। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्यायें हैं लेकिन उन सब में बेरोजगारी की समस्या को हम प्राथमिकता देते हैं और खास कर, रूरल अनइम्प्लायमेंट की समस्या बहुत बड़ी है। शायद इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि देना चाहिये या इसमें उतनी गति नहीं आयी है जितनी कि होनी चाहिये वैसे ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सी स्कीमें हैं। अब मैं रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर 3 तरीके की बेरोजगारी है। एक तो वे लोग हैं जो लोग फिजिकल या मैनअल लेबर कर सकते हैं। उसके पास कोई स्किल नहीं है। वह खेती बारी, जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि पर काम कर सकते हैं। ज्यादातर समय ऐसा रहता है जब उनको रोजगार नहीं मिलता है। लैंड लेस लेबरर और ऐसे ही लोग इसमें आते हैं। दूसरा वह समाज है जो गरीब हैं लेकिन उसमें कुछ लोग पढ़ लिख गये हैं और बेरोजगार हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लाल प्रताप जी, इससे अनुपूरक बजट का कोई सम्बन्ध है ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं आपके सामने जो समस्यायें हैं उनको रख रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोग ज्यादा पढ़–लिख जाते हैं, एक वह सिगमेंट है जिसमें ज्यादातर लोग पढ़े–लिखे होते हैं वह भी बेरोजगार हैं। इस सिलसिले में जो स्कीम चलाई गई है वह एन0 आर0 ई0 पी0, नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट प्रोग्राम है जिसकी तरफ गुप्ता जी ने इशारा किया था। उसमें बहुत से काम आते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं। जैसे सड़क बनाना, टैंक डीपनिंग, स्वायल कंजरवेशन, एफोरेस्टेशन, सोशल फारेस्ट्री चैनल गूल्स आदि बनाने के सारे काम इसमें आते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा ध्यान देने की इस पर आवश्यकता है। लेकिन इसमें माल प्रेक्टिस बहुत होती है, जो लाभ मिलना चाहिये और जो पैसा इसमें दिया जाता है वह उचित रूप से खर्च नहीं होता है। जो नीचे के लोग खर्च करने के लिये जिम्मेदार हैं वह उसको उचित रूप से खर्च नहीं करते हैं और उसका लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत इसलिए है कि जो पैसा दिया जाय वह उचित रूप से खर्च किया जाय। इस पर इकोनामिक डिस्पिलिन ज्यादा रखने की आवश्यकता है। हमारे जिले में भी लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उससे संतोष नहीं है। मुझे उसमें गति नहीं मालूम होती है तो उसमें गति की आवश्यकता है। जो रूरल इंटीग्रेटेड प्लान है वह भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसके मातहत ब्लाक में परिवारों की स्थिति सुधारी जा रही है। एक ब्लाक लगभग 1 लाख की जनसंख्या का होता है। एवरेज लगाया गया है कि 6 व्यक्ति एक परिवार में होते हैं और ब्लाक में लगभग 16 हजार परिवार होते हैं। इसमें से 50 फीसदी परिवार ऐसे होते हैं जो परिवार पावरटी लाइन के नीचे होते हैं। इनको भी फिशरीज, एनीमल हस्बेंडरी इत्यादि के माध्यम से रोजगार दिया जायगा और कुछ लोगों को दूसरे स्किल्स दिये जायेंगे। यहां एक बात और पैदा होती है, हमारे बैंक जो कर्जा देते हैं वहां पर ज्यादातर एप्लीकेशन्स जो जाती हैं वह खारिज कर दी जाती हैं औह बहुत थोड़ी सी मंजूर होती हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। वे समझते हैं कि प्रोजेक्ट वायबिल नहीं था, उचित नहीं था। तो फिर बैंकर्स और इंडस्ट्री विभाग के अफसर हैं वह मिलकर प्रोजेक्ट बनायें और बजाय को लैटरल सिक्योरिटी लेने के सापट लोन लोगों को आसानी से मिले। नतीजा यह होता है कि वह मिल नहीं पाता है और तमाम लोग परेशान रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग कर्जा लेकर अपनी छोटी–छोटी काटेज इंडस्ट्रीज लगायें और अपना रोजगार पैदा करें तो इसमें बैंक्स को पूरी तरह हेल्पफुल होना पड़ेगा और इंडस्ट्री लगाने वालों के साथ पूरा सहयोग प्रोजेक्ट आदि बनाने में देना होगा तभी ऐसा सम्भव हो सकता है इसलिए इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा इसके अभाव में वह उपलब्धि नहीं हो सकती जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

इसके अतिरिक्त एक योजना जो हमारे गांव में चल रही है वह है ट्राईसम योजना। इसमें रूरल यूथ को सेल्फ इम्प्लायमेंट के लिए तैयार करना है। इसके लिए कई ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं, पालीटेक्निक्स हैं आई0 आई0 टी0 हैं, जिनमें इन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि स्किल ट्रेनिंग लेकर यूथ रोजगार खोजे नहीं बल्कि इसकी ऐसी व्यवस्था करें जिससे रोजगार स्वयं जेनरेट हो, इस व्यवस्था पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके अलावा खादी कमीशन और खादी बोर्ड इत्यादि में भी ट्रेनिंग दी जाती है इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो इक्सपर्टाइज हैं और जिनके पास पैसा है व इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि है उन्हें भी फ्री आफ कास्ट ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और इन्हें थ्योराटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता है जिससे यूथ को रोजगार पाने में आसानी हो और इसमें उनमें आत्म-विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा हमने बहुतों के मुंह स्वयं यह कहते सुना है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन बैंक हमारी पूरी तरह मदद नहीं करता है हमें जरूरत है पैसे की 10 हजार की और बैंक देता है 2 हजार रुपया और अगर ज्यादा पैसा बैंक देना भी चाहता है तो कह देता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करो, जो उसके बस की बात नहीं है तो इस स्थिति में यह कोलैटरल सिक्योरिटी को समाप्त किया जाना चाहिये। तभी उपलब्धि हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज गांव के विकास के लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। केवल खेती-बाड़ी से पूरा नहीं हो सकता है। अगर गांवों को मार्डनाइज नहीं किया गया तो हर मायनों में वह पीछे रहेगा और वह प्रगति नहीं हो सकेगी जिसकी कल्पना हमने और आपने की है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरक मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय वित्त मन्त्री जी ने 206 करोड़ रु0 का बजट आज प्रस्तुत कर दिया और माननीय मन्त्री जी सोच रहे होंगे कि कोई तारीफ नहीं कर रहा है। माननीय मोहन सिंह जी ने काफी कण्डेमनेशन वगैरह कर दिया। आपने इसमें 2-3 काम तो अच्छे किये हैं लेकिन उन कामों को कोई अहमियत नहीं दी।

एक तो अन्त्योदय की बात है। अब जो पालिसी हुई है, उसमें आपकी बैंक्स ने यह तय कर लिया है कि हम अन्त्योदय के आधार पर उसी को पैसा देंगे, जिसमें अन्त्योदय का हिस्सा हमारे पास पहले जमा हो जायगा। बैंक्स ने कहा कि अब हम देंगे तब ही जब गवर्नमेंट का शेयर पहले आ जायगा।

बान्डेड लेबर के ऊपर भी आपने किया है। लाखों की तादाद में आपके प्रदेश में जो बान्डेड लेबर हैं, उसमें से कितनों को आजादी दिलाकर रि-हैबिलिटेट कर दिया है, ताकि हमें मालूम हो जाय कि इस दिशा में आप कितना काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में साढ़े पांच लाख बान्डेड लेबर हैं, सेन्ट्रल सर्वे के मुताबिक।

(सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप लोगों के अलावा साढ़े पांच लाख बान्डेड लेबर उत्तर प्रदेश में हैं उनमें से आपने कितनों को मुक्ति दिलायी है, हमें मालूम होना चाहिए।

इसके अलावा आपने रामपुर से हल्द्वानी को ब्राड गेज करने के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए किया है। 1973-74 में इन्दिरा गांधी ने बहुत सी स्कीमों का शिलान्यास किया था, लेकिन वहां पर अभी तक शिलान्यास के पत्थर ही लगे हुए हैं। अब आपने इसमें साढ़े चार करोड़ रुपया हाइडिल वालों को देने के लिए भी मांगा है। उनकी वसूलयाबी का हिसाब देख लीजिए। एक मि0 जिलानी हैं, उनका एक महीने के लाइट और फैन का जो बिल गया है, वह 34,000 रु0 का गया है। कल मैंने वह बिल और उसकी फोटोस्टेट कापी माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेजी। जो एक घन्टे में 34 हजार रु0 वसूल कर ले, उसको क्या जरूरत है पैसे की।

दूसरी तरफ हमारे आर्य जो बहुत दिनों के वनवास के बाद मन्त्रिमण्डल में तशरीफ लाये हैं। 2 करोड़ रु0 आपने उनके लिए भी कर दिया। कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि रोडवेज मुनाफे में चल रही है, कभी यह सुनने में आता है कि घाटे में चल रही है। यह रुपया भी घाटे को पूरा करने के लिए दिया है। जहां तक रोडवेज की बसों का सवाल है, उनके पहिये निकले हुए हैं और वह रास्ते में खड़ी हैं। परसों मैं मुरादाबाद से बिजनौर गया। 11.30 की बस से हम चले थे। बस ने जैसे ही पीली कोठी को पार किया, वह बस जो कि 3 दिन में वर्कशाप से आयी थी और जिसने मात्र 2 कि0 मी0 का रास्ता तय किया था, उसके ब्रेक फेल हो गये। और वह ड्राइवर बेचारा नानस्टाप चला, कहीं रुका नहीं क्योंकि उसे डर था कि यदि रोकेंगे तो पता नहीं आगे चलेगी या नहीं और उसे वह ऐसे ही नगीना तक ले गया। मन्त्री जी, मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि आपकी जो प्राइवेट बसें हैं यू0 पी0 एस0 टी0 सी0 में जो चल रही हैं उसमें आपके कर्मचारियों के शेयर चल रहे हैं। मेरे मुरादाबाद में आगा साहब की 6 बसें ऐसी ही चल रही हैं, रामपुर में भगवान दास की 6 बसें हैं जो उनके थ्रू चल रही हैं सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का ध्यान उनकी तरफ चला गया है, उनके ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं है और फिर पूर्ति करने के लिए यहां ये मिसाल सामने आ जाती हैं।

चार हजार करोड़ रुपये का बजट आपने हमसे पास कराया 31 मार्च से पहले। जरा इम्पार्टेन्ट बातों की ओर नजर डालिये कि अब उसके बाद आपकी स्थिति क्या है। बड़े-बड़े काण्ड जो हुए ला एण्ड आर्डर के लिए तो इन्होंने वायरलेस सेटों का अरेन्जमेन्ट किया। भले ही सिसवां काण्ड की खबर इन वायर सेटों के होने के बावजूद इनके पास डेढ़ महीने तक नहीं आई। आपके धान की खरीददारी का घोटाला 50 करोड़ रुपये का हुआ। फिर उसके बाद प्रधानों का इलेक्शन हुआ था बड़ी कोशिशों के बाद प्रधानों का इलेक्शन हुआ और उसमें 6-6 मर्डर हुए, यह ला एण्ड आर्डर के लिए महानता की बात हुई थी।

आपके फूड एण्ड सिविल सप्लाई विभाग में एक बी0 डी0 ओ0 हैं जिन्होंने अपने बाप के नाम पर ब्रिज बनाया। आप जानते हैं कि गांव में आदमी को अपने मकान की टूट-फूट ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए एक या दो बोरी सीमेन्ट नहीं मिलती है और दूसरी तरफ छजलोट ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 जो हैं उन्होंने 15,000 बोरी सीमेन्ट इकट्ठा कर ली अपने

[श्री रियासत हुसैन--]

बाप के नाम से ब्रिज बनवाने के लिए। 1,000 बोरी का परमिट वे ले ही आये और 500 बोरी सीमेन्ट का परमिट ए0 डी0 एम0 सप्लाई से ले लिया। जनवरी से उनको 15,000 बोरी सीमेन्ट रखी है और उसमें से सीमेन्ट की बोरी निकाल कर ट्रक पर लाद कर ब्लैक कर ली जाती है और उनकी जगह सागौन की बोरी ला कर रख दी जाती है। बोरियों की संख्या पूरी है। अभी 19 तारीख को एक ट्रक सीमेन्ट की बोरी ब्लैक में बिकते हुए फूड डिपार्टमेन्ट ने मौके पर जा कर पकड़ लिया और उसमें तीन आदमियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज की गई। एफ0 आई0 आर0 में एक तो उन्हीं का नाम है और एक उनके भाई साहब का भी नाम है। उसके बाद जब-जब सीमेन्ट का स्टाक चेक किया गया तो स्टाक में सागौन की बोरियां मिलीं। एक महीना हो गया है उसकी जांच के आदेश को दिये हुए परन्तु अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है क्योंकि ए0 डी0 एम0 के जरिये से ही उन्हें सीमेन्ट का परमिट मिला था। अब आप ही देखिये कि कहां एक गरीब आदमी को अपने मकान की मरम्मत के लिए एक बोरी सीमेन्ट नसीब नहीं होती है और दूसरी तरफ आपके सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सीमेन्ट का ब्लैक कर रहे हैं। अभी इस सम्बन्ध में 26 तारीख को एक मीटिंग हुई थी मौके पर जा कर देखा गया, कहीं एक ईंट के लिए जगह खुदी हुई नहीं मिली।

तो मैं यह कह रहा था कि यह जो आपके सरकारी कर्मचारियों के जरिये से घोटाला हो रहा है उसकी वजह क्या है? आपके जितने विभाग हैं चाहे पी0 डब्ल्0 डी0 हो, चाहे हाइडिल विभाग हो इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, पूरे काम में ठेकेदारों से मिल कर काम करते हैं और उसमें पूरा-पूरा शेयर उनका होता है। जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना लिया है। हर काम में ठेकेदारों से मिल कर उनका शेयर है। चाहे इरीगेशन डिपार्टमेन्ट हो, चाहे पी0 डब्ल्यू0 डी0 हो, चाहे आर0 ई0 ओ0 हो, हर विभाग के अन्दर कर्मचारियों को ठेकेदारों के जरिये शेयर जरूर मिलता है तो फिर यह कैसे हो। आपके जंगलात के अन्दर लाखों का घोटाला है। जांच-पड़ताल हो रही है आखिर उसका क्या असर हुआ। घोटाला पर घोटाला चल रहा है। दिक्कत यह है कि सप्लीमेन्टरी बजट के जरिये आप 200 करोड़ रुपये की मांग करते हैं आप 400 करोड़ रुपये की सप्लीमेन्टरी बजट मांग लें लेकिन सप्लीमेन्टरी बजट मांग कर क्या उसकी दारुलशफा के ए0 ब्लाक, बी0 ब्लाक या सी0 ब्लाक की कैन्टिनों को हटा कर सरकार कैंटीन के लिए सामान खरीदने क्राकरी वगैरह के लिए 4 लाख रुपये भी मांग की गई है लेकिन अगर आज सरकारी कैन्टीन से आप चाय मंगाये तो वहां टूटी हुई प्याली में ही चाय आयेगी। आखिर चार माह के अन्दर वह 4 लाख रुपया कहां चला गया। रिजवी साहब पर्दे पर पर्दे लगवाये जा रहे हैं कोई एम0 एल0 ए0 कहे या न कहे घंटी लगायी जा रही है। 100-100 रुपये के ताले हर कमरे में लगा दिए गये हैं और अगर कोई एम0 एल0 ए0 कहे कि दो चार कुर्सी भेजवा दें तो कुर्सियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सप्लीमेन्टरी बजट से जो भी पैसा आप लें उसको वेस्ट न करें। डनलप पर, ताले पर, पर्दे पर इतना पैसा बर्बाद करने की बात न मालूम किसके दिमाग की बात है। एक-एक रुपये का सही तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। एक शेर कह कर मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं ताकि उससे इनको कुछ सबक मिल सके। पहले श्री बी0 पी0 सिंह जी की सरकार थी, उनके मंत्री को तो हमने देख लिया, वे अपने भाई को ही गांवा बैठे और अब आप लोगों

की बारी है। "जुए रवा की कहता समन्दर, लेकिन यह नादानी है, लहरें खुद बतलायेंगी किसमें कितना पानी है।"

जो भी ग्रांट मांगी जाय वह सही तरीके से खर्च किया जाय। इसको बर्बाद मत कीजिये क्यों कि बड़ी मुश्किल से टैक्सेशन का पैसा मिलता है।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये जो अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ी हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीया सदस्य, समय का भी ध्यान रखें क्योंकि इसे 4 बजे समाप्त होना है।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को आभारी हूं कि उन्होंने सफेद मिट्टी के सामान तथा सजावट के लिये चीनी मिट्टी का सामान बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये बजट में 70 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। उसके लिये सरकार को दिल से धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि हमारे बस्ती जिले में मेरे क्षेत्र के अन्दर यू0 पी0 पाटरीज जो इस समय बन्द पड़ी है। उस पाटरीज को चलने के लिये सरकार को ताकत के साथ संचालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि उस पाटरीज के लिए बजट के पैसे का इस्तेमाल करें। इसके लिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि उधर के कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिये, उनकी मुखमरी को मिटाने के लिये बहुत मदद होगी।

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

दूसरे, यहां के लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये अपने विद्युत खर्च पहले जो 9 पैसा रखा था वह आपने 15 पैसे तक बढ़ाया है बिजली की सुविधा देने के लिये। यह जरूर सराहनीय है कि इससे लघु उद्योग आगे बढ़ जायेगा और उसमें राहत मिलेगी लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि मेरे क्षेत्र मे एक प्लास्टिक काम्प्लेक्स है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में बहुत सी छोटी-छोटी फैक्ट्रियां खुली हैं लेकिन उसमें से एक भी अभी चलने लायक नहीं है क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति है नहीं। बिजली का कनेक्शन देने के लिये आप तैयार हो जायेंगे तो वह छोटी-छोटी फैक्टरी आपके इस नये प्लान में आगे बढ़ जायेंगी और प्लास्टिक उद्योग के छोटे-छोटे इंजीनियर, मैनेजर और वहां के कर्मचारी आगे बढ़ जायेंगे। तीसरे, मैं सरकार की आभारी होंगी अगर यह सरकार अखबारी कागज का कारखाना लगायें हमारे बस्ती और खासकर हमारे क्षेत्र में ही। हमारे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें हैं जैसे कर्नाटक राज्य में भदरावती के अखबारी कागज के कारखाने की व्यवस्था की है। मैं सरकार से कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में यह कागज की फैक्टरी खोलें ताकि वहां की खुइया का इस्तेमाल हो सके। इससे वहां के पिछड़े इलाके में लोगों को काम भी मिलेगा। यह बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां लोग बिना काम के बैठे हैं, उनको काम भी मिलेगा और कागज की फैक्टरी वहां सस्ते में आप चला सकते हैं। जिला

[कुमारी अलमेलु अम्माल--]

आयोजना के अन्तर्गत आप उसको चला भी सकते हैं । उसमें आप हमारे लिये कुछ पैसा अलग रख सकते हैं । हमीरपुर में आपने एक नई योजना चलाई है और वहां एक मेसर्स समरपुर उद्योग चर्म शोधन उत्पादन सहकारी समिति स्थापित की है । उसके लिये आपने 1 लाख 55 हजार रुपया की अनुपूरक मांग रखा है । मैं उसका भी समर्थन करूंगी । उसमें काम करने वाले गरीब कर्मचारियों को बहुत ही लाभ होगा लेकिन इसी तरह की एक कोआपरेटिव आप बस्ती जिले में भी बना दें खासकर बस्ती सदर क्षेत्र में, तो वहां के कारीगरों को इससे राहत मिलेगी जिले में पशुओं की अधिकता का तथा जिले के पिछड़ेपन का देखते हुए चमड़े की सहकारी समिति की स्थापना हमारे क्षेत्र में भी करें । इसके अलावा आपने मॉडल चार्की काट पालन योजना भी शुरू किया है और उसके लिये आपने 5 लाख 18 हजार रुपया रखा है और उसमें आपने हमारे जिले बस्ती को भी लिया है जिसके लिये मैं आपकी आभारी हूं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, यह अनुपूरक अनुदानों पर नहीं बोल रही हैं . . .

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल--

इसके साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करूंगी कि शहतूत उद्यान का जो प्रोग्राम है उसको आप बस्ती जिले के लिये भी कर दें तो अच्छा होगा । इसके साथ ही मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करती हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । अतिरिक्त अनुदान 1982-83 के पृष्ठ 183 पर दिया हुआ है कि कम्पोनेन्ट प्लान के लिए सवा तीन करोड़ की मांग की गयी है । यह अतिरिक्त मांग है, मान्यवर । केन्द्र सरकार ने 25 करोड़ के बजाय 28 करोड़ रुपया दे दिया इसलिए इन सवा तीन करोड़ को आपको भी देना है । मुझे अफसोस है कि कम्पोनेन्ट प्लान इतना असफल सिद्ध हुआ है क्योंकि इससे अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है । मैं एक बात बता दूं कि मैं एक विकास खंड गया हुआ था, वहां पर मैंने देखा कि जो दरख्वास्त है, ऋण के लिए वह 8-9 पेज की है । इसको भरने के लिए अगर पढ़े-लिखे वकील के लिए भी कह दिया जाये तो वह भी नहीं भर सकता है और वह दरख्वास्त बिना पढ़े-लिखे लोगों से भरवाई जाती है । बैंक से सर्टीफिकेट लिए अलग से बना हुआ है, उसे मैं लाया नहीं हूं । मैं इसे माननीय मन्त्री जी को पेश कर सकता हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें सरलीकरण किया जाये, जिससे इसको भरने में आसानी हो और साधारण लोग इसको भर सकें । ऋण वसूल भी करना है इसलिए तमाम औपचारिकतायें भी करनी हैं । मैं सरकार को बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूं कि संबलपुर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां पर 4 लाख रुपया कम्पोनेन्ट प्लान से ले लिया गया और उसके जो पात्र हैं वह सब फर्जी हैं। जो गारन्टर हैं वह फर्जी हैं। इन्तखाब लेकर उसको उसमें लगाया गया है। आफीसर्स ने उसको बांटा है। ऋण लेने वाला फर्जी है। अधिकारी 2-3 साल में चले जायेंगे। तो वहां पर वही हाल होगा जो कोआपरेटिव सोसाइटीज में हो रहा है। इसलिए मैं एतराज करता हूं कि सवा तीन करोड़ रुपये अतिरिक्त अनुदान न दिया जाये जब एक सरकार यह स्पष्ट रूप से निश्चित न कर ले कि वह सारा रुपया अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से इसके पृष्ठ 183 पर एक योजनापूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 9-10 में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने की है। इस सम्बन्ध में मेरा इतराज यह है कि इन संस्थाओं में लड़कों को पढ़ाया नहीं जाता है। मास्टर लोग पैसा ले जाते हैं। उनके पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, कहां पर वह पढ़ायेंगे, यह नहीं मालूम हो पाता है किसको पढ़ायेंगे। सरकार ने पी0 सी0 एस0 की प्रतियोगिता परीक्षा में आने के लिए एक अनुसूचित जाति के लड़कों को पढ़ाने के लिए केन्द्र खोल रखा है और उस पर 3 साल में लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा परन्तु 3 साल में एक भी लड़का लिखित परीक्षा में भी नहीं आया, उसके चुने जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है कोई भी लड़का आज तक क्वालीफाई नहीं कर सका। सरकार कहती है कि हम इसको चलायेंगे। अगर नहीं चला सकती है तो पिछले दिनों में जायें जब कि स्वेच्छिक तौर से लड़के क्वालीफाई करते थे। कम से कम 5-6 लड़के लिखित परीक्षा में क्वालीफाई करते थे और उनमें से कम से कम दो लड़के तो चुन ही लिए जाते थे लेकिन तीन साल से कोई भी लड़का नहीं चुना जा रहा है। आप इसको सरकारी अंकुश से निकाल कर स्वेच्छिक संस्था के रूप में चलने दें, तो लड़के ज्यादा आवेंगे और ज्यादा लड़के आयेंगे तो सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से लड़कों की कोचिंग का दुरुपयोग भी आप कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिये इसको आप बन्द कर दें। इसमें कुछ रुपया विद्यार्थियों की तरक्की के लिये मांगा गया है। मैं 1981-82 का हवाला दे दूं। रुपया तो सरकार मांग लेती है और उसका इन्तजाम करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा लेती है और वह अनिवार्य हो जाता है। चूंकि अच्छा काम है इसलिये हर आदमी टैक्स दे देता है और उसको स्वीकृति भी हो जाती है। इस तरह से मूल्यों का सारा ढांचा ही चरमरा जाता है और मूल्य अस्थिर हो जाते हैं। यह हमारा सामाजिक नुकसान है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो रुपया आप ज्यादा मांग लेते हैं उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का 1981-82 का बजट दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर 20 हजार रुपया समर्पित किया गया है और मान्यवर, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में छात्र वृत्ति तथा छात्र वेतन पर 74 लाख 51 हजार समर्पित किया गया है। दशमोत्तर कक्षाओं में प्रथम बार में अनुत्तीर्ण छात्रों के ऊपर 16 लाख रुपये समर्पित किये गये हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स लगा दिया गया किन्तु रुपया एलाट नहीं किया गया। इसी तरह से चिकित्सा में यन्त्रों की आवश्यकता पड़ती है

[श्री राम स्वरूप वर्मा---]

औद्योगिक संस्थानों में इसी तरह से जरूरत पड़ती है उसमें भी 21 लाख 47 हजार रुपये समर्पित किये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सतर्क नहीं है। यह अनुपूरक बजट ले आये या कर्जा कर ले। क्योंकि जो पैसा इसको आलरेडी मिला हुआ है उसका सदुपयोग सरकार नहीं करती है। निरर्थक योजनायें चलाकर इन लोगों के साथ अन्याय करती है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और इस आदरणीय सदन से माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि वे इसको पास न होने दें ताकि सरकार सही तरीके से खर्च करे।

श्री दामोदर शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया है।

श्री अधिष्ठाता---

आप केवल 5 मिनट का ही समय लें।

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, अनुपूरक मांगों में जो 206 करोड़ रुपये का प्राविधान वित्त मन्त्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मोहन सिंह जी ने जोरदार शब्दों में वित्तीय अनुशासन की बात कही। मैं उनको एक जीता-जागता उदाहरण मेरठ में चौधरी साहब की कांस्टीटुयेन्सी बागपत के बारे में देना चाहता हूं। हमारे जिले में केवल उनके ही ब्लाक में एकीकृत योजना चलाई गई है बाकी ब्लाकों में यह योजना नहीं चलाई गई है। यह उस जमाने का वित्तीय अनुशासन था जिसमें माननीय मोहन सिंह जी भी मन्त्री थे। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय विमल तिवारी ने कहा है कि जो प्लान में विकेन्द्रित योजना है उसमें जिला योजना चाहे वह नाला बनाने की स्कीम हो, चाहे कोई प्रयोगशाला बनाने की स्कीम हो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि जो प्लान जिला योजना में चालू किये गये हैं और जितना पैसा उन योजनाओं को चलाने के लिए उनको दिया गया था, उससे कोई भी योजना पूरी नहीं हुई। मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस अनुपूरक बजट से जो जिला योजना चलाई है चाहें वह नाला बनाने की योजना हो, स्कूल बनाने की योजना हो या शौचालय बनाने की योजना हो यह एक अच्छा प्राविधान है कि अगर इस अनुपूरक अनुदान में वह योजना जो जिलास्तर पर लागू की गई है पूर्ण हो जांय।

हमारे पश्चिमी जिलों में गन्ने का बहुत पैसा मिलों पर किसानों का बकाया पड़ा हुआ है जिसका भुगतान रोके हुए हैं। इस गन्ने का जितना पैसा किसानों का बकाया है उसका भुगतान कराया जाय।

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने डकैती क्षेत्र के बारे में कहा और आई० जी० श्री दीक्षित का बयान दिया। मान्यवर, 54 वायरलैस सैट पुलिस वालों को दिये गये हैं तो गुप्ता जी के द्वारा इस तरह की बात कहना कि उसके लिये कोई पैसा नहीं दिया गया कितनी गलत बात है। उन्होंने कहा कि नये उपकरण खरीदने से लिए पैसा नहीं दिया गया वह भाषण देकर चले गये। पुलिस वालों को नये उपकरण खरीदने के लिये पैसा दिया गया।

माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात कही। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी यह योजना चला कर। कोआपरेटिव सोसायटीज को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का पैसा मिल रहा है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यह जो तीन करोड़ रुपये की योजना चलाई गयी है जिसमें भैंसे और बुग्गी खरीदने से लिए पैसा उनको दिया जाता है। इसमें अच्छा काम हो रहा है उन्होंने कहा कि इसमें झूठे सिगनेचर कराये जा रहे हैं हो सकता है एक आध जगह ऐसा हो रहा हो मगर ज्यादातर स्थानों पर अच्छा काम हो रहा है। मेरठ जिला वह जिला है जिसमें हरिजन सबसे ज्यादा पीड़ित हैं लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि झूठे सिगनेचर कराकर पैसा लिया गया हो। यह हो सकता है कि भैंसे खरीदने में बी0 डी0 ओ0 या ए0 डी0 ओ0 सौ डेढ़ सौ रुपया ले लेते हो। इसी तरह से मकान बनाने के लिये भी यह हो सकता है कि बी0 डी0 ओ0 लेबल पर अब्बल ईंट के बदले दोयम ईंट लगा दिये हों लेकिन मकान बन रहे हैं। सीमेंट में ए0 सी0 सी0 न लगा कर रद्दी सीमेंट लगा दिया हो मगर हरिजनों को रुपया बट रहा है। मैंने खुद मेडिकल कालेज के पास मि0 गुप्ता की जमीन एक्वायर कराकर उनको दी। मगर वह लोग छोड़ कर दिल्ली चले गये। बैंक वालों ने पैसा दिया और वह उनको अब ढूंढ रहे हैं वह जमीन बेच कर चले गये।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने इसमें यूनिसेफ और एन0 आर0 सी0 की जितनी स्कीमें हैं जो जिलों को गई हैं उसके लिए प्राविधान किया गया है। हमारे यहां इसमें कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है और अगर वह पहुंच गई हैं तो वह लैप्स होकर आ जायगी और जहां मांगी गई हैं, उनमें ग्रान्ट अभी नहीं पहुंची है। तो जो ग्रान्ट्स दूसरे विभागों में चली गई हैं, उनसे सड़क निर्माण जैसे अच्छे कामों में मन्त्री जी यूटीलाईज करने की कृपा करें और बजट से किये गये अधूरे काम आवश्यक रूप से पूरे किये जायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

*श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो अनुपूरक विधेयक रखा है, इस मांग के सम्बन्ध में मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि वह बड़े विज्ञ आदमी हैं और जब वह अपोजीशन में बैठते थे तो वह विधान परिषद् में इस बात की बराबर शिकायत किया करते थे कि वित्तीय अनुशासन नहीं है वित्तीय मामले में। उन्होंने बजट तो सही समय पर पेश किया है, लेकिन यह राजनैतिक अनुशासन अपनी पार्टी पर और अपने दल के नेताओं पर लागू नहीं कर पाये हैं और यदि वह इसे नहीं कर पायेंगे तो अभी आने वाले दिनों में कई बार उनको सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लेनी पड़ेगी। क्योंकि अभी 2 अरब 6 करोड़ का मामला है, लेकिन ब्रह्म दत्त जी नियोजन मन्त्री भी हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 5-6 करोड़ रुपया जो आपने बिजली बोर्ड के लिए मांगा है, अभी आने वाले दिनों में उससे कहीं अधिक धनराशि आपको उस बोर्ड के लिए मांगनी पड़ेगी। क्योंकि उसका 120 करोड़ रुपया आज बकाया है, वह आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं और आगे वसूल भी नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ जो योजनाय आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रेवती रमण सिंह—]

1982 में चालू हो जानी चाहिये थी जैसे टांडा, आनपारा और परीक्षा की परियोजनायें, वह दो साल के लिये पिछड़ गई है। उनमें अरबों-खरबों रुपया लगा हुआ है, इनमें एस्क्लेशन आफ प्राईजेज की वजह से एक-एक योजना में आपको करोड़ों रुपया और लगाना पड़ेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि यदि आप इस परम्परा को बन्द करना चाहते हैं तो आप इसको रोकने के लिए पहले समय पर न पूरी होने वाली योजनाओं के बारे में गम्भीरता से सोचिये। यह लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्हीं की वजह से यह भार जनसाधारण पर पड़ रहा है।

अभी माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में कहा था। अभी दो साल पहले इस सदन से अनुदान लेने के बाद 500 या 1000 बसें इस निगम के द्वारा खरीदी गई थीं, लेकिन आज वह इस स्थिति में हो गई हैं कि वह सड़कों पर चल नहीं पा रही हैं। आज इस रोडवेज निगम की 40 परसेंट बसें आउट आफ रोड हैं। इसलिए आप इनको अभी और रुपया देंगे, लेकिन उनमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। जहां प्राईवेट बसें चल रही हैं, वहां रोडवेज की सरकारी बसें बिल्कुल फेल हैं। क्योंकि कितने मील तक चलकर इनकी बसें बन्द होंगी इसकी कोई गारेन्टी नहीं है। परिवहन मंत्री केवल पैसा ही लगाकर इस निगम में कोई सुधार नहीं कर सकेंगे।

(व्यवधान)

आपकी वर्कशाप में सब नकली पुर्जे रखे जाते हैं, एक विशस सर्किल बना हुआ है, जिससे एक बस एक दिन बनती है और दूसरे दिन वह खराब हो जाती है। राजनैतिक दृष्टि से जो बात मोहन सिंह जी ने कही मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। जो काटन मिल्स खोली गई, 2 इलाहाबाद में खोली गई। एक में 25 लाख लगा है यह पत्थर तोड़ने के लिए लगी है, जबकि अच्छी जमीन वहां पर उपलब्ध थी और एक समतल भूमि पर यह मिल लग सकती थी। दो साल हुए वहां पर पत्थर टूटा ही नहीं। अभी वहां पर पत्थर टूटना नहीं चालू हुआ है। वहां पर पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये मिलें ऐसे इलाके में खोली जाती हैं। दूसरी एक मंत्री ने अपने इलाके में खुलवायी हैं। वहां पर जल भराव की समस्या है। मिट्टी डालकर जमीन को समतल किया जा रहा है। अभी उस मिल की फाउन्डेशन भी शुरू नहीं हो पायी है। अमेठी में और बांदा में विकास प्राधिकरण बना है। दूसरे जिले बहुत से हैं जहां पर विकास प्राधिकरण होना चाहिए लेकिन बांदा चूंकि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री का निर्वाचन का जिला है और अमेठी एक विशिष्ट संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए जितनी भी योजनायें हैं वे वहां तक के लिए सीमित हो जायेंगी। केवल रायबरेली और अमेठी तक प्रदेश यों ही घूमता रहेगा।

इसी तरह से आप देख आपने कानपुर और लखनऊ के पार्कों के लिए अनुदान मांगा है और उनके रख रखाव के लिए। देखभाल करना अच्छी बात है पार्क भी होने चाहिए, उनका रख-रखाव भी होना चाहिए लेकिन आप पुराने लखनऊ में जाकर देखें कि वहां पर सड़कों की क्या हालत है। न वहां पर शौचालय हैं, न झाड़ू लगती है, जगह-जगह पर कूड़ा पड़ा रहता है। पार्क बनाइये, उनका रख रखाव भी कीजिए। कानपुर के लिए भी लाख रुपया मांगा गया है, उनकी आप अवश्य मदद कीजिए।

जहां तक डेयरीज का प्रश्न है, कानपुर की डेयरी तो बन्द पड़ी है और लखनऊ की डेयरी भी बन्द होने वाली है। इसमें केवल 4 हजार लीटर दूध आ पाता है। इन दोनों डेयरीज की हालत आज क्या है। ऐसी ही स्थिति आज पूरे प्रदेश की होती जा रही है। जो काम सड़कों पर लगाया गया था वह बन्द हो गया है, उन पर काम नहीं हो रहा है, राजनैतिक दबाव से दूसरी जगह सड़कें बनने लगी हैं। आज पूरे प्रदेश में आप नियोजन के आंकलन इकट्ठे करें तो पायेंगे कि 1960, 1965 की सड़कें पूरी नहीं बन पायी है। और आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ जायेगी और मजबूरन केन्द्रीय सरकार से ओवर ड्राफ्ट मांगना पड़ेगा, अगर आप वित्तीय नियंत्रण नहीं कर पायेंगे। यह स्थिति इतनी भयावह हो जायेगी कि जिस पर नियंत्रण नहीं हो पायेगा।

मैं माननीय ब्रह्म दत्त जी से यह चाहूंगा कि वे जरा देखें। वे बिजली विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं। आज बिजली का केवल 32 प्रतिशत जनरेशन हो रहा है। करोड़ों रुपयों का नुकसान प्रति दिन हो रहा है। अगर आपको शक्तिनगर की बिजली न मिली होती तो बिजली की हालत बदतर हो जाती। आज लखनऊ को छोड़कर कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर कटौती न हो रही हो और किसी भी गांव को 10 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये ऐसी बातें यहां न कहें जिसको न कर सकें। राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करें और जैसा वायदा किया है इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने की कोशिश करें।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारी जनप्रिय सरकार ने अनुपूरक बजट की आवश्यकता समझ कर जो मांगें आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, वह इसका एक सराहनीय कार्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के लिये सरकार ने जो कार्यक्रम बनाये हैं, जो स्कीमें चलायी हैं उनमें विरोधी दलों को सहयोग देना चाहिये था। मैंने पहले भी कहा था, यहां तो अगर हम (सत्ता पक्ष वाले) कहेंगे हां, तो विरोधी पक्ष वाले कहेंगे "ना" यह नीति विरोध पक्ष से लोगों का रहती है। अगर कहीं किसी ने छेड़खानी कर दी तो आपको तुरन्त बलात्कार दिखायी देने लगता है। इससे प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश की गरीबी मिटाने के लिये इस सरकार ने बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बनायी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसमें सरकार का सहयोग दें। केवल विरोध करने से और काम में अड़चनें डालने से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है।

इस सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये 149 करोड़ रुपया खर्च किया है, जब कि पूरे प्रदेश के लिये साढ़े 12 अरब रुपयों का इन्तजाम किया है। आप केवल लेना जानते हैं देना नहीं जानते। आपने कभी यह नहीं सोचा कि विकास के लिये पैसों की भी जरूरत होती है।

(व्यवधान)

अगर आपके पास दिलो दिमाग हो तो आपको प्रगति दिखायी दे। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये काफी कुछ किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब कृपया समाप्त करें । कृपया बैठें ।

श्री हरदेव—

इस वर्तमान सरकार ने जो काम किया है उसके लिये सरकार की सराहना की जानी चाहिये । पूरे प्रदेश में कम से कम 12 बड़े उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं । रसड़ा में भी एक सूती मिल स्थापित होगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें ।

श्री हरदेव—

हरिजन और दलितों के उत्थान के लिये, उनके बच्चों की शादी आदि के लिये भी एक हजार से 5 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अब समाप्त करें, बैठिये ।

श्री हरदेव—

आप कृपया सरकार के कामों में सहयोग करें, जहां कोई कमी दिखलायी दे उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा कर बैठिये ।

श्री हरदेव—

मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप सच्चाई और ईमानदारी से हमारी जनप्रिय सरकार का सहयोग करें । इसके साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, यह हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हमारे उस विद्यार्थी की तरह से हो गये हैं कि जब विद्यार्थी छुट्टी में घर आता है, तब कुछ न कुछ पैसा मांगने लगता है, चाहे उसको लगातार फीस दी जा रही है, खर्च दिया रहा है, उसी तरह से हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं. इनमें से पृष्ठ 7 से 78 तक जो मांगें हैं, इनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ सरोजनी नायडू मार्ग, नव-निर्मित अनैक्सी के अधिकारियों के कक्षों में यूनिक करटेन रैल की व्यवस्था के लिए 39 हजार रु0 मांगा गया । अब कौन सी ऐसी बात है कि इस गरीब देश के अन्दर 39 हजार रुपया आपको चाहिये और अनुपूरक मांगों में चाहिए, पहले से आपको पता नहीं था कि आप यह खर्च करेंगे । उसके अलावा जितने आपके

दूसरे खर्चे हैं, पृष्ठ 78 पर वर्ष 1981 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था यह है 49 लाख रुपया। मैं इस मांग को देने में कोई एतराज न करता, अगर यह 1981 का नुकसान न होता।

मेरा निवेदन यह है कि 1981 के वर्ष में हुए नुकसान को अगर आप 1982–83 के अनुपूरक अनुदान में मांग लाते हैं, तो यह बहुत बुरी बात है। 1981 में आपका नुकसान हुआ, 1982 में बजट पेश हुआ, उस समय आपने क्यों नहीं तखमीना लगा कर धन ले लिया ? क्योंकि यह प्रशासन लगातार सोया हुआ रहता है। यह माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, बड़ी बेशर्मी के साथ यह समाजवादी सरकार अर्द्ध–कुम्भ, गढ़वाल और करछना से बची हुई रही–सही सरकार सीधे–सीधे यूरोपियन आर्थिक समुदाय की गोद में जा बैठी है। मैं पृष्ठ 90 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि––वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को चार योजनाएं प्रस्तुत की गयी थीं, जिनमें एक योजना साउथ आफ भगीरथी की है, जिस पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय से लगभग 3 करोड़ 57 लाख रुपया सैद्धांतिक रूप से सहायता स्वीकार कर ली गयी है। आगे कहते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो योजना प्रेषित की गयी थी, उसके अनुसार अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपया है। यह मात्र फारमेल्टी बजट को हाउस में रखने की रह गयी है। इनका सारा काम यूरोपियन समुदाय में जाता है। टेहरी डेम के अन्दर 10 हजार कुल लोग काम करते हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत बंधुआ मजदूर हैं। अब ये माननीय मंत्री जी तलाश कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूर कहां पर हैं। बंधुआ मजदूर टेहरी डैम में हैं, बंधुआ मजदूर उड़ीसा से आता है, छोटा नागपुर से आता है, पूर्वी यू0 पी0 से आता है। बंधुआ मजदूर अगर टेहरी डैम से भाग जाय, तो उनके गांव में उनके मां बाप की झोपड़ी जला दी जायगी। साढ़े 3 सौ मजदूर केवल थापर कम्पनी ने निकाल दिया, उन्हें डैम से निष्कासित कर दिया। उनके स्थान पर कुल मजदूर बाहर से लगाया गया उनकी जगह दूसरे लेबर लगाये गये। टिहरी में चर्चा है कि माननीय श्रम मंत्री ने 5 लाख रुपया ले रखा है। साढ़े तीन सौ मजदूरों को निकाल दिया गया मैंने कई बार यहां पर प्रश्न भी उठाया लेबर मंत्री जी से भी कई बार कहा लेकिन आज तक एक भी लेबर को वापस नहीं लिया गया क्योंकि वह थापर था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हल्द्वानी में विन्दुखेड़ा में बिड़ला के द्वारा कागज की एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिसको 5 सौ एकड़ भूमि वन विहीन करके दी जायेगी। मैं वहां के मैनेजर से मिला ! मैंने पूछा कि लेबरों के क्वार्टर किस प्रकार के बनेंगे और कितनी मंजिल के बनेंगे तथा कहां बनेंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी सूचना मुझे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं 5 सौ एकड़ भूमि बनों को काटकर उनको दी जा रही है क्या फैक्ट्री यह दूसरी जगह जहां ऊसर बंजर हो वहां नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन इस सरकार के काम अराजकता और अव्यवस्था के हैं। मेरा ख्याल है जब–जब हाउस बैठेगा, बार–बार अनुपूरक बजट आता रहेगा। सन् 1982 में टिहरी में जो स्कीमें पास हुई थीं उन सब पर काम बन्द कर दिया गया चाहे वह सड़कों का मामला हो, अस्पताल के निर्माण का हो, इन्टर या हाई स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण का हो, सब काम बन्द कर दिये गये।

नये पर्वतीय विकास मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है सब काम रोक दिया गया है। बजट पास कराते वक्त कहा गया कि इतन

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

काम पूरा कर दिया जायेगा, वह पैसा कहां चला गया, कहां खर्च हुआ शायद गढ़वाल इलेक्शन में। यदि गढ़वाल चुनाव में खर्च हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिये। श्रीमन्, गढ़वाल मंडल निगम करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है। यह गढ़वाल मंडल निगम ऐसा है, जिसमें तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री जी ने अपने लोगों को इसलिये भर दिया था, ताकि वह खुलकर गढ़वाल चुनाव में काम कर सकें। गढ़वाल चुनाव तो हार गये अब बंगला मंत्री बन कर बैठ गये हैं। करोड़ों रुपये का घाटा गढ़वाल मंडल निगम प्रतिवर्ष उठा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पृष्ट 77–78 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उचन्त शब्द लिखा है। यह बहुत ही भयानक शब्द है। इसका न कोई हिसाब है, न कोई समझ सकता है। यह अलग से इसलिए दिया जाता है ताकि सारी चीजों को छुपाकर इसके अन्दर रखा जा सके, और इसको उचन्त कहा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी अपनी आदत छोड़ दें और इस शब्द का इस्तेमाल न करें। श्रीमन्, हमारे राज्य में नये मुख्य मंत्री बने हैं, आज एक दिन की बहस अनुपूरक मांगों पर हो रही है मुझे विश्वास था कि वह हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे बीच में रहेंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं। धन्यवाद।

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अपने विचार प्रकट किये और इस सिलसिले में प्रदेश की वित्तीय स्थिति और आवयश्कता की ओर ध्यान दिलाया है। बहुत संक्षेप में मैं इन अनुपूरक अनुदानों का विश्लेषण करूंगा। ताकि जो शंका है वह दूर हो सके। विश्लेषण का एक तरीका हो सकता है। प्लान और नानप्लान, आयोजनेत्तर और आयोजनागत।

हमारे राजस्व लेखे के जो अनुदान हैं उनमें से 32 करोड़ 81 लाख रुपया केवल आयोजनेतर है और 84.99 करोड़ आयोजनागत है। पूंजी लेखे में 6.24 करोड़ आयोजनेतर और 81.95 करोड़ आयोजनागत है। इससे स्पष्ट है कि जो कुछ यहां अनुपूरक अनुदान द्वारा मांग रहे हैं वह आयोजनागत व्यय के लिए है। कुल मांग 205 करोड़ 99 लाख रु0 की है। जिसमें पिछले वर्ष राज्य आकस्मिकता निधि से 96 करोड़ 10 लाख रुपया लिया गया था और इस वर्ष 109 करोड़ 89 लाख रुपये मांग रहे हैं। इसमें से 104.51 करोड़ रुपया भारत सरकार और दूसरे अभिकरणों से प्राप्त हुआ है और उसका समायोजन हमने किया है। हमारे प्रदेश की व्यवस्था के बारे में 5.38 करोड़ रुपया है। एक शंका उठायी गयी कि पिछली बार जो धन कंटेजेन्सी फंड से लिया गया वह उचित नहीं था। व्यवस्था तो संवैधानिक है जिसमें मोटी-मोटी बातें मैं बताना चाहता हूं। हमने सहकारी गन्ना समितियों को 3.50 करोड़ रुपया दिया, सिंचाई विभाग की बहुउद्देशीय योजना के लिए 4 करोड़ रुपये दिया और इस प्रदेश में 7 नई सहकारी कताई मिलों के लिए 22.93 करोड़ रुपया दिया, विद्युत् परिषद् को 4.35 करोड़ रु0 दिया, सहकारी चिनी मिलों आजमगढ़ और अलीगढ़ जनपद के कर्मचारियों के पुनर्वासन हेतु 3.62 करोड़ रुपया दिया। गांवों की जलपूर्ति के लिए 5.18 करोड़ रु0 दिया। बुन्देलखंड और रुहेलखंड के विश्वविद्यालयों को इस लायक बनाने के लिए कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पैसा प्राप्त कर सकें अतः उनके उन्नयन के लिए 4.80 करोड़ रुपया दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण के लिए 3.57 करोड़ रु0 दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति के

छात्रों को जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं उनको छात्रवृत्तिके लिए 3.84 करोड़ रु0 दिया। कमान्ड एरिया विकास को 3 करोड़ रु0 दिया। इनम से एक चीज ऐसी नहीं है अनुत्पादक हो और जो कल्याणकारी न हो। इसके अलावा सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत निगम से प्राप्त 16.48 करोड़ रु0 राज्य संचित निधि में जमा किया हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं सदन में देना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग ने बहुत कुछ करने की कोशिश किया है और जो सेवा निवृत्त होते हैं लेकिन उनके पास मकान नहीं होते हैं, जिनके सम्बन्ध में पिछली बार घोषणा किया था कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सेवा निवृत्त होंगे जिनके पास अपना घर नहीं होगा, उनको मकान देंगे तो इसके लिये 2 करोड़ रुपये का प्राविधान इस अनुपूरक अनुदान द्वारा किया है। उसकी पूरी योजना हम सामने रखेंगे लेकिन मोटे तौर पर 31 मार्च, 1982 को जो रिटायर हुए हैं और अब जो होंगे उनको मकान की व्यवस्था इस वर्ष हम करना चाहते हैं।

हमने हिन्दी के विकास के लिये 10 करोड़ रुपया, छात्रों के कल्याण के लिये 5 करोड़ और बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों की मरम्मत हेतु 2·10 करोड़ रुपये रखा है। आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय की स्थापना हेतु 9·10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। निराश्रित विधवाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये 2 लाख रु0 की व्यवस्था किया है। परिवहन निगम को आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु 2 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। उर्वरक वितरण हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ को 3·50 करोड़ रु0 का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी तरह परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1100 अतिरिक्त उप केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने जा रहे हैं और पेयजल योजना के लिये 10·56 करोड़ की इसमें व्यवस्था प्रस्तावित है। जो नई मांगें मांगी जा रही हैं उसमें अधिकांश ध्यान रखा गया है कि वह उत्पादक मांगें हों।

मान्यवर, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने जैसे माननीय मोहन सिंह ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय अनुशासन समाप्त होता जा रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि किस आधार पर यह कहा है। 2-3 आधार हो सकते हैं उसमें एक आधार यह है कि ओवरड्राफ्ट सेन्टर से लेते हैं उसको देखा जाता है।

मान्यवर, आम तौर पर ओवरड्राफ्ट की चर्चा नहीं की जाती। परसों के एकोनामिक टाइम्स में सब ओवर ड्राफ्ट के बारे में दिया। हमारे प्रदेश का 12 करोड़ 84 लाख का ओवर ड्राफ्ट था जो केवल त्रिपुरा राज्य से ज्यादा है। त्रिपुरा और हमारे राज्य में बड़ा फर्क है। हमारे कम्युनिस्ट साथी चले गये हैं। एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट से उनका एनुअल प्लान 758 करोड़ से 490 करोड़ रह गया। पिछले वर्ष 638 करोड़ की जगह 490 करोड़ है। जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है 1980-81 में 934 करोड़ का प्लान था 978 करोड़ रुपया व्यय हुआ। इसी प्रकार 1981-82 में 1075 का था जिसके अगेन्स्ट 1085 करोड़ का हमने इसमें व्यय किया है। तो दो, तीन मापदंड होते हैं वित्तीय अनुशासन कायम करने के। एक दूसरी बात यह देखी जाती कि हम समय पर बजट प्रस्तुत करें और समय पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी करें। पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी वित्तीय स्वीकृतियां समय पर जारी की गयी। यह बात भी कही गयी कि पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी की संस्तुतियों पर विचार करना चाहिये। तो वह हम करते हैं और बहुत सम्मान के साथ विचार करते हैं। इससे मैं सहमत हूं। बहुत से माननीय

[श्री ब्रह्म दत्त--]

सदस्यों ने कहा कि कास्ट एक्सक्लेशन और टाइम एक्सक्लेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिये क्योंकि जब योजना पर ज्यादा समय लग जाता है तो कास्ट बढ़ जाती है और बेनीफिट लास भी बहुत ज्यादा होता है। विधान सभा में, सदन के अन्दर चर्चा कराने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी या अधिष्ठाता जी चर्चा करने का अवसर दें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा मौका विधायकों को मिलना चाहिये जिसमें प्लान के ऊपर वह चर्चा कर सकें और उसकी उपलब्धि हमें बता सकें। कोई समय अगर इसके लिए निर्धारित किया जा सके तो मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से कहूंगा कि वह 2 घंटे इसकी चर्चा के लिये रखें।

श्री मोहन सिंह--

मेरा आग्रह है कि ऐसा प्रस्ताव शासन की तरफ से आना चाहिये।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं संसदीय कार्य-मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये समय निकालने की कोशिश करें और दो, ढ़ाई घंटे का समय मिल जाय तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता--

प्लान के ऊपर चर्चा करानी है तो प्लान की कापी उपलब्ध करायी जाये।

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमन्, पिछले प्लान की कापी उपलब्ध करायी गयी है।

श्री रियासत हुसैन--

डिस्कशन आपको कराना है। डिस्कशन का फायदा आपको मिलेगा। आपको उपलब्ध कराना चाहिये।

श्री ब्रह्म दत्त--

हम सारांश दे देंगे। माननीय मोहन सिंह ने ऊंचाहार के बारे में कहा कि वहां पर उत्पादन शुरू हो जाना चाहिये तो वह पिछले साल बननी शुरू हुयी है। 2, 3 साल बाद उत्पादन शुरू होगा। दार्शनिक संस्थान के बारे में कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में दार्शनिक पद्धति, दर्शन का अपना एक अलग स्थान है। संस्थान बनाया जा रहा है, पुस्तकालय बनाने के लिये व्यवस्था की गयी है। कुछ समय बाद जब हम उस संस्थान में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात के ऊपर मुझे बड़ा खेद है। माननीय मोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश केन्द्र से भीख मांगता है तो कोई भी प्रदेश केन्द्र से भीख नहीं मांगता है। जो पैसा मिलता है, वह केन्द्रीय अंश है, हमारे साधनों पर मिलता है। भीख मांगने की परंपरा इस देश में नहीं है। वह हक की बात है। माननीय विमल तिवारी जी ने विद्वतापूर्ण भाषण में बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा कि पुस्तकों में अलग-अलग वर्षों को आधार माना जाता है। तो अलग-अलग वर्षों को आधार मानने से अंतर नहीं आता है। पुलिस के लिये हमारे एक माननीय साथी ने जवाब दिया कि उसके लिये व्यवस्था की गयी है। योजना कार्यान्वयन कमेटी की बैठक के सम्बन्ध में कहा गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह बात भी आयी कि योजना के निर्माण में राजनीतिक

हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है और जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग हैं उनको योजनाएं ज्यादा मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग इस पक्ष में ही नहीं हैं, उस पक्ष में भी हो सकते हैं। इसलिए हमने 30 परसेंट राजनीतिक लोगों के लिए तय कर दिया है डिस्ट्रिक्ट प्लान में। इसके अलावा बड़ी योजनाओं में सभी प्रभावशाली लोग नहीं जा सकते हैं। माननीय राय साहब ने विकास कार्यों में गति लाने के लिए एक बात कही, यह मैं मानता हूं कि इसमें गति आनी चाहिए। जिला योजना बनाने में हमारे सभी विधायकों की राय ली जायेगी, इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई भावना नहीं रखी गयी है। और अगर क्षेत्रीय मंत्री किसी स्थान पर नहीं है तो यह नहीं कि वहां पर बैठकें ही नहीं हों वहां पर वरिष्ठता के हिसाब से हमारे सदस्य अध्यक्षता करेंगे।

माननीय रियासत साहब ने बाउन्डेड लेबर की बात कही। इनको हर तरह से उठाने के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें हर फैमिली के लोगों को रिहैब्लीटेट करना है। माननीय कुमारी अलमेलू अम्माल ने इण्डस्ट्री की बात कही यह मैं मानता हूं कि हर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इण्डस्ट्री होनी चाहिए इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने यह निर्णय लिया है कि जिन जिलों में बड़ी इण्डस्ट्री नहीं है, वहां तीन करोड़ की लागत से कोई न कोई इण्डस्ट्री हम जरूर रखेंगे। दामोदर शर्मा जी ने एक बात कही कि आम तौर पर प्रत्येक योजना के लिए पैसा नहीं है, तो योजना पूरी ही नहीं हो सकेगी ऐसी बात नहीं है, योजना पूरी होगी जरूर लेकिन अपने समय से पूरी होगी और जिला योजना में हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जो योजना पहले से चल रही है, उसे पहले पूरा लिया जाय फिर उसके बाद कोई योजना नई ली जायेगी। गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में एक बात कही गयी तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि इस साल इस ओर 7 करोड़ 20 लाख के उत्पादन का एक रिकार्ड स्थापित किया गया है, साथ ही यह बात भी हम जरूर मानते हैं कि इतने गन्ने की पेराई करने के बाद भी हमारे ऊपर 72 करोड़ रु0 का भुगतान बाकी है इसके लिए भी प्रयास जारी है बैंकों से वार्ता चल रही है दूसरे चीनी का कुछ स्टाक हमारा उठे तो यह भी शीघ्र ही हो जाने के प्रयास करेंगे। वैसे अब तक हमने जो भी भुगतान किये हैं वह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक बात नियमों में पर्याप्त कुशलता लाने की बात कही। मैं यह स्वयं मानता हूं कि इन नियमों अर्थात् यू0 पी0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 है व अन्य जितने भी निगम हैं, इनकी वर्किंग में कुशलता आनी चाहिए, इसमें कुशलता आये इसके लिए धन और सुविधाओं की आवश्यकता है, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। माननीय नौटियाल साहब ने एक आपत्ति की कि कई योजनाएं यूरोपिक आर्थिक समुदाय को भेजी जाती हैं, तो इसमें आपत्ति का क्या प्रश्न है यह तो अन्तर्राष्ट्रीय बात है, इसमें हमारा भी हित निहित है और उसका भी। जैसे साइबेरिया ने गैस के निकालने के लिए 8 हजार करोड़ रु0 की सहायता अमरीका से ली तो यह कोई असंगत बात नहीं हुई।

(इस समय 4 बज कर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय कोई मल्टी नेशनल नहीं है, एक कम्युनिटी है। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय बात है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मूल्यांकन किया जाय। वास्तव में इस बजट का जो पहला हिस्सा है "आयोजनागत" हिस्सा, उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हमने 2 वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन किया है। हम अध्ययन

[श्री ब्रह्मदत्त--]

कर रहे हैं, अध्ययन कर लें तो माननीय सदस्यों को स्वयं उपलब्ध कराऊंगा और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि योजनागत व्यय की उपलब्धियों, कमियों, परिणामों के ऊपर मा0 सदस्यों के विचार मिलें, चाहे सदन के माध्यम से मिलें या किसी और रूप में मिलें ।

अन्त में मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है, मैं प्रयत्नशील हूं । योजना जब हम बनाते हैं तो दो तरह की योजना हो सकती है---आवश्यकता के अनुसार और साधनों के अनुसार । हमारा तरीका इन दोनों के समन्वय करने का है, लेकिन उसे साधनों की प्राथमिकता के आधार पर कैसे दें, इसमें दिक्कत आती है । माननीय विधायकों के ऊपर जोर पड़ता है जनता का, मन्त्री के ऊपर जोर पड़ता है विधायकों का और वित्त मंत्री पर जोर पड़ता है मन्त्रियों का, लेकिन साधन सीमित हैं और आवश्यकतायें असीमित हैं । साधनों के अनुसार अगर हम वित्तीय अनुशासन कायम करेंगे तो प्रदेश का कल्याण होगा । हमने इन दो वर्षों में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है, एक दृढ़ अर्थ-व्यवस्था की नींव डाली है और कामयाबी हासिल की है । जितना योजना का परिव्यय मिलता है, उससे ज्यादा ही किया है, कम नहीं किया है । हमने केन्द्र सरकार से वायदा किया था कि 5 साल में 1,047 करोड़ रु0 के संसाधन जुटायेंगे। हमने उससे ज्यादा का प्रबन्ध किया है और वह भी अधिक टैक्स न लगाकर । टैक्स की बढ़ोत्तरी 64 प्रतिशत हुई है, जब कि रेवेन्यू आशाओं से अधिक बढ़ता चला जा रहा है ।

रेवेन्यू सरप्लस होता है 199.39 करोड़ की आशा की थी, किन्तु वर्ष के अन्त में 245 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हो गया । इसी प्रकार 1981-82 में आशा की थी 167.70 करोड़ की जो कि अन्त में बढ़कर 254.64 करोड़ था। यही कारण है कि शुरू में जो बजट पेश किया गया वह घाटे का था, लेकिन बाद में वह मुनाफे के बजट में बदल गया । कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सेल्सटैक्स में भी कम किया है, प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है, जो प्रदेश की उन्नति में बाधक हो । इसमें किसी राजनीति का सवाल नहीं है । राजनीतिक विचारधारायें अलग हो सकती हैं लेकिन देश के विकास की जिम्मेदारी सबकी है । इसके साथ ही मा0 सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के लिये एक बार धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन से नियम के अन्तर्गत आप पूछ लेंगे ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, आयोजनागत में जो आपकी बसें चल रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तो उसके लिये यह कौन सा ऋण है जो आपने उसके लिये दो करोड़ रुपये रख दिये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो फर्म घाटे में चलती हो उसको एक्सट्रा पूंजी देकर ही सुधारा जा सकता है ।

श्री खैरुल बशर—

आपने जो अनुपूरक बजट पेश किया है तो उसके साथ ही आप एक करप्शन का बजट भी पेश कर दीजिये ।

1982-83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या—1 आबकारी विभाग

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 16,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-1, आबकारी विभाग के अन्तर्गत 16,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत 3,86,19,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत 3,86,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 29,10,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 29,10,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 14,57,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 14,57,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 14,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 14,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 4,34,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 4,34,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 80,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 80,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 24,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 24,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 19,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 19,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथसिंह कुशवाहा) --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 3,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 3,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 6,43,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 6,43,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार)

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश के प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 5,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) से अन्तर्गत 5,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 61,63 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 61,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 9,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 9,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत 3,86,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 3,86,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,06,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,06,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 14,55,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 14,55,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 19,55,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 19,55,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

श्रम एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 62,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 62,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,19,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,19,19,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मैं, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 2,08,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 2,08,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मैं, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 11,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 11,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मैं, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 12,39,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 12,39,67,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग

पशुधन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)--

मैं, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,00,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,00,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 57,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 57,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 1,22,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 1,22,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 7,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 7,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46--वन विभाग

वन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,40,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,40,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,3 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत 16,73,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत 16,73,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 2,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 2,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 11,43,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 11,43,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 3,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 3,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 15,67,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 15,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त निगम निदेशालय के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 10,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 10,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी--कर)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 से लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 37,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 37,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 2,83,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 2,83,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 18,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 18,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,39,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,39,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,06,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,06,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 8,61,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 8,61,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 2,64,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 2,64,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं, कि अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत से 5,36,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,36,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76--सूचना विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सूचना विभाग के अन्तर्गत 26,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सूचना विभाग के अन्तर्गत 26,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78—स्पोर्ट्स विभाग

शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 78—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 15,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 15,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 14,89,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 14,89,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं इसका विरोध करने के लिये एक विशेष कारण से खड़ा हुआ हूं। अभी हमने अनुदान तो पास किये लेकिन सरकार की जो अक्षमता और अयोग्यता है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाय। इसमें पृष्ठ 73 पर स्मृति-पत्र में यह लिखा हुआ है कि 1981 से परिवहन विभाग में जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते थे, उनके लिए योजना चलाई गयी कि एक हजार रुपया दिया जाय, उसमें 10 लाख रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे, 7 लाख 23 हजार रुपये और मांगा। तो मान्यवर, हमारा कहना यह है कि बसें तो चलाई जा रही हैं जनता की भलाई के लिए और अगर आप जनता की मौत बढ़ा दें, जैसे कि इस बजट से मालूम हो रहा है कि 10 लाख कम पड़ गया, 7 लाख 23 हजार रुपये की और जरूरत पड़ गयी, दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं इसलिए ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ गयी और फिर 2 करोड़ रु0 आयोजनागत में लिखा है। मान्यवर, हमारा कहना यह है कि बस से घाटा है, जब बराबर घाटा है, तो ऐसे आदमी को कोई ऋण नहीं देता है। युवा कल्याण निधि से सरकार ने रुपया लेकर दे दिया और फिर आकस्मिता निधि से पूरा किया और इसका नाम आयोजनागत रखा जा रहा है। विरोधी पक्ष इसका विरोध करे, तो लोग यह समझें कि विरोधी पक्ष किसी आयोजना का विरोध कर रहा है। जबकि यह आयोजनागत में नहीं है। सरकार किसी आयोजनागत पर अपना ठप्पा लगा कर इस तरह पास कराना चाहती है। जो अनुपूरक अनुदान मांगे गये हैं, इससे सरकार की अक्षमता परिलक्षित है। मैंने तो एक परिवहन विभाग का उदाहरण दे दिया, क्योंकि यह रोज सबके प्रयोग में आता है। मेरी इस सरकार से अपील है कि जब तक यह निश्चय न हो जाय कि यह सरकार अपनी अयोग्यता, अक्षमता को खत्म करके कुशलता से काम चलायेगी और सही-सही सदन को सूचना देगी, तब तक अनुपूरक अनुदानों में एक भी पैसा न दिया जाय। उसको आप राजस्व व्यय में दिखाइये, आयोजनागत में वह व्यय नहीं है। जब आप बस खरीद रहे हैं, तो उसमें आप नौकर-चाकर भी रखेंगे। तो इस तरह से जो सदन को गुमराह करते हैं आयोजना के नाम पर, इसका हमें एतराज है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को कतई न पास करें।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, रखा तो माननीय मंत्री जी ने अप्रोप्रियेट बिल है 4 हजार का, जो मूल बजट था, उसमें एक काम के लिए रुपया लिया गया था। वह दूसरे काम में लगा दिया गया। और उस काम के लिये अनुपूरक बजट लाया गया। इस प्रकार से पहले का दूसरे में ले लिया गया और दूसरे का तीसरे में लिया गया। तो एक्चुअली यह मिसअप्रोप्रिएशन बिल हो जाता है। माननीय मंत्री जी क्या यह आश्वासन देंगे कि आइन्दा से यह मिस-अप्रोप्रियेशन न हो ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मिसअप्रोप्रिएशन तो हमने कभी किया नहीं है कभी-कभी रिअप्रो-प्रियेशन जरूर करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड 2 व 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक), विधेयक, 1982

31 मार्च, 1983 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) अधिनियम, 1982 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1982-83 के लिये 2,05,98,95,000 रुपयों का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1983 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 2,05,98,95,000 रु0 (दो अरब, पांच करोड़, अठानवे लाख, पंचानवे हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1983 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	16,75	..	16,75
		पूंजी	..	..	..
2	आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग	राजस्व	2,32,74	..	2,32,74

1	2		3	4	5
		पूंजी	1,53,45	..	1,53,45
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	1,85,22	..	1,85,22
		पूंजी	27,24,95	..	27,24,95
5	उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)	राजस्व	30,00	..	30,00
		पूंजी	14,27,86	..	14,27,86
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	12,00	..	12,00
		पूंजी	2,50	..	2,50
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4,34,76	..	4,34,76
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	5,00	..	5,00
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	..	3,14	3,14
		पूंजी	80,76	..	80,76
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	24,16	21	24,37
		पूंजी	..	..	.
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	19,26	..	19,26
		पूंजी	..	..	..
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	3,50,00	..	3,50,00
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	6,43,38	..	6,43,38
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	3,85	..	3,85
		पूंजी	1,91	..	1,91
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	61,63	..	61,63
		पूंजी	..	..	..

1	2		3	4	5
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	11,01	..	11,01
		पूंजी	..	..	..
17	गोपन विभाग	राजस्व	9,10	..	9,10
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	3,86,03	7	3,86,10
		पूंजी	..	..	..
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	1,06,34	..	1,06,34
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	14,55,80	..	14,55,80
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	19,32,83	..	19,32,83
		पूंजी	22,25	..	22,25
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	62,56	..	62,56
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	1,20	..	1,20
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	10,00,00	..	10,00,00
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	1,18,79	..	1,18,79
		पूंजी	40	..	40
29	न्याय विभाग	राजस्व	1	4,75	4,76
		पूंजी	..	..	..
31	परिवहन विभाग	राजस्व	8,73	..	8,73
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	50	..	50
		पूंजी	11,41	..	11,41
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	10,06,46	..	10,06,46
		पूंजी	2,33,21	..	2,33,21
34	पशुधन विभाग	राजस्व	1,00,34	9	1,00,43
		पूंजी	..	..	..

1	2		3	4	5
35	पशुधन विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व	34,98	.	34,98
		पूंजी	77,01	.	77,01
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	57,58	..	57,58
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,76	..	2,76
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	1,22,68	..	1,22,68
		पूंजी	..	..	..
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	1,40	1,40
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	7,91	..	7,91
		पूंजी	..	..	..
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	50	50
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	25,00	24	25,24
		पूंजी	..	..	..
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	2,40,00	..	2,40,00
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	1,33	..	1,33
		पूंजी	..	..	..
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि)	राजस्व	16,73,20	..	16,73 20
		पूंजी	..	..	..
54	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	2,51	..	2,51
		पूंजी	..	..	..
55	शिक्षा विभाग	राजस्व	11,43,38	..	11,43,38
		पूंजी	..	..	..
56	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	3,43	..	3,43
		पूंजी	..	..	..
57	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	15,67	..	15,67
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित- क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
58	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	..	..	..
59	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	10,67	..	10,67
		पूंजी	..	..	..
60	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	50	..	50
		पूंजी	..	..	..
61	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	6,25	..	6,25
62	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	37,62	..	37,62
		पूंजी	..	..	..
64	सहकारिता विभाग	राजस्व	13,87	..	13,87
		पूंजी	2,69,28	..	2,69,28
66	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	18,35	..	18,35
		पूंजी	..	..	..
69	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	29	..	29
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	90	..	90
		पूंजी	1,38,71	..	1,38,71
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,06,53	..	1,06,53
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	61	..	61
		पूंजी	8,60,68	..	8,60,68
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,80,68	..	1,80,68
		पूंजी	83,52	..	83 52
75	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	2,56,00	..	2,56,00
		पूंजी	2,80,01	2,28	2,82,29
76	सूचना विभाग	राजस्व	5,60	.	5,60
		पूंजी	21,00	..	21,00
77	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	4,00	..	4,00
		पूंजी	..	..	..
78	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	15,20	..	15,20
		पूंजी	..	..	..

1	2		3	4	5
79	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	13,42,40	..	13,42,40
		पूंजी	1,47,00	..	1,47,00
80	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	3,00,00	..	3,00,00
	योग ..	राजस्व	1,17,69,44	10,40	1,17,79,84
		पूंजी	88,16,83	2,28	88,19,11
	कुल योग ..		2,05,86,27	12,68	2,05,98,95

श्री उपाध्यक्ष—

खण्डश : विचार । खण्डों पर कुछ बोलना तो नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग, (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1977-78 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल

[5 बज कर 20 मिनट]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 8,75,943 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 8,75,943 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह कौन सा आइटम चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आइटम 16 का खंड 2 है । इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न था गुप्ता जी ? मैं इसलिये सजग था कि आपको शिकायत रहती है कि मेरी आंखें आपको पकड़ नहीं पाती अब की मेरे कान और आंख दोनों ने आपको पकड़ा है ।

अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत 72,639 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत 72,639 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 14,63,568 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या4 —न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 14,63,568 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5—निर्वाचन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन के अन्तर्गत 29,47,596 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों से लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत 29,47,596 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 2,18,390 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--20 कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 2,18,390 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--पुलिस

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--पुलिस के अन्तर्गत 12,93,898 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--21, पुलिस के अन्तर्गत 12,93,898 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--कारागार

कारागार मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत 40,068 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत 40,068 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,72,131 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,72,131 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवायें

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 26,18,218 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 26,18,218 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--26, अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 1,05,62,587 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 1,05,62,587 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाय एवं शोध

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत 1,642 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत 1,642 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—33, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 8,92,05,147 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—33, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 8,92,05,147 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34—आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत 4,73,179 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--आवास भवन के अन्तर्गत 4,73,179 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) के अन्तर्गत 2,09,65,730 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) के अन्तर्गत 2,09,65,730 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43--(विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र)

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 1,83,64,160 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--43, विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 1,83,64,160 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54--मत्स्य उद्योग

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 48,816 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 48,816 रु0 की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,65,80,032 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,65,80,032 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62—सिविल विमानन

परिवहन मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—सिविल विमानन के अन्तर्गत 13,92,260 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—सिविल विमानन के अन्तर्गत 13,92,260 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63—संचार साधन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63—संचार साधन के अन्तर्गत 1,72,61,060 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--संचार साधन के अन्तर्गत 1,72,61,060 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,22,80,795 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,22,80,795 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,22,549 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,22,549 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 1,21,350 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 1,21,350 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 84—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,94,51,008 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,94,51,008 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,61,02,579 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,61,02,579 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम-विद्युत

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम विद्युत के अन्तर्गत 1,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96--ऋण और अग्रिम-विद्युत के अन्तर्गत 1,000 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1977-78 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 1--राजस्व विधान मण्डल

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1--.राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत 2,44,546 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत 2,44,546 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी

आबकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10-राज्य आबकारी के अन्तर्गत 9,79,186 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत 9,79,189 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--कारागार

कारागार मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत 61,651 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत 61,651 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,00,137 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,00,137 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत 76,86,288 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत 76,86,288 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत 3,55,108 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत 3,55,108 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37--सूचना तथा प्रचार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 1,16,483 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 1,16,483 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत 94,18,610 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत 94,18,610 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 1,03,972 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 1,03,972 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 14,58,764 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 14,58,764 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—विद्युत् विकास

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—विद्युत् विकास के अन्तर्गत 1,437 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—विद्युत् विकास के अन्तर्गत 1,437 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 9,94,90,755 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 9,94,90,755 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64--संचार साधन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--संचार साधन के अन्तर्गत 2,41,20,842 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--संचार साधन के अन्तर्गत 2,41,20,842 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69--पर्यटन

राज्य पर्यटन मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--69, पर्यटन के अन्तर्गत 38,607 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--69, पर्यटन के अन्तर्गत 38,607 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71--सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,06,98,611 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 13,06,98,611, रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,26,39,763 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,26,39,763 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 86--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,40,39,880 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,40,39,880 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,79,88,365 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,79,88,365 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 97—ऋण और अग्रिम-विद्युत्

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97--ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत 1,78,83,217 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97--ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत 1,78,83,217 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1978-79 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुककर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार है। जिस अवधि के दौरान ये खर्च किए गए तब जनता पार्टी का शासन था। यह सरकार कह रही है कि जनता पार्टी ने गलत काम किये लेकिन आज उन्हीं के द्वारा किये गये खर्चों के लिए विनियोग विधेयक यह लाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो पार्टी शासन में रहती है और वह जो काम करती है तो दूसरी पार्टी की सरकार को पूरा करने का आब्लीगेशन उस पर रहता है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 और 1978–79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4 प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 और 1978–79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982

दिनांक 31 मार्च, 1978 तथा दिनांक 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उन वर्षों के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 और 1978–79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

वर्ष 1977–78 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 65,49,45,261 रुपये का दिया जाना

2—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को, जिसका कुल योग 65,49,45,261 रुपये (केवल पैंसठ करोड़, उन्चास लाख, पैंतालिस हजार, दो सौ इकसठ रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

वर्ष 1978-79 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 65,08,03,899 रुपये का दिया जाना

3—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों का जिनका, कुल योग 65,08,03,899 रुपये (केवल पैंसठ करोड़, आठ लाख, तीन हजार, आठ सौ निन्यानबे रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए दिनांक 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

4—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकृत दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग—

(क) दिनांक 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची में, और

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा और किया गया समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 और 5 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	..	8,75,943	..	8,75,943
3	मंत्रि परिषद्	..	72,639	..	72,639
4	न्याय प्रशासन	..	14,63,568	10,02,072	24,65,640
5	निर्वाचन	..	29,47,596	..	29,47,596
17	लोक सेवा आयोग	..	..	1,25,001	1,25,001
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	..	2,18,390	..	2,18,390
21	पुलिस	..	12,93,898	..	12,93,898
22	कारागार	..	40,068	..	40,068
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य	..	6,72,131	..	6,72,131
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	26,18,218	..	26,18,218
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	..	1,05,62,587	5,18,422	1,10,81,009

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2			3		
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	..	1,642	..	1,642
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	8,92,05,147	..	8,92,05,147
34	आवास भवन	..	4,73,179	..	4,73,179
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)	..	2,09,65,730	..	2,09,65,730
43	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	..	1,83,64,160	..	1,83,64,160
54	मत्स्य उद्योग	..	48,816	..	48,816
55	वन	..	..	7,444	7,444
60	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	..	6,65,80,032	..	6,65,80,032
62	सिविल विमानन	..	13,92,260	..	13,92,260
63	संचार साधन	..	1,72,61,060	55,977	1,73,17,037
70	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	..	13,22,80,795	..	13,22,80,795
71	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,22,549	..	2,22,549
78	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	..	1,21,350	..	1,21,350
84	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	..	22,94,51,008	..	22,94,51,008
85	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	5,61,02,579	..	5,61,02,579
96	ऋण और अग्रिम–विद्युत्	..	1,000	..	1,000
			65,32,36,345	17,08,916	65,49,45,261

उत्तर प्रदेश विधान सभा

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3 और 5 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	2,44,546	..	2,44,546
4	न्याय प्रशासन	..	4,75,493	4,75,493
10	राज्य आबकारी	9,79,189	..	9,79,189
22	कारागार	61,651	..	61,651
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य	6,00,137	..	6,00,137
34	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति	76,86,288	..	76,86,288
35	आवास भवन	3,55,108	..	3,55,108
37	सूचना तथा प्रचार	1,16,483	..	1,16,483
39	हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण	94,18,610	..	94,18 610

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	
41	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	1,03,972	..	1,03,972
44	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	14,58,764	..	14,58,764
47	औद्यानिक विकास	..	48	48
60	विद्युत् विकास	1,437	..	1,437
61	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	9,94,90,755	..	9,94,90,755
62	सिंचाई अधिष्ठान	..	22,235	22,235
64	संचार साधन	2,41,20,842	29,075	2,41,49,917
69	पर्यटन	38,607	..	38,607
71	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	13,06,98,611	..	13,06,98,611
80	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,141	2,141
85	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	22,26,39,763	..	22,26,39,763
86	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,40,39,880	..	3,40,39,880
87	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,79,88,365	..	1,79,88,365
90	राज्य सरकार के ऋण	..	8,23,48,682	8,23,48,682
97	ऋण और अग्रिम विद्युत्	1,78,83,217	..	1,78,83,217
	योग ..	56,79,26,225	8,28,77,674	65,08,03,899

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय मित्रसेन यादव तथा राम आसरे वर्मा की है, लेकिन यह दोनों मौजूद नहीं हैं। दूसरी सूचना रियासत हुसैन, राम गोविन्द चौधरी, अकबर हुसैन, मुख्तार अनीस, मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, गौरी शंकर भैय्या, की है । यह दोनों एक ही विषय से सम्बद्ध हैं । वह दोनों नहीं मौजूद हैं लेकिन आप सभी मौजूद हैं । इसे स्वीकार किया गया है ।

माननीय मंत्री जी आपका बयान कब आ रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

26 को या 27 को जो भी आप मुनासिब समझें ।

श्री उपाध्यक्ष--

26 को एक दूसरा बयान आ रहा है । इसलिए इसको 27 के लिए कर दिया ?

शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गईं ।

प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य की समाप्ति

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह, श्री कन्हैया लाल तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन में उपस्थित नहीं हैं ....

श्री रियासत हुसैन--

अब यह तो सदन की प्रापर्टी हो गयी है क्योंकि आपने मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुलाया नहीं है, वे अपने आप खड़ी हो गई हैं । चूंकि जिन माननीय सदस्यों ने यह सूचना दी थी वे सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए बयान का कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

24 अगस्त, 1982

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 548 पर)

सीतापुर शहर में अप्रैल 1981 से अप्रैल 1982 तक की अवधि में घटित हत्या की घटनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	घटना का दिनांक	मृतक का नाम	हत्या का कारण	विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों की संख्या	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	10-4-81	श्री छोटकन्ने सिंह	रंजिश	2	1	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।
2	14-4-81	श्री सतीश महेश्वरी	रंजिश	7	2	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
3	18-5-81	श्री राजेश अवस्थी	रंजिश	5	2	तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । शेष दो अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त शेष है ।
4	8-7-81	श्री जुगुल किशोर	रंजिश	3	1	विवेचना प्रचलित है ।
5	21-10-81	श्री पुत्तू लाल	लूट एवं डकैती	4	..	विवेचना प्रचलित है ।
6	13-11-81	श्री मुन्नू लाल	रंजिश	5	..	सभी अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।
7	7-1-82	श्री अशोक कुमार	वाद-विवाद एवं झगड़ा	2	1	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया ।
8	23-2-82	श्री नियाज अली	रंजिश	..	..	विवेचन प्रचलित है
9	23-3-82	श्री बिहारी लाल रस्तोगी	रंजिश	4	..	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 552 पर)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग 1

संख्या जी0-1-845-दस--534(46)-76

लखनऊ : दिनांक अप्रैल 1, 1982

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि वाह्य सेवा में कार्यरत सरकारी सेवकों को वर्तमान शर्तों के अनुसार मकान किराया भत्ता वाह्य सेवा योजना के नियमों के अधीन प्राप्त होता है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि वाह्य सेवा में कार्यरत सरकारी सेवक सरकारी आवास का अध्यासन बनाये रखते हैं। ऐसे मामलों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी0 1-638/दस--534(46)-76, दिनांक 17 मई, 1979 के अनुलग्नक में वाह्य सेवा की वर्तमान मानक शर्तों संख्या 4 को निम्नलिखित मानक शर्त प्रतिस्थापित कर दिया जाय :

मानक शर्त संख्या 4

नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता :

इन शर्तों का विनियमन वाह्य सेवा योजना के नियमों के अधीन किया जायेगा परन्तु,

(क) वाह्य सेवा पर कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जो सरकारी आवासों का उपभोग कर रहे हैं उनसे उक्त सरकारी आवास के किराये के रूप में उनके मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि वसूली जायेगी। इसके अतिरिक्त वाह्य सेवायोजक भी सम्बन्धित सरकारी सेवक के मासिक वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर सरकारी सेवक द्वारा अध्यासित सरकारी मकान के किराये के रूप में प्रतिमाह विभागाध्यक्ष/विभाग का नाम/के नाम भेजेगा, जिसे सम्बन्धित विभाग सरकारी खजाने में जमा कर देगा। वाह्य सेवायोजक द्वारा ऐसे सरकारी सेवकों को किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता देय न होगा। इस प्रकार शासन को दोनों स्रोतों से मिलाकर सरकारी सेवक के वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि आवास के किराये के रूप में प्राप्त होगी।

(ख) वाह्य सेवा योजक द्वारा किसी भी सरकारी सेवक को बिना किराये मकान की सुविधा नहीं दी जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से वाह्य सेवायोजक किसी सरकारी कर्मचारी को उक्त सुविधा देना चाहते हैं तो वे अपने प्रस्ताव को शासन को भेजेंगे जिस पर वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा।

(ह0) एस0 डी0 बर्मा,
उप सचिव।

संख्या 528/ चौवालिस-1/82-35/80-टी सी

प्रेषक,

सूरज प्रकाश सक्सेना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उद्योग/निगम,
उत्तर प्रदेश।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 1982

विषय—बाह्य सेवा में कार्यरत सरकारी सेवकों को मकान किराया भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के वित्त(सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या जो-1-545/दस-534/48-76, दिनांक 1 अप्रैल, 1982 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में जो सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं उनके बारे में उपर्युक्त वित्त विभाग के शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(ह0) सूरज प्रकाश सक्सेना,
उप सचिव।

संख्या 528(1) चौवालिस-1-82-तद्दिनांक

प्रतिलिपि वित्त (सामान्य) अनुभाग को उनके पत्र संख्या जो0 1-845/दस—534/46-76, दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(ह0) सूरज प्रकाश सक्सेना,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 562 पर)

क्र० सं०	शव ढोने की तिथि	मृतक का नाम	थाने का नाम	मृतक के गांव का नाम
1	2	3	4	5
1	10-4-81	1--पृथ्वीपाल	कोतवाली	गढ़ी मजरे खसपरिया
		2--राम खेलावन	,,	कुटी जहांगीराबाद
2	11-4-31	3--झगड़ू	मखौली	छितनापुर
3	30-8-81	4--अज्ञात	मोहम्मदपुर	अज्ञात
		5--अज्ञात	,,	अज्ञात
		6--अज्ञात	,,	अज्ञात
4	11-9-81	7--अज्ञात	रामनगर	अज्ञात
5	15-9-81	8--श्रीमती सुशीला	रामनगर	सीहामऊ
6	19-9-81	9--राम नरायन	सुबेहा	सर फरोज का पुरवा
7	20-9-81	10--देव नरायन सिंह	कुर्सी	पूरे मान्धाता सिंह
		11--अज्ञात	कुर्सी	मढ़ियावं
8	22-9-81	12--अज्ञात	मोहम्मदपुर	अज्ञात
9	23-9-81	13--अज्ञात	सुबेहा	अज्ञात
10	28-9-81	14--शम्भू	राम सनेही घाट	नोहरीपुरवा
11	30-9-81	15--गोवर्धन सिंह	फतेहपुर	अकबरपुर (लखीमपुर)
12	9-10-81	16--सहजराम	लोनीकटरा	मनीपुरवा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 571 पर)

सूची

क्र0 सं0	पुलिस सब इन्सपेक्टर का नाम	धारा	विशेष विवरण
1	2	3	4
1	श्री अख्तर संय्यद जाफरी	342/323 भा0 द0 वि0	
		379 भा0 द0 वि0	
		323 भा0 द0 वि0	
		323/342 भा0 द0 वि0	
		323/342 भा0 द0 वि0	
		323/504 भा0 द0 वि0	
		323/392 भा0 द0 वि0	
2	श्री गणेश राय शर्मा	379 भा0 द0 वि0	
		323/392 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण बहराइच ।
3	श्री मुहम्मद शमीम	147/323/506 भा0 द0 वि0	
4	श्री जगदीश यादव	147/323/504 भा0 द0 वि0	
		506 भा0 द0 वि0	
		166/457/380/388/389/557/461/500/405/506 भा0 द0 वि0	
5	श्री प्रेम शंकर द्विवेदी	342/504/506 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण प्रतापगढ़ ।
		324/325/504/506 भा0 द0 वि0	
6	श्री ओम प्रकाश राय	342/504/506 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण वाराणसी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	4	5
7	श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह	342/504/506 भा0 द0 वि0	
		225 भा0 द0 वि0	
		342/348/325/504/506 भा0 द0 वि0	
8	श्री लल्लन सिंह	500/504/506 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण जौनपुर
9	श्री रमा शंकर सिंह	323/325 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण जी0 आर0पी0, गोरखपुर।
10	श्री जगदीश नारायण सिंह	324/325/504/506 भा0 द0 वि0	
11	श्री कृष्ण बली मिश्रा	342/323 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण गोरखपुर।
12	श्री आशा राम त्रिपाठी	323/379 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण बांदा।
13	श्री हरिद्वार तिवारी	323/504/506 भा0 द0 वि0	
14	श्री पारस नाथ सिंह	379/371/506 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण देवरिया।
15	श्री मुर्तजा हुसेन	323/327/147/218 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण बलिया।
16	श्री नरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	364/302 भा0 द0 वि0	
17	श्री मुसई प्रसाद	364/302 भा0 द0 वि0	स्थानान्तरण मिर्जापुर।
18	श्री फतेह बहादुर सिंह	364/302 भा0 द0 वि0	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 586 पर ।)

परिषद् के अधीन कार्यरत तापीय बिजली घरों का मार्च 1981 से मई, 1982 तक का माहवार औसत (पी0 एल0 एफ0) नीचे अंकित है :--

माह	पी0 एल0 एफ0	माह	पी0 एल0 एफ0
मार्च, 1981	45·6	जनवरी, 1982	45.2
अप्रैल, 1981	43.1	फरवरी, 1982	46·2
मई, 1981	42·2	मार्च, 1982	39·0
जून, 1981	39.2		
जुलाई, 1981	26·1		
अगस्त, 1981	30·6		
सितम्बर, 1981	32.1		
अक्तूबर, 1981	35·2		
नवम्बर, 1981	40·7		
दिसम्बर, 1981	42.1		

पी0 एल0 एफ0 में वृद्धि लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :--

1--अवरोधग्रस्त इकाईयों की बरीयता पर मरम्मत ।

2--तापीय इकाईओं के लिए वृहद अनुरक्षण व मरम्मत कार्यक्रम ।

3--पनकी, हरदुआगंज व ओबरा तापीय विद्युत गृह में "बॅटरमेंट कम रेनोवेशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 करोड़ रुपये का वर्ष 1982-83 में प्राविधान ।

4--50 मेगावाट क्षमता की उस निर्मित इकाईयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रूसी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन ।

5--ओबरा की 100 तथा 200 मेगावाट तापीय इकाईयों से अधिक उत्पादन प्राप्ति के उपाय सुझाने के लिए मेसर्स यूनाइटेड इन्जीनियर्स (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) की नियुक्ति ।

6--कोयले की आपूर्ति तथा सही गुणवत्तों के कोयले की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय संस्थाओं से उच्चतम स्तर पर सक्रिय पैरवी तथा केन्द्रीय कैबिनट सेक्रेटरी स्तर पर द्विमासीय बैठकों का आयोजन ।

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--171 का उत्तर पीछे पृष्ठ 589 पर ।)

विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना तथा पथरदेवा (जनपद देवरिया) के ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एम0 एन0 पी0 पंचम) के अन्तर्गत किया जाना है :

विकास क्षेत्र का नाम	ग्रामों का नाम	विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति
1--रामपुर कारखाना	1--मथुरा छापर	विद्युतीकरण कर दिया गया है ।
	2--कमधेनवां	,,
	3--रतनपुरा	,,
	4--कोन्हवालिया	,,
	5--मधवापुर	,,
	6--करनपुर उर्फ पचखेड़ा	,,
	7--मोहन मुन्डेरा	,,
	8--डुमरी	,,
	9--गौतमचक मठिया	,,
	10--शाहपुर	,,
	11--लक्ष्मीपुर	,,
	12--भगवतीपुर	,,
	13--बरारी	,,
	14--डीहा बसन्त	,,
	15--लंगड़ा	,,
	16--गुरवीजोर	,,
	17--हरपुर	,,
	18--मठियां	विद्युतीकरण अभी किया जाना है ।
	19--धनवतीकलां	,,
	20--नैतन	,,

विकास क्षेत्र का नाम	ग्रामों का नाम	विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति
2—पयरदेवां	1—मछईला	विद्युतीकरण कर दिया गया है।
	2—महुआरी	,,
	3—मुरारछपरा	,,
	4—नैरुआरी	,,
	5—शाहपुर शुक्ल	,,
	6—घोटा	,,
	7—परसचक	,,
	8—पकरियार	,,
	9—सुन्दरपुर	,,
	10—कोइलीपट्टी	,,
	11—बुलालपट्टी	,,
	12—मसजिदीया	,,
	13—लोहरवली	,,
	14—मोतीपुर	,,
	15—हरपुर	,,
	16—बेदिला मोहब्बीन	,,
	17—श्यामपट्टी	,,
	18—मोहाररहंग	,,
	19—सेमरी	,,
	20—तिरमासाहू	,,
	21—बिरियापुर	विद्युतीकरण अभी किया जाना है।
	22—बिन्धी	,,
	23—मुन्डेरा	,,
	24—चैरापट्टी	,,
	25—दमनपुरा	,,
	26—पिपराकनक	,,
	27—उदयपुरा	,,
	28—चमनपुर	,,
	29—घुसवा	,,
	30—बीरबल पट्टी	,,
	31—अमेसाहोलमन पान्डेय	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--173 का उत्तर पीछे पृष्ठ 589 पर।)

बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची :

वर्ष	ग्राम का नाम
1977-78	1--पारा
	2--कुर्रही
	3--बिलगांव
	4--अजीतपारा
	5--अजीतपुर
1978-79	..
1979-80	1--गन्छा
1980-81	..
1981-82	1--छिवांव
	2--पड़ई
	3--चिलेहता
	4--निलाथू
	5--दफतरा
	6--लामा
	7--बरौली
	8--छनेहरा लालपुर
	9--चन्द्रावल
	10--कुल कुमहारी
	11--कतरावल
	12--पल्हरी

पी0 एस0 यू0 पी0--33 वि0 सभा--24-10-83--835--(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा